

सदस्यों को निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन :

निदेशकगण को एतद्वारा अपना 106वाँ वार्षिक प्रतिवेदन और उसके साथ 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लेखा का लेखा परीक्षित विवरण पेश करते हुए हर्ष है :

वित्तीय परिणाम

31 मार्च 2013 तक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण		अग्नि	समुद्री	विविध	कुल
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय - भारत में (% वृद्धि)	CY	846.17	351.96	7967.60	9165.73
	PY	678.34	349.59	6762.76	7790.69
	CY	24.74	0.68	17.82	17.65
	PY	18.84	14.78	26.52	25.24
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय - भारत के बाहर (% वृद्धि)	CY	7.88	3.33	17.68	28.89
	PY	6.46	2.20	16.34	25.00
	CY	21.98	51.36	8.20	15.56
	PY	0.00	-28.34	9.52	2.25
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय - कुल (% वृद्धि)	CY	854.05	355.29	7985.28	9194.62
	PY	684.80	351.79	6779.10	7815.69
	CY	24.72	0.99	17.79	17.64
	PY	18.63	14.35	26.47	25.15
स्वीकृत रि-इंश्योरेन्स प्रीमियम - भारत में भारत के बाहर कुल	CY	153.09	21.02	180.19	354.30
	PY	122.98	14.85	1043.44	1181.27
	CY	0.40	0.00	0.24	0.64
	PY	0.01	0.00	0.00	0.01
	CY	153.49	21.02	180.43	354.94
	PY	122.99	14.85	1043.44	1181.28
अर्पित रि-इंश्योरेन्स प्रीमियम - भारत में भारत के बाहर कुल	CY	308.95	185.92	1089.19	1584.06
	PY	229.92	165.31	1641.54	2036.77
	CY	2.66	0.00	5.92	8.58
	PY	2.56	0.00	4.79	7.35
	CY	311.61	185.92	1095.11	1592.64
	PY	232.48	165.31	1646.33	2044.12
शुद्ध प्रीमियम - भारत में (% वृद्धि) (सकल प्रीमियम का %)	CY	690.31	187.06	7058.60	7935.97
	PY	571.40	199.13	6164.66	6935.19
	CY	20.81	-6.06	14.50	14.43
	PY	20.70	19.89	30.25	29.09
	CY	81.58	53.15	88.59	86.58
	PY	84.24	56.96	91.16	89.02

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE MEMBERS

Your Directors take immense pleasure in submitting their 106th Annual Report and the Audited Statement of Accounts for the financial year ended 31st March 2013.

FINANCIAL RESULTS

SUMMARISED FINANCIAL RESULTS AS ON 31ST MARCH 2013

(₹ in crore)

Particulars		Fire	Marine	Misc	Total	
Gross Direct Premium Income - India	CY	846.17	351.96	7967.60	9165.73	
	PY	678.34	349.59	6762.76	7790.69	
	(% Growth)	CY	24.74	0.68	17.82	17.65
		PY	18.84	14.78	26.52	25.24
Gross Direct Premium Income - Outside India	CY	7.88	3.33	17.68	28.89	
	PY	6.46	2.20	16.34	25.00	
	(% Growth)	CY	21.98	51.36	8.20	15.56
		PY	0.00	-28.34	9.52	2.25
Gross Direct Premium Income - Total	CY	854.05	355.29	7985.28	9194.62	
	PY	684.80	351.79	6779.10	7815.69	
	(% Growth)	CY	24.72	0.99	17.79	17.64
		PY	18.63	14.35	26.47	25.15
Reinsurance Premium Accepted - India	CY	153.09	21.02	180.19	354.30	
	PY	122.98	14.85	1043.44	1181.27	
	Outside India	CY	0.40	0.00	0.24	0.64
		PY	0.01	0.00	0.00	0.01
	Total	CY	153.49	21.02	180.43	354.94
		PY	122.99	14.85	1043.44	1181.28
Reinsurance Premium Ceded - India	CY	308.95	185.92	1089.19	1584.06	
	PY	229.92	165.31	1641.54	2036.77	
	Outside India	CY	2.66	0.00	5.92	8.58
		PY	2.56	0.00	4.79	7.35
	Total	CY	311.61	185.92	1095.11	1592.64
		PY	232.48	165.31	1646.33	2044.12
Net Premium - India	CY	690.31	187.06	7058.60	7935.97	
	PY	571.40	199.13	6164.66	6935.19	
	(% Growth)	CY	20.81	-6.06	14.50	14.43
		PY	20.70	19.89	30.25	29.09
	(% to Gross Premium)	CY	81.58	53.15	88.59	86.58
		PY	84.24	56.96	91.16	89.02

शुद्ध प्रीमियम भारत के बाहर (% वृद्धि) (सकल प्रीमियम का %)	CY	5.62	3.33	12.00	20.95
	PY	3.91	2.20	11.55	17.66
	CY	43.73	51.36	3.90	18.63
	PY	15.00	-28.34	7.14	2.38
	CY	71.32	100.00	67.87	72.52
	PY	60.53	100.00	70.69	70.64
कुल शुद्ध प्रीमियम (% वृद्धि) (सकल प्रीमियम का %)	CY	695.93	190.39	7070.60	7956.92
	PY	575.31	201.33	6176.21	6952.85
	CY	20.97	-5.43	14.48	14.44
	PY	20.66	19.01	30.20	29.00
	CY	81.49	53.59	88.55	86.54
	PY	84.01	57.23	91.11	88.96
आरक्षित असमाप्त जोखिम में वृद्धि/कमी (शुद्ध प्रीमियम का %)	CY	60.32	-19.07	447.19	488.44
	PY	49.25	24.78	805.29	879.32
	CY	8.67	-10.02	6.32	6.14
	PY	8.56	12.31	13.04	12.27
अर्जित प्रीमियम	CY	635.61	209.46	6623.41	7468.48
	PY	526.06	176.55	5370.92	6073.53
शुद्ध उपगत दावा (अर्जित प्रीमियम का %)	CY	360.28	108.94	5921.31	6390.53
	PY	431.75	136.41	4745.91	5314.07
	CY	56.68	52.01	89.40	85.57
	PY	82.07	77.26	88.36	87.50
शुद्ध कमीशन (अर्जित प्रीमियम का %)	CY	35.88	16.43	338.21	390.52
	PY	34.70	12.42	314.26	361.38
	CY	5.64	7.84	5.11	5.23
	PY	6.60	7.03	5.85	5.95
प्रबन्धन व्यय (अर्जित प्रीमियम का %)	CY	177.27	49.66	1686.60	1913.53
	PY	141.52	48.15	1594.17	1783.84
	CY	27.89	23.71	25.46	25.62
	PY	26.90	27.27	29.68	29.37
अन्य आय (-)/जावक (+)	C/Y	-1.12	-0.64	-3.50	-5.26
	P/Y	-0.11	-0.06	-4.49	-4.66
बीमा लेखन परिणाम (अर्जित प्रीमियम का %)	CY	63.30	35.07	(-)1319.21	(-)1220.84
	PY	-81.80	-20.37	(-)1278.93	(-)1381.10
	CY	9.96	16.74	-19.92	-16.35
	PY	-15.55	-11.54	-23.81	-22.74
निवेश आय - पालिसीधारक	CY	179.79	65.96	1453.10	1698.85
	PY	110.16	49.84	1259.76	1419.76
पालिसीधारक खाता (राजस्व)	CY	243.09	101.03	133.89	478.01
	PY	28.36	29.47	-19.17	38.66
निवेश आय - शेयर होल्डर्स	CY				403.05
	PY				291.93

Net Premium <i>(% Growth)</i> <i>(% to Gross Premium)</i>	Outside India	CY	5.62	3.33	12.00	20.95
		PY	3.91	2.20	11.55	17.66
		CY	43.73	51.36	3.90	18.63
		PY	15.00	-28.34	7.14	2.38
		CY	71.32	100.00	67.87	72.52
		PY	60.53	100.00	70.69	70.64
Total Net Premium <i>(% Growth)</i> <i>(% to Gross Premium)</i>		CY	695.93	190.39	7070.60	7956.92
		PY	575.31	201.33	6176.21	6952.85
		CY	20.97	-5.43	14.48	14.44
		PY	20.66	19.01	30.20	29.00
		CY	81.49	53.59	88.55	86.54
		PY	84.01	57.23	91.11	88.96
Addition/Reduction in Un-expired Risk Reserve <i>(% to Net Premium)</i>		CY	60.32	-19.07	447.19	488.44
		PY	49.25	24.78	805.29	879.32
		CY	8.67	-10.02	6.32	6.14
		PY	8.56	12.31	13.04	12.27
Earned Premium		CY	635.61	209.46	6623.41	7468.48
		PY	526.06	176.55	5370.92	6073.53
Incurred Claims Net <i>(% to Earned Premium)</i>		CY	360.28	108.94	5921.31	6390.53
		PY	431.75	136.41	4745.91	5314.07
		CY	56.68	52.01	89.40	85.57
		PY	82.07	77.26	88.36	87.50
Commission Net <i>(% to Earned Premium)</i>		CY	35.88	16.43	338.21	390.52
		PY	34.70	12.42	314.26	361.38
		CY	5.64	7.84	5.11	5.23
		PY	6.60	7.03	5.85	5.95
Expenses of Management <i>(% to Earned Premium)</i>		CY	177.27	49.66	1686.60	1913.53
		PY	141.52	48.15	1594.17	1783.84
		CY	27.89	23.71	25.46	25.62
		PY	26.90	27.27	29.68	29.37
Other Income(-)/Outgo(+)		CY	-1.12	-0.64	-3.50	-5.26
		PY	-0.11	-0.06	-4.49	-4.66
Underwriting Results <i>(% to Earned Premium)</i>		CY	63.30	35.07	(-1319.21)	(-1220.84)
		PY	-81.80	-20.37	(-1278.93)	(-1381.10)
		CY	9.96	16.74	-19.92	-16.35
		PY	-15.55	-11.54	-23.81	-22.74
Investment Income - Policyholders		CY	179.79	65.96	1453.10	1698.85
		PY	110.16	49.84	1259.76	1419.76
Revenue Policyholders' Account		CY	243.09	101.03	133.89	478.01
		PY	28.36	29.47	-19.17	38.66
Investment Income - Shareholders		CY				403.05
		PY				291.93

कुल निवेश आय	CY				2101.90
	PY				1711.69
संदिग्ध ऋण का प्रावधान	CY				15.50
	PY				-128.00
जावक घटाकर अन्य आय	CY				-7.06
	PY				-127.53
कर पूर्व लाभ	CY				858.50
	PY				331.06
कर हेतु प्रावधान	CY				162.80
	PY				6.30
कर पश्चात लाभ	CY				695.70
	PY				324.76
प्रस्तावित लाभांश	CY				139.14
	PY				0.00
लाभांश संवितरण कर	CY				23.65
	PY				0.00
पूर्व वर्षों का समायोजित कर	CY				2.15
	PY				0.45
सामान्य आरक्षित में स्थानान्तरित/आकस्मिक आरक्षित	CY				535.06
	PY				325.21

पूँजी तथा निधियाँ

विवरण	2012-13		2011-12	
(₹ करोड़ में)				
शेयरधारकों का कोष :				
प्रदत्त पूँजी	100.00		100.00	
सामान्य आरक्षित	<u>2391.62</u>	<u>2491.62</u>	<u>1881.56</u>	1981.56
पालिसीधारकों का कोष:				
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित	3990.46		3502.02	
वर्ष के अन्त में बकाया दावों के लिए प्राक्कलित देयता	<u>5858.48</u>	<u>9846.94</u>	<u>4850.29</u>	<u>8352.31</u>
		<u>12338.56</u>		<u>10333.87</u>

विगत वर्ष में ₹1061.17 की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान ₹2004.69 करोड़ कुल निधियों की अभिवृद्धि रही। कम्पनी की कुल सम्पत्तियों ₹24003.08 करोड़ रही जो वर्ष 2011-12 में ₹19908.26 करोड़ थी।

Total Investment Income	CY				2101.90
	PY				1711.69
Provision for Doubtful Debts	CY				15.50
	PY				-128.00
Other Income less outgo	CY				-7.06
	PY				-127.53
Profit Before Tax	CY				858.50
	PY				331.06
Provision for Tax	CY				162.80
	PY				6.30
Profit After Tax	CY				695.70
	PY				324.76
Proposed Dividend	CY				139.14
	PY				0.00
Dividend Distribution Tax	CY				23.65
	PY				0.00
Tax Adjustment for earlier years	CY				2.15
	PY				0.45
Transfer to General Reserve/Contingency Reserve	CY				535.06
	PY				325.21

CAPITAL & FUNDS

(₹ in crore)

Particulars	2012-13		2011-12	
Shareholders' Fund :				
Paid-up Share Capital	100.00		100.00	
General Reserve	2391.62	2491.62	1881.56	1981.56
Policyholders' Fund :				
Reserve for Unexpired Risks	3990.46		3502.02	
Estimated Liability for Outstanding Claims at the end of the year	5856.48	9846.94	4850.29	8352.31
		12338.56		10333.87

The accretion in total funds in 2012-13 has been ₹2004.69 crore as against ₹1061.17 crore in the previous year. The total assets of the Company amounted to ₹24003.08 crore as against ₹19908.26 crore in the previous year.

शुद्ध उपगत दावा :

कुल शुद्ध उपगत दावा में कमी आई। उपगत दावा 2011-12 में 87.50% से घटकर 2012-13 में 85.57% रह गया। शुद्ध प्रतिधारण में कमी आयी जो पिछले वित्तीय वर्ष में 88.96% से घटकर वर्तमान वित्तीय वर्ष में 86.54% हो गया।

प्रबन्धन व्यय :

वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रबन्धन व्यय ₹1913.53 करोड़ रहा जो वर्ष 2011-12 में ₹1783.84 करोड़ था जब कि व्यय अनुपात (कुल अर्जित प्रीमियम पर) 3.75% घट गया।

धारा 40सी का अनुपालन :

	2012-13	2011-12
अधिनियम में निर्धारित कमीशन सहित व्यय प्रतिशत	29.16	29.12
अधिनियम में निर्धारित कमीशन सहित वास्तविक व्यय प्रतिशत।	26.55	28.66

उक्त प्रतिशत की गणना कम्पनी की जी.डी.पी.आई (भारत) के आधार पर की जाती है।

यह संतुष्टि का विषय है कि कम्पनी ने बीमा अधिनियम 1938 जो बीमा नियम 1938 के नियम 17-ई के पढ़ा जायेगा, की धारा 40-सी का अनुपालन किया।

कम्पनी ने वर्तमान वर्ष कर पूर्व शुद्ध लाभ ₹858.50 करोड़ दर्ज किया जबकि पिछले वर्ष कर पूर्व शुद्ध लाभ ₹331.06 करोड़ था।

अग्नि एवं मरीन पोर्टफोलियों में आधिक्य के रूप में क्रमशः ₹243.09 करोड़ व ₹101.03 करोड़ का लाभ रहा विविध बीमा पोर्टफोलियों के बीमालेखन निष्पादन में ₹133.89 करोड़ का हानि रही।

लाभांश:

कंपनी के वित्तीय निष्पादन के आधार पर निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर ₹139.14 करोड़ के लाभांश की संस्तुति की। लाभांश के रूप में कर सहित कुल राशि ₹162.79. करोड़ होगी।

शोधन क्षमता की अपेक्षाओं का अनुपालन:

कम्पनी की शोधन क्षमता 31 मार्च, 2013 को 1.50 है जब कि 31 मार्च, 2012 को यह 1.37 थी।

(₹ करोड़ में)

आईआरडीए के नियमानुसार वांछित शोधन क्षमता।	1607.09
उपलब्ध/वर्तमान शोधन क्षमता।	2417.74

उक्त के अनुसार उपलब्ध शोधन क्षमता को प्राप्त करने के लिए निवेश की बुक बैल्यू को लिया गया है। अन्य शब्दों में ₹7060.29 करोड़ के परिवर्तित मूल्य को शोधन क्षमता की गणना में नहीं लिया गया है।

क्रिसिल रेटिंग:

क्रिसिल रेटिंग एजेंसी द्वारा वित्तीय शक्ति रेटिंग के लिए कम्पनी को एएए/स्टेबल रेटिंग प्रदान की गई है जिससे पालिसीधारकों के प्रति दायित्वों को पूरा करने की सर्वाधिक वित्तीय शक्ति प्रदर्शित होती है।

विदेशी विनिमय आय तथा व्यय:

विदेशी मुद्रा में कुल आय तथा व्यय क्रमशः ₹74.82 करोड़ और ₹54.44 करोड़ था। आय में आवक पुनर्बीमा अर्पण पर दावा वसूली तथा निधियों एवं निवेशों की आवक जमा शामिल है, जबकि व्यय में जावक पुनर्बीमा अर्पण आवक पुनर्बीमा स्वीकृति पर दावा निष्पादन आदि शामिल है।

निवेश:

31 मार्च, 2013 को भारत में कुल निवेश ₹13101.78 करोड़ हुआ जो पिछले 31 मार्च, 2012 को ₹10730.17 करोड़ था। इसमें से समाजोन्मुख क्षेत्रों, जिसमें शामिल है केन्द्रीय व राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, सरकारी गारंटीयुक्त बंध-पत्र, ढाँचागत बंध-पत्र, आवास और अग्नि शमन उपकरणों के लिए हुडको और विभिन्न राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों में 31 मार्च 2013 को ₹7025.08 करोड़ का निवेश हुआ जो पिछले वर्ष 31 मार्च, 2012 को ₹5268.61 करोड़ था।

NET INCURRED CLAIMS:

The overall Net Incurred Claim has gone down from 87.50% in 2011-12 to 85.57% in 2012-13 with decrease in Net Retention from 88.96% in the last fiscal to 86.54% in the current fiscal.

EXPENSES OF MANAGEMENT:

Total expenses of management for the fiscal 2012-13 were ₹1913.53 crore as against ₹1783.84 crore in 2011-12 while expense ratio (on earned premium) has come down by 3.75%.

COMPLIANCE WITH SECTION 40C

	2012-13	2011-12
Percentage of expenses including commission prescribed under the Act	29.16	29.12
Company's actual percentage of expenses including commission	26.55	28.66

The above percentages are calculated on GDP (India) of the Company.

It is a matter of satisfaction that the Company has complied with Section 40C of the Insurance Act, 1938, read with Rule 17E of the Insurance Rules, 1939.

The Company has recorded a Net Profit Before Tax of ₹858.50 crore in the current year as against Net Profit Before Tax of ₹331.06 crore in the previous year.

Fire and Marine portfolio has shown to be profitable resulting in a surplus of ₹243.09 crore and ₹101.03 crore respectively. The underwriting performance of Miscellaneous portfolio has shown good performance showing a surplus of ₹133.89 crore.

DIVIDEND:

Considering the financial performance of the Company, your Directors are pleased to recommend a dividend of ₹139.14 crore for the financial year ended 31st March 2013. Total outgo in the form of dividend including taxes will be ₹162.79 crore.

COMPLIANCE OF SOLVENCY MARGIN REQUIREMENTS:

The Company has the solvency margin of 1.50 as at 31st March 2013 as against 1.37 as at 31st March 2012.

(₹ in crore)

Required Solvency Margin under IRDA Regulation	1607.09
Available Solvency Margin	2417.74

For the purpose of arriving at available solvency margin as above, book value of Investment has been considered as prescribed. In other words Fair Value Change of ₹7060.29 crore is not considered for the calculation of solvency margin.

CRISIL RATING:

The Company continues to enjoy the 'AAA/STABLE' rating by CRISIL, which reflects the highest financial strength to meet the policyholders' obligations.

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO:

The income and outgo in foreign exchange aggregated to ₹74.82 crore and ₹54.44 crore respectively. The income was on account of inward reinsurance acceptances, claims recovery on outward reinsurance cessions, inward remittances of funds and investments, while outgo was due to outward reinsurance cessions, claim settlement on inward reinsurance acceptances.

INVESTMENT:

The total Investments in India as on 31st March 2013 was ₹13101.78 crore as against ₹10730.17 crore as on 31st March 2012. Out of this, investments in Socially-oriented Sectors which include Central and State Government Securities, Government Guaranteed Bonds, Infrastructure Bonds, Loans to HUDCO and various State Governments for Housing and Fire Fighting Equipments amounted to ₹7025.08 crore as on 31st March 2013 as against ₹5268.61 crore as on 31st March 2012.

कम्पनी ने सेकंडरी मार्केट में प्रचालन जारी रखा और कम्पनी की प्रतिभूतियों की बिक्री से अर्जित लाभ वर्तमान वर्ष में ₹1022.75 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष ₹822.32 करोड़ था। वर्ष के दौरान कुल निवेश आय (विक्री/विमोचन पर लाभ सहित) ₹2101.90 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष ₹1711.69 करोड़ था। वर्ष 2012-13 में निवेश से (लाभ सहित) 17.63% प्राप्त हुआ जो पिछले वर्ष 17.90% था।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने निवेश कार्पस में ₹2371.61 करोड़ संचय किया जो पिछले वर्ष ₹2343.51 करोड़ था।

कम्पनी ने ऋण तथा ऋणपत्र को वर्गीकरण और निष्क्रिय सम्पत्ति के लिए वित्तीय संस्थानों पर लागू प्रावधान से संबंधित आईआरडीए के नियमों का पालन किया। सकल निष्क्रिय सम्पत्ति के लिए प्रावधान घटकर ₹4.42 करोड़ हुआ और निष्क्रिय सम्पत्ति का शुद्ध प्रतिशत घटकर वर्तमान वर्ष में शून्य रहा जो पिछले वर्ष 0.06% था। कम्पनी ने वर्ष के दौरान निष्क्रिय सम्पत्ति से ₹6.36 करोड़ की प्रतिपूर्ति की।

वर्ष के दौरान अपलिखित निवेश ₹2.94 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष ₹2.23 करोड़ था।

31 मार्च, 2013 को भारत में इक्विटी निवेश का कुल बही मूल्य ₹3146.67 करोड़ था। इन निवेशों का अद्यतन फेयर वेल्यु ₹10206.94 करोड़ था जो बही मूल्य के 324.37% को प्रदर्शित करता है।

पुनर्बीमा:

वर्ष 2012 के सौम्य प्रथम अर्ध के उपरान्त दूसरी छमाही के दौरान अमेरिका में हरिकेन सैंडि व सूखे के बाद लगभग 140 बिलियन यूएस डॉलर तक का आपदाओं से कुल आर्थिक क्षति हुई। पुनर्बीमा रिपोर्ट के अनुसार, एशिया पैसिफिक तथा दक्षिण अमेरिका में बाढ़ व रिकार्ड भूकम्प के फलस्वरूप दो वर्षों के ऐतिहासिक हानियों के उपरान्त वर्ष 2012 में अमेरिका में प्रमुखतः मौसम संबंधित क्षतियाँ हावी रहेंगे। पिछले एक सदी में वर्ष 2012 सर्वाधिक उष्ण में फसल नष्ट हो गये जिससे लगभग 15 बिलियन यूएस डॉलर का कृषि इतिहास का सबसे बड़ा क्षति रहा। उद्योगों/कारखानों में हुई हानियों के संबंध में वर्ष 2012 द्वितीय महंगा वर्ष

रहा जो कि वर्ष 2005 के तुरन्त बाद ही है जिस वर्ष उद्योगों का 60 अरब यूएस डॉलर का वार्षिक आपदा संबंधी लागत रहा।

एशियाई क्षेत्र में सौम्य के पुनर्बीमा वर्ष 2012 व 2011 के तबाहीपूर्ण घटनाओं के प्रति बाजार के तीव्र प्रतिक्रिया के पश्चात यथा-अपेक्षित रूप से सम्पत्ति वर्ग के व्यवसाय के दर आंकलन स्तर को सही और सामान्यीकृत किया गया। मरीन बाजार के लिए यह हाल के इतिहास का सबसे बुरा बीमालेखन वर्ष रहा। वर्ष 2011 से रेना हानि के हास प्रथा कोस्टा कॅनकॅडिया से हुई हानि के साथ-साथ सुपर तूफान सैन्डी को व्यापक रूप से आज तक हुई मरीन हानि में सबसे बड़ा माना जाता है जिसमें नौकाओं मनोरंजक, जलयान, सामान्य पोतभार आयातित गाडियाँ, नकदी और अंतर्देशीय पारवहन से हुई हानियाँ शामिल थी। इसके फलस्वरूप मेरीन बीमा दरें और सख्त हुई तथा बीमालेखन क्षमता भी काफी कम हो गई। इस हानि को कम करने के लिए अनेक खरीददार लॉस हिट प्रोग्रामों पर बीमालेखन क्षमता बढ़ा दिया जो कि कम से कम 15 प्रतिशत से अधिक था। इसके साथ साथ हानि रहित ऑफ-शोर एर्नर्जि एक्सेस आफ लॉस संबिदाओं की भी रिटेनशन बढ़ा दिए गए। दूसरे तरफ एविएशन वर्ग, विशेष कर एयरलाइन्स पिछले तीन वर्षों से लगातार अच्छे दौर से गुजर रहा है जिससे औसत से भी कम वार्षिक हानि तथा एयरलाइन्स कोई प्रमुख हानि न होने पर सुलभ बाजार हासिल कर चुके हैं।

अनुमानतः वैश्विक अर्थ व्यवस्था वर्ष 2013 में इस रूप में इजाफा हो जाने पर पुनर्बीमा की मांग व बीमा उद्योगों में विकास इसी प्रकार बरकरार रहेगा केवल नये विकास के क्षेत्रों को छोड़कर। वैश्विक पुनर्बीमा उद्योग का पर्याप्त पूंजी आधार रहा तथा नई पूंजी के त्वरित अंतरवाह से उपकृत हुआ है, विशेषकर वैकल्पिक गैर सह-संबद्ध निवेश संवर्ग के रूप में ईवेंट रिस्क के प्रति आकर्षित हुये लंबी अवधि के निवेशकों से प्राप्त पूंजी द्वारा। व्यापक रूप से विशिष्ट पूंजी स्तर के साथ वर्ष 2012 के विपत्तिपूर्ण घटनाओं का इन पूंजी पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पर, दल क्षेत्रों को छोड़कर जिनका लगातार अबगति हुई है, बाकी क्षेत्रों के दरों में वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष बाजार की स्थिति के संबंध में हताशापूर्ण बाजार की वजह से ट्रीटी पुर्बीमा बाजार के परिणाम असंतोषजनक रहे। दरों में वृद्धि हेतु यह आवश्यक है कि वर्ष 2013 में बाजार को बदलनेवाली घटनायें घटे या एक और सौम्य दावा वर्ष हो जिसका असर मूल दरों पर पड़े।

The Company continued to operate actively in the Secondary Market. The profit earned on sale and redemption of securities during the year was ₹1022.75 crore as against last year's figure of ₹822.32 crore. The total investment Income (inclusive of profit on sale / redemption) during the year was ₹2101.90 crore as against ₹1711.69 crore in the previous year. The yield on investment (with profit) for 2012-13 was 17.63% as against 17.90% in the previous year.

During the year the Company added ₹2371.61 crore to its investment corpus as against ₹2343.51 crore in the previous year.

The Company has followed the norms prescribed by IRDA relating to classification of Loans and Debentures and provision for Non Performing Assets (NPA). The total provision for NPA has decreased by ₹4.42 crore and the net NPA percentage has become zero in the current year as compared to 0.06% in previous year. The Company has recovered ₹6.36 crore from NPA during the year.

Investment written off/down during the year was ₹2.94 crore as against the last year's figure of ₹2.23 crore.

The aggregate book value of Equity Investments in India as on 31st March 2013 amounted to ₹3146.67 crore. The fair value of these investments as on date was ₹10206.94 crore, representing 324.37% of book value.

REINSURANCE:

After a benign first half year in 2012, Hurricane Sandy and drought in the U.S. in the second half led to total economic losses from disasters to US\$ 140 billion. As per Reinsurance reports, after two years of historic losses arising from record earthquakes and floods in Asia-Pacific and South America, 2012 is dominated by large, weather-related losses in the U.S. The year 2012 being the warmest year for over a century resulted in crop failures across half of acreage and agricultural losses of USD 15 billion, the largest in US agricultural history. 2012 was the second costliest

year in terms of losses to the industry, only next to 2005 with annual catastrophe cost to the industry at about USD 60 billion.

After a strong reaction of the market to the catastrophic events of 2011 and benign 2012 in Asian regions, rating levels for property class as expected, was corrected and normalized. The Marine market suffered one of its worst underwriting years in recent history. In addition to losses from the Costa Concordia and the deterioration of the Rena loss from 2011, Super storm Sandy is widely expected to be the largest ever Marine loss with losses coming from yachts and pleasure craft, general cargo, imported cars, specie and inland transit. This led to Marine rates hardening and capacity shrinking considerably. To mitigate this many buyers increased retentions on loss hit programs which were a minimum of plus 15%, even on loss-free offshore Energy excess of loss contracts. Aviation class on the other hand, particularly airlines had a good run for the 3rd year in a row with less than average annual losses and no major airline losses leading to a very soft market condition.

With global economies expected to only chug along into 2013, growth of insurance industry and demand for reinsurance will continue to remain subdued barring the new growth regions of the world. The capital base of the global reinsurance industry remains adequate and has benefitted from an accelerating inflow of new capital, particularly, from long term investors drawn to event risk as an alternative non correlated investment class. Overall with significant capital levels and 2012 catastrophic events generally not denting these capitals, rating levels have held up barring the entities in regions which have seen sovereign downgrades. The treaty reinsurance market remained dissatisfied with their results with a permeating air of despondency regarding the state of the direct market. It remains to be seen if 2013 will see occurrence of the market changing event(s) most deem necessary in order for rates to improve, or whether we see another benign claims year with its associated effect on original rates.

विश्व भर में विपत्तिपूर्ण क्षति की घटनाओं के घटित होने पर पिछले कुछ वर्षों में 1 अप्रैल 2012 तक भारत की नवीकरण व्यापार को सख्त बाजार का सामना करना पड़ा जबकि इस क्षेत्र में कोई प्रमुख नैटकैट घटना घटित नहीं हुई परन्तु विश्वभर में हुई क्षतियों के कारण कैट-विनिदिष्ट कार्यक्रमों में शक्ति आई। ऐसे अवसर भी आये जब पुनर्बीमाकर्ताओं ने यह मांग की कि प्रोपोर्शनल ट्रीटी से विपत्तिपूर्ण घटना जोखिमों को हटा दिया जाए तथा मात्र जोखिमों हेतु ही संरक्षण प्रदान किया जाये। तद्उपरान्त, भारतीय बाजार, जो प्रोपोर्शनल ट्रीटी पर भारी स्तर तक आधारित रहता है, इस क्षमता को इस वर्ष सीमित पाया गया, विशेषकर नये व वैकल्पिक प्रो-राटा क्षमता खोजने के मामलों में सामान्य रूप से यह एक पूर्व नवीकरण अनुमान था कि संभावित शक्त बाजार की बजट से खर्च पर एक्सेस ऑफ लॉस के रूट से खरीदी गई क्षमता में विशेष वृद्धि होगी।

वर्ष 2010-11 हेतु हमारे प्रोपोर्शनल ट्रीटियों के नवीकरण परिचियों को समाप्त हो रहे शर्तों व प्रतिबन्धों के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतारा गया था। देश के बीमा बाजार प्रवेश के फलस्वरूप फुटकर बिक्री, बुनियादी ढांचे व एम एम ई के सम्भावित वृद्धि को पकड़ने के लिए मरीन पोत व विविध बीमा ट्रीटियों की सीमा बढ़ाई गई। सभी सरप्लस ट्रीटियों का कमीशन का स्तर समाप्त हो रहे स्तर के साथ एक समान रखा गया। गिरते पर व प्रतिकूल अनुभव पर नियंत्रण पाने हेतु पुनर्बीमाकर्ता आवक-फैकल्टेटिव, सह बीमा विदेश से प्राप्त हित पर सीमा लागू करने का प्रयास किये तथा आवरण की सीमा को भी प्रतिबंधित किये गये। यह मूल दर में सुधार करने का पूर्वगामी था क्योंकि बीमा कम्पनियों स्थानीय बाजार क्षमता पर निर्भर रहकर व पुनर्बीमा बाजार को प्रस्ताव न देकर बीमा दरों पर भारी प्रतिस्पर्धा हेतु समर्थ न होंगे दबाव के बावजूद, हम अपने स्लिप-टर्म पर सभी ट्रीटियों का नवीकरण करवा सके।

हमारे नॉन प्रोपोर्शनल प्रोग्रामों के संबंध में (नॉन ऐकाउंट एक्सेस लॉस प्रोग्राम) हमारे गैर-अनुपातिक कार्यक्रम के संबंध में हानि के अतिरिक्त शुद्ध खाते कार्यक्रम व्याक डाटा और संचय आकड़ों को हासिल करने हेतु हमारे वर्धित बीमालेखन सूचनाओं की प्रवृत्ति पुनर्बीमा के साथ लगातार अग्रसर है।

निवल मूल्य अनिवार्य अर्पण के क्रमिक स्केलिंग, वर्णत सीमा का परिलक्षित जोखिमों साथ सहगामी शुद्ध प्रतिधारण स्तर की वृद्धि।

हमारे कार्यक्रम पर पेशेवर पुनर्बीमाकर्ता से संपर्क किया गया। लंबी बातचीत के बाद मुख्य शर्तों को निर्धारित किया गया तथा तदनुसार स्लिप तैयार किया गया। हानि कार्यक्रम के अतिरिक्त तबाही को उद्भूत करनेवाले पुनर्बीमाकर्ता उपरी स्तर पर न्यूनतम क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर उपलब्ध कराये जाते हैं। हालांकि जोखिमों और पोर्टफोलियों संबंधी अनुभवों के साथ सहगामी प्रतिस्पर्धा शर्तों को प्राप्त करने और दरों को बढ़ाने हेतु हम सक्षम हैं।

पुनर्बीमा बाजार से प्रतिस्पर्धा दरों को प्राप्त करने के पश्चात हम हमारे पोर्टफोलियों में पुनर्बीमा संचालित खाता को शामिल करने तथा बरकरार रखने में सक्षम हुये हैं।

आईआरडीए से 'क्रेडिट बीमा उत्पाद' हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात हम पुनर्बीमा प्रबंधन को संरक्षित के साथ-साथ हमारे क्रेडिट बीमा पोर्टफोलियों को समर्थन करने वाले लोगों के लिए स्थानीय क्रेडिट प्रबंधन लाया गया।

दोनों अनुपातिक और हानि आधिक्य में भारतीय व्यापार के साथ नेपाल शाखा प्रत्यक्ष और घरेलू संकाय संबंधी व्यापार की सुरक्षा किया गया। लाभदायक परिणाम के कारण अग्नि और मरीन कार्गो श्रेणी में प्रतिधारण स्तर को बढ़ाया गया और उसके बाद उनकी क्षमता बढ़ाई गई।

कम्पनी के पास विदेशी स्वीकृत आवक पुनर्बीमा संबंधी सीमा हेतु एक पॉलिसी है। जोखिमों, खतरों तथा अनुभवों को समझाने के पश्चात कम्पनी चयनात्मक रूप से स्वीकार करती है। कम्पनी अपने खाते में मौजूद पुनः पुनर्बीमा के अलावा किसी और पुनः पुनर्बीमा खाते में भागीदारी करने से परहेज करती है। आवक व्यापार का बीमालेखन शुद्ध प्रीमियम आधार को और अच्छा बनाता है और ओवरसिज बाजार में प्रचलित रेटिंग और आवरण पर विस्तृत जानकारी रखता है।

कम्पनी के पास उच्च क्रेडिट पुनर्बीमा हेतु प्राप्त व्यापकता रखती है, जिनमें से अधिकांशतः को स्टैंडर्स और पुवर या अन्य रेटिंग एजेंसियों द्वारा 'बीबीबी' से रेट किया गया है।

टेक्नों मार्केटिंग :

वर्ष 2012 में भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर सेन्टर में विकास की गति धीमी रही जिसे मेक्रों आर्थिक परिवेश के द्वारा चिन्हित किया गया। पर्यावरण समाशोधन एवं भूमि अधिग्रहण में विलंब इसके प्रमुख क्षेत्र

Due to worldwide catastrophe loss activity over the past few years, Indian renewals faced a hardening market as at 1st April 2012. While there weren't any major NATCAT events in the region; however, the worldwide losses led to a hardening of CAT specific programs with introduction of event limits on proportional treaties. There were instances when reinsurers demanded that catastrophe exposure be removed from proportional treaties and cover given only for risk exposures. Further, the Indian market, which relies heavily on proportional treaty capacity, found this capacity to be limited this year, especially with respect to finding new or additional pro-rata capacity. There was a general pre-renewal expectation that a potentially hardening market would prompt a significant increase in capacity purchased via the excess of loss route at the expense of pro rata treaties.

The renewal slips of our Proportional Treaties for 2010-11 were floated in the International market with expiring terms and conditions. Limits of Marine Hull and Miscellaneous treaties were increased to tap the potential growth in retail, infrastructure and SME due to insurance penetration in the country. The commission levels of all the surplus treaties were maintained at expiring levels. In an attempt to control the falling rates and adverse experience, reinsurers tried to impose limitations on inward-facultative, coinsurance, interest's abroad and put restriction in coverages. This was to be a precursor to improve the original pricing as insurance companies would no longer afford to compete heavily on rates depending on local market capacities and not approaching the reinsurance markets. Notwithstanding the pressures, we were able to renew all the treaties at our slip terms.

With respect to our Non-proportional programme (Net Account excess of loss programme), the trend for enhanced underwriting information continued to escalate with reinsurers seeking comprehensive data and accumulation figures. Increased Net retention levels concomitant with Net worth, gradual scaling down of obligatory cession, amplified exposures necessitating enhanced limits. RI

Brokers and professional reinsurers of repute were approached to source competitive terms on our programme. After protracted negotiation, lead terms were finalized and RI slips prepared accordingly. Reinsurers quoting catastrophe excess of loss programs insisted on minimum ROLs for capacity being provided on top layers. However we were able to mitigate rate increase and obtain competitive terms concomitant with exposures and portfolio experience.

We have also been able to add and retain many large RI driven accounts in our portfolio by being able to obtain competitive facultative rates from the reinsurance market.

After obtaining approval of "Credit Insurance product" from IRDA, we were able to structure a reinsurance arrangement as well as put in place Credit Management partners who will support our credit insurance portfolio.

The direct and domestic facultative business from Nepal Branch is protected along with Indian Business in both our Proportional and excess of loss treaties. Due to profitable results, retention level was increased in Fire and Marine Cargo class thereby augmenting their capacity.

The Company has a policy of limited foreign inward acceptance of reinsurance. It selectively accepts inward reinsurance business after assessing the quality of risk, exposure and experience. The Company avoids participation in retrocession account, except those which are already in the books. Writing of inward business improves our net premium base and provides an insight into the rating and covers prevalent in overseas markets.

The Company has an adequate exposure to high credit quality re-insurers, with most of them being rated 'BBB' and above by Standard & Poor's or other rating agencies.

TECHNO-MARKETING DEPARTMENT :

The Indian infrastructure sector continues its sluggish journey in 2012, marked by poor macro economic forces. Delays in land acquisition and

रहे, जबकि संविदा को प्रभावी करने में निष्क्रियता अप्रभावी मानिटरिंग एवं उच्च इनपुट लागत ऐसे तथ्य रहे जिन्होंने विकास में अवरोधता उत्पन्न की। भारतीय बैंकों ने इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण के लिए अपनी अधिकतम सीमा तक ऋण देने का दावा किया है तथा और अधिक देने से मना किया जिससे देश में आने वाले नये प्रोजेक्ट्स प्रभावित होंगे। तथापि वर्ष 2012-13 की चतुर्थ तिमाही की समाप्ति पर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में वृद्धि की गतिविधि दिखाई पड़ी तथा हमने इसको बनाये रखने के लिये तैयारी कर ली है। वर्ष 2012-13 में हमारी इंजीनियरिंग वृद्धि दर सार्वजनिक उपक्रमों के समान 6% रही। हमारे अग्नि (Fire) पोर्टफोलियो में 23.8% की वृद्धि दर्ज की जो सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में सर्वोच्च रही।

टेक्नो मार्केटिंग विभाग की एक प्रमुख गतिविधि के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों को विभिन्न राज्यों में आनेवाले प्रोजेक्ट्स (बड़े या छोटे) के बारे में बताना रहा तथा यह सुनिश्चित करना रहा कि व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए बड़े कार्पोरेट एकाउंट को प्रस्तावित करने में हम प्रथम रहे हैं। इस सूचना को एकत्रित करने के लिए हमने मार्केट डाटाबेस को अंशदान दिया है तथा इसे क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा है ताकि वे प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल, ब्रोकर, प्रोमोटर, कांटेक्ट एवं लेडर को संपर्क कर सकें। वर्ष 2013 के प्रारंभ में टेक्नोमार्केटिंग विभाग में कार्मिकों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप हमें आशा है कि हम आनेवाले समय में इन गतिविधियों को और प्रभावी ढंग से लागू कर सकेंगे।

मोटर टीपी दावा :

वर्ष 2012-13 में मोटर टीपी केसों के प्रबंधन का महत्वपूर्ण क्षेत्र उनकी समीक्षा, पुराने इंजरी केसों की पुनः जाँच, केसों की भैतिक जाँच तथा विभिन्न विवाद निस्तारण तंत्र द्वारा केसों का निस्तारण जिसमें 5 वर्ष की अवधि से अधिक समय के लंबित केसों के लिए सोशल एक्सन प्लान के तहत कार्य किया गया। इस प्रक्रिया के माध्यम से समझौते के तहत 11062 केसों का ₹123.16 करोड़ का निस्तारण किया गया जिसके परिणामस्वरूप टीपी उपगत दावा अनुपात (IBNR रहित) 81% हो गया जो कि गत वर्ष 73% था। दावा निस्तारण दर गत वर्ष के 27.35% से बढ़कर 35.58% हो गया।

मोटर टीपी प्रकरणों के कामन मेकेनिज्म फार कंप्रोमाइज सेटलमेंट योजना (CMC STPC) जो उड़ीसा राज्य में कटक में 26 मार्च 2011 को लागू की गई लगातार दूसरे वर्ष भी प्रभावी रही। हमारी कम्पनी के प्रशासनिक नियंत्रण में वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान पश्चिम बंगाल के तमलुक एवं मिदनापुर में दो और केन्द्र खोले गये। ये सभी 7 केन्द्रों ने वर्ष 2012-13 के दौरान 28 बैठक सफलतापूर्वक पूरी की जिनमें 877 केसों का ₹28.26 करोड़ का निस्तारण समझौते के माध्यम से किया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान पूर्वी भारत के सिल्चर, अगरतल्ला, दुर्गापुर, वर्दवान एवं बेहरामपुर में नये केन्द्र खोलने की योजना है।

हमारे कार्पोरेट प्रशिक्षण केन्द्र एनसीआईएल, कोलकाता में प्रचलित कार्यालय स्तर पर ट्रिब्यूनल केसों को देख रहे अधिकारियों के लिए एक चार दिवसीय “मोटर टीपी मेनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम” का आयोजन किया गया। 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के 115 अधिकारियों को उनकी कार्यक्षमता में कौशल का विकास करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। शेष 9 क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों को वित्तीय वर्ष के दौरान प्रशिक्षित किये जाने की योजना बनाई गई।

जहाँ मोटर टीपी केसों की संख्या बहुत अधिक है, वहाँ पिछले दो वर्षों के दौरान केसों को प्रभावी ढंग से निस्तारित करने के लिए टीपी हब्स खोले गये। वर्तमान में चेन्नई, बंगलूर, हुबली, बेलगाम, हैदराबाद, विजयवाडा, मुम्बई, अहमदाबाद, जयपुर, लुधियाना एवं जम्मू के कुल 11 हब कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2013-14 में इस तरह के और हब खोले जाने तथा इनकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने की योजना है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान वित्त मंत्रालय के डीएफएस की पहल पर पूरे देश में लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक केसों के निस्तारण को वरीयता दी जायेगी जिसमें विशेष रूप से मंडल कार्यालय स्तर की कार्य प्रणाली, जहाँ टीपी क्लेम अधिक है, को सुधारने पर बल दिया जायेगा।

environmental clearances continue to be the key areas of concern, while the poor enforcement of contracts, ineffective monitoring and high input costs are also the factors that are hindering growth. Indian banks claim to have crossed their maximum exposure to infrastructure loans, and refuse to lend more which stunted the prospect of upcoming projects in the country. However, towards the end of the 4th quarter of 2012-13, we have seen some increased activity in the large projects market and we have geared ourselves to handle these. Though our engineering growth rate in the year 2012-13 remains almost 6% at par with PSU average, we have registered a growth rate of 23.8% in fire portfolio which is highest among PSU companies..

One of the main activities of Techno-Marketing department is to keep the Regional Offices apprised of the upcoming projects (big or small) in various states and ensure being the first mover in approaching large corporate accounts to increase the business base. We subscribe to market databases to collect this information and forward the same to the Regional Offices who then approach the respective principals, brokers, promoters, contractors and lenders of the projects. With the increase in workforce of Techno-Marketing department in early 2013, we hope to carry out these activities in a more concerted manner in the ensuing year.

MOTOR TP CLAIMS:

The management of Motor TP Claims continued to remain focus area in the year 2012-13 through review, reinvestigation of old injury cases, physical verification of cases and settlement through various Alternate Dispute Resolution Mechanisms by undertaking a Special Action Plan with emphasis on cases pending over 5 years. This exercise has helped in settlement of 11062 cases for a sum of ₹123.16 crore through conciliation and resulted in reduction of TP incurred claims ratio (without IBNR) from 81% (last year) to 73% with substantial enhancement in claims disposal ratio from 27.35% (last year) to 35.58%.

The success of "Common Mechanism for Compromise Settlement of Motor TP Cases" (CMCSTPC) scheme, which was launched at Cuttack in the state of Orissa on 26th March 2011, continued for the second successive year. Two more centres at Tamluk & Midnapore in the state of West Bengal were opened in fiscal 2012-13 under the administrative control of our Company. All these 7 centres have successfully completed 28 nos. of seating during the year 2012-13 resulting in compromise settlement of 877 nos. of cases for a sum of ₹28.26 crore. It has been planned to open more number of such centres during the year 2013-14 at Silchar, Agartala, Durgapur, Burdwan and Berhampore in Eastern India.

The in-house 4 days training programme on "Motor TP Claims Management" for the officers dealing with tribunal cases at the operating offices continued this year also in our corporate training centre NCIL, Kolkata. 115 officers from 7 ROs were trained during the year to enhance their skill and efficiency in handling of the Motor TP claims. It has been planned to complete the training of dealing officers from the remaining 9 ROs during the current financial year.

Where the concentration of cases is high, Motor TP hubs have been created during the last 2 years to deal with the cases in a focused and effective manner. Presently, 11 such Hubs are functioning at major centers in India viz., Chennai, Bangalore, Hubli, Belgaum, Hyderabad, Vijayawada, Mumbai, Ahmedabad, Jaipur, Ludhiana and Jammu. Plan has been drawn to open more number of such Claim Hubs in the financial year 2013-14 as well as to improve the functioning of the existing ones.

During the financial year 2013-14, high priority will be accorded for higher disposal rate of settlement of cases through Lok Adalats being held throughout India at the initiative of DFS, Ministry of Finance and to focus for improving the functioning of Divisional Offices where the concentration of Motor TP claims are high.

31 मार्च 2013 को बकाया एमएसीटी वाद मामलों का विश्लेषण

(₹ हजार में)

कब से लंबित	संख्या	राशि
3 माह से कम	12046	2502458
6 माह या कम किन्तु 3 माह से अधिक	9263	1395139
1 वर्ष या कम किन्तु 6 माह से अधिक	18099	2780529
3 वर्ष या कम किन्तु 1 माह से अधिक	35655	7189007
5 वर्ष या कम किन्तु 3 वर्ष से अधिक	27049	4087405
5 वर्ष से अधिक	54943	8058535
योग	157055	26013073

स्वास्थ्य बीमा प्रबन्धन :

स्वास्थ्य बीमा विभाग देश के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के क्षेत्र में अपनी एकाग्रता बनाये रखने के लिए संतत प्रयासरत है। हानि को कम करने तथा व्यवसाय को बढ़ाने एवं एक स्वस्थ पोर्टफोलियो बनाने पर विशेष बल दिया गया।

प्रीमियम वृद्धि :

वर्ष 2012-13 के दौरान स्वास्थ्य बीमा में 23.19% की दर से वृद्धि के साथ ₹2561.26 करोड़ का व्यवसाय हुआ जो पिछले वर्ष ₹2079.60 करोड़ था। कुल अभिवृद्धि लगभग ₹481.66 करोड़ है। स्वास्थ्य प्रीमियम ने कम्पनी की जीडीपीआई में 27.96% का योगदान दिया तथा पिछले वर्ष के समान ही बना रहा।

बीमालेखन सावधानियाँ :

समूह पालिसियों के बीमालेखन के समय वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार की सावधानियों पर ध्यान दिया गया। विशेष रूप से प्रस्ताव पत्र को स्वीकार करते समय जोखिम के अनुसार लाभ प्रदता मार्केट प्रतियोगिता को ध्यान में रखा जाता है। समूह पालिसियों के नवीकरण के संदर्भ में सभी कार्यों जैसे टीपीए, ब्रोकरेज, प्रबन्धन व्यय एवं प्रोजेक्ट डे आउटगो पर लाभ के बिन्दु के परिपेक्ष्य में अंडरराइटिंग क्लेम को लागू करने का प्रयास किया गया। स्वास्थ्य बीमा प्रबन्धन विभाग की हानियों के आय करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा विभिन्न परिपत्र जारी किये गये। कंबाइंड रेशियो को नियंत्रित करने के लिए

समूह स्वास्थ्य बीमा पालिसियों हेतु बीमालेखन दिशा निर्देश जारी किये गये। व्यक्तिगत एवं कार्पोरेट ग्राहकों की शिकायतों में सुधार करने के लिए ऐसे क्षेत्रीय कार्यालयों को जिनका आईसीआर 70% से कम है, को टीजीएमपीएस की स्वीकृति का अधिकार दिया गया तथा नवीकरण के प्रेस पीरियड को बढ़ाने एवं विलंब को माफ करने का भी अधिकार क्षेत्रीय कार्यालयों को दिया गया।

दावा नियंत्रक एवं टीपीए प्रबन्धन :

टीपीए के निष्पादन को बढ़ाने तथा आईसीआर को कम करने के उद्देश्य से एक परिपत्र दिनांक 26.07.2012 जारी किया गया जिसमें टीपीए के साथ नई सेवा स्तर का समझौता तथा निष्पादन शुल्क, सेवा मापदण्डों का विवरण उपलब्ध है।

ग्राहक सेवा :

व्यक्तिगत एवं ग्राहक आधारित होने के कारण स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में ग्राहकों की अपेक्षाएँ कम्पनी से अधिक होती है। ग्राहक संबंध विभाग में सूचित की जानेवाली शिकायतें प्राप्त होती है। स्वास्थ्य बीमा विभाग से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुई। विभाग द्वारा लगभग सभी शिकायतों का प्रभावी ढंग से प्रबन्ध किया गया।

स्वास्थ्य पालिसी के अंतर्गत आवरण :

वर्ष के दौरान 17.72 लाख पालिसियों के अंतर्गत 14192 समूह/टेलर्ड स्वास्थ्य पालिसियों के अतिरिक्त 43.28 लाख व्यक्तियों को आवरित किया गया।

Age-wise analysis of Outstanding Suit (MACT only) cases as at 31st March 2013

(Amount ₹ in '000)

Period of pendency	Nos.	Amount
Cases pending for less than 3 months	12046	2502458
Cases pending over 3 months up to 6 months	9263	1395139
Cases pending over 6 months up to 1 year	18099	2780529
Cases pending over 1 year up to 3 years	35655	7189007
Cases pending over 3 years up to 5 years	27049	4087405
Cases pending for more than 5 years	54943	8058535
Total	157055	26013073

HEALTH INSURANCE MANAGEMENT:

The Health Insurance department has continued to pursue the goal of becoming a lead player in the health insurance business in the country. Emphasis was put on growth with loss reduction for having self sustainable portfolio over a period of time.

Premium Growth

The Health Insurance business grew at a healthy rate of 23.19% to reach ₹2561.26 crore during the year 2012-13 as against the last year premium of ₹2079.60 crore. The accretion is around ₹481.66 crore. The health premium contributed 27.96% to total GDP of the Company and remained almost same like the previous year.

Underwriting Measures

A number of initiatives were taken during the year to bring in discipline in underwriting of Group policies. The main emphasis was on accepting proposals as per risk exposures without losing sight of profitability and market competition. Endeavors were made to implement "Underwriting claims" principles in group renewals policies by factoring in all expenses like TPA, brokerage, management expenses and element of profit on projected outgo. Various circulars were issued by the department in order to bring health insurance management in to a loss reduction one Underwriting guidelines for group health insurance policies was issued to control the Combined Ratio. In order to improve the

Individual Customers and Corporate Customers Service, partial delegation of authority to approve Tailor-made Group Mediclaim Policies (TGMPs) was given to ROs where ICR is below 70% & delegation of authority for extension in grace period on renewal and condonation of delay have also been given to ROs.

Claims control & TPA management

In order to enhance the performance of the TPA & to reduce the ICR a detail circular was issued dated 26th July 2012 with a new service level agreement with TPA was introduced with a performance linked fees with a detail service parameter.

Customer Service

Health Insurance being a very personal and customer sensitive, always there is high expectations of the customer from the Company. A large number of grievances pour in to the department in addition to what is reported to our Customer Relationship Management Department directly. These were handled very effectively by the department.

Coverage under Health Policies

During the year, 17.72 lac numbers of retail health policies were issued covering 43.28 lac persons in addition 14,192 group/tailored health policies were issued.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा :

वर्ष के दौरान कम्पनी ने 6 राज्यों, पश्चिम बंगाल, आसाम, गुजरात, मिजोरम, हरियाणा एवं राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर गरीबी रेखा से नीचे के 1,17,52,608 व्यक्तियों को आवरित किया गया।

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना :

स्वास्थ्य बीमा को लागू करने के लिए हमारी कम्पनी ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता किया है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल, अंतायोदया, अन्नपूर्णा एवं महाराष्ट्र के 8 जिलों से संबंधित एपीएल के अंतर्गत कुल 49.03 लाख परिवारों को आवरित किया गया है।

अग्नि एवं इंजीनियरिंग बीमा :

वर्ष 2012-13 के दौरान सम्पत्ति के मद में कम्पनी का कुल व्यवसाय ₹1167 करोड़ से अधिक रहा। कुल जीडीपीआई में इसका योगदान 12.73% का है। अग्नि एवं इंजीनियरिंग दोनों में वृद्धि हुई। अग्नि विभाग में वर्ष 2012-13 के दौरान सुधार हुआ तथा

वृद्धि दर 24.72% रही जो वर्ष 2011-12 में 18.63% थी। वित्तीय वर्ष के अंत में अग्नि विभाग की प्रीमियम राशि ₹846 करोड़ थी।

इंजीनियरिंग पोर्टफोलियो में वृद्ध वर्ष 2012-13 में वृद्धि दर 5.7% जो पिछले वर्ष की तुलना में कम थी। इंजीनियरिंग विभाग में इस गिरावट का प्रमुख कारण इंफ्रास्ट्रक्चर एवं निर्माण सेक्टर में मंदी का प्रभावी रहना था। वर्ष 2012-13 के दौरान इंजीनियरिंग विभाग का प्रीमियम ₹321 करोड़ रहा जो वर्ष 2011-12 में ₹302 करोड़ था।

वर्ष 2012-13 के दौरान अग्नि एवं इंजीनियरिंग विभाग के आईसीआर में सुधार हुआ। अग्नि विभाग का उपगत दावा अनुपात सुधार के पश्चात 30.49% रहा जबकि वर्ष 2011-12 में 62% था। इंजीनियरिंग व्यवसाय में उपगत दावा अनुपात 39.52% रहा जो वर्ष 2011-12 में 46.34% था। बीमालेखन एवं दावा प्रबन्धन के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कार्य का उक्त परिणाम रहा।

अग्नि एवं इंजीनियरिंग व्यवसाय में वर्ष 2012-13 के दौरान में निष्पादन निम्न सारिणी के अनुसार रहा।

विभक्त	जारी पालिसियों की संख्या	कुल बीमित राशि (₹ करोड़ में)	अर्जित प्रीमियम (₹ करोड़ में)	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त दावा राशि (₹ करोड़ में)	उपगत हानि अनुपात (%) (जीडीपीआई पर)
अग्नि	5,56,133	1,66,60,729	846.17	4925	3344	304.22	30.49
इंजीनियरिंग	38,750	6,36,418	321.38	8952	6394	82.05	39.52

कम्पनी ने एसटीएफआई एवं भूकंप आपदा की दरों में सुधार का प्रयास किया। दर का निर्धारण आईसीआर एवं जोखिम की स्थिति के आधार पर किया गया। जहाँ तक संभव हो सका जोखिमों का निरीक्षण किया गया तथा जोखिम सुधार एवं हानि को कम करने के उपाय पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य व्यवसाय की गुणवत्ता को बनाये रखते हुए समुचित पृष्ठांकन/वारंटो लगाना है जो जोखिम को बेहतर तरीके से परिभाषित कर सके।

अग्नि व्यवसाय में अपनाई जानेवाली रणनीति के लिए कम्पनी ने दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसमें बेहतर बीमालेखन नियंत्रण एवं दरों में संशोधन पर बल दिया गया है। अंडर-कोटिंग के माध्यम से अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय को प्राप्त करने पर निषेध है तथा दरों में सुधार के लिए हर संभव कदम उठाये गये हैं। बीमालेखन नियंत्रण निम्न जोखिमों जैसे काटन, गिनिंग एवं प्रेस फैक्ट्री, प्लास्टिक सामान निर्माण इकाई, जूट मिल्स एवं पानी में कार्य पर प्रभावी है। एमएलओपी/एएलओपी की रेटिंग हाइड्रो पावर जोखिमों को आवरित

Rashtriya Swasthya Bima

The Company implemented Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) in 6 States of West Bengal, Assam, Gujarat, Mizoram, Haryana & Rajasthan during the year and covered 1,17,52,608 BPL persons.

Rajiv Gandhi Jeevandayee Arogya Yojana

Our Company made an agreement with the Government of Maharashtra for implementation of Health Insurance. This scheme has covered 49.03 lac families of BPL, Antayodaya, Annapurna and APL belonging to 8 districts of Maharashtra.

FIRE & ENGINEERING INSURANCE

The total business of the Company in the property segment crossed ₹1167 crore during the year 2012-13. Its contribution to total GDPI is 12.73%. There has been growth in both the Fire and Engineering segments. The growth rate of 24.72% in the fire segment during the year 2012-13 is an improvement over the growth rate of 18.63% achieved during 2011-12. The premium in Fire segment reached at ₹846 crore at the end of the financial year.

The Engineering portfolio also grew but the growth rate of 5.7% during the year 2012-13 is less than that of the growth rate of previous year. The slowdown in the growth in the Engineering department is attributed mainly due to the slowdown in the infrastructure and construction sectors. The total engineering premium reached ₹321 crore during the year 2012-13 as compared to ₹302 crore during the year 2011-12.

There has been a considerable improvement in the ICR of both Fire and Engineering segments during the year 2012-13. The incurred claim ratio in Fire segment improved to 30.49% as compared to 62% for the year 2011-12. In the Engineering class of business also the incurred claim ratio improved to 39.52% compared to ICR of 46.34% in 2011-12. The aforesaid results have been mainly due to the underwriting philosophy and effective claims management adopted during the year.

The overall performance of the Fire and Engineering segments for the year 2012-13 is as per table below:

Segment	Number of Policies issued	Total Sum Insured (₹ in crore)	Premium Received (₹ in crore)	Number of Claims reported	Number of claims settled	Amount of claims paid (₹ in crore)	Incurred Loss Ratio (%) (on GDPI)
Fire	5,56,133	1,66,60,729	846.17	4925	3344	304.22	30.49
Engineering	38,750	6,36,418	321.38	8952	6394	82.05	39.52

The Company made efforts for price correction in respect of STFI and Earthquake perils. Pricing was done on the basis of ICR and the physical features of the risk. As far as possible risks were inspected and emphasis was on risk improvement/loss minimization. The motto has been to arrive at terms depending on the quality of business on offer and imposing appropriate endorsements/warranties which describe the risk better. Deductibles were imposed for risks depending on their profile/sum insured.

The Company also issued guidelines on the strategy to be adopted in fire business which emphasized on better underwriting control and improvement in prices thereby resulting in price correction. There is restriction on snatching of other PSU business by under-quoting and as far as possible steps taken for price correction. Underwriting controls are in place for risks like cotton ginning and press factories, plastic goods manufacturing units, jute mills and works in water. Rating of MLOP/ALOP covers, hydro power risks (both operational and

करती है तथा अग्नि आवरण पोर्ट पर खुले में रखे कोयले के स्टॉक की बीमित राशि के निर्धारण के लिए प्रधान कार्यालय स्तर पर केन्द्रित है। एएलओपी बीमालेखन एवं ट्रिटी लिमिटेशन संबंधी दिशा निर्देश उपलब्ध है

विदेश प्रचालन :

कम्पनी का प्रचालन केवल नेपाल में है।

नेपाल :

नेपाल का प्रचालन 7 कार्यालयों के माध्यम से होता है जिनमें नियंत्रक कार्यालय एवं 3 शाखा कार्यालय काठमांडू में स्थिति है तथा

विदेश शाखा परिणाम

अन्य तीन बीरगंज, बिराटनगर एवं नेपालगंज में है। दो एक्सटेंसन सेंटर बीरगंज शाखा के अंतर्गत जनपुर एवं हेटौंदा में स्थित है। पूर्व वर्षों की तरह नेपाल कार्यालय ने संतोषजनक वृद्धि दर्शाई है।

हांग-कांग :

हांग-कांग शाखा में 18 फरवरी 2002 से नये व्यवसाय स्वीकार करना बंद कर दिया गया है तथापि न्यू इंडिया द्वारा वर्तमान पालिसी एवं दावा संबंधी सेवाएँ दी जा रही है।

वर्ष 2012-13 में विदेश प्रचालन का कार्यकारी परिणाम निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	नेपाल		हांगकांग		योग	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	28.89	25.00	0.00	0.00	28.89	25.00
शुद्ध प्रीमियम	20.95	17.66	0.00	0.00	20.95	17.66
शुद्ध उपगत दावा	9.28	4.31	-1.71	-0.26	7.57	4.05
शुद्ध कमीशन	0.94	0.78	0.00	0.00	0.94	0.78
प्रबन्धन वर्ष	4.46	4.25	0.44	0.28	4.90	4.53
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में कमी/वृद्धि	1.88	0.20	0.00	0	1.88	0.20
निवेश तथा अन्य आय	6.11	6.12	0.28	0.24	6.39	6.36
विदेशी मुद्रा लाभ/हानि	-0.04	0.50	2.23	4.17	2.19	4.67
शुद्ध लाभ (+) / हानि (-)	10.46	14.74	3.78	4.39	14.24	19.13

ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र व्यवसाय:

वर्ष 2012-13 के दौरान ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र की उपलब्धियों का विवरण निम्नवत है:

वर्ष	भारत में लिखित कुल सकल प्रीमियम (₹ करोड़ में)	ग्रामीण क्षेत्रों में बीमित पालिसियां (संख्या)	ग्रामीण क्षेत्रों में बीमित सकल प्रीमियम (₹ करोड़ में)	कुल जीडी पीआई से ग्रामीण व्यवसाय का% (4/2x100)	क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लक्ष्य पूरे हुए (हां/नहीं)	सामाजिक क्षेत्र में संरक्षित जीवन की संख्या	क्या सामाजिक क्षेत्रों के लक्ष्य पूरे हुए (हां/नहीं)
1	2	3	4	5	6	7	8
2012-13	9165.73	2962922	654.98	7.15%	हां	39901548	हां

projects) and fire cover for stocks of coal in open at port premises are all centralized at Head-Office irrespective of the sum insured. Guidelines pertaining to information on ALOP underwriting and treaty limitations are also in place.

FOREIGN OPERATIONS:

The Company has operations in Nepal only.

Nepal:

Our Nepal Operation is conducted through 7 offices of which the Controlling Office and 3 Branch Offices are located in Kathmandu – the other 3 are located

in Birganj, Biratnagar and Nepalganj respectively. Two Extension Centres are located at Janakpur and Hetauda under Birgunj Branch. As in earlier years, Nepal Office has shown satisfactory growth even in the past fiscal.

Hong Kong:

Hong Kong branch stopped accepting new business since 18th February 2002. The run-off operations are being handled by 'New India' who continues to service existing policy and claims.

The working result of our Foreign Operations for the year 2012-13 is as follows:

FOREIGN BRANCH RESULTS :

(₹ in crore)

Particulars	Nepal		Hongkong		Total	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
Gross Direct Premium	28.89	25.00	0.00	0.00	28.89	25.00
Net Premium	20.95	17.66	0.00	0.00	20.95	17.66
Net Incurred Claims	9.28	4.31	-1.71	-0.26	7.57	4.05
Net Commission	0.94	0.78	0.00	0.00	0.94	0.78
Expenses of Management	4.46	4.25	0.44	0.28	4.90	4.53
Decrease/Increase in Reserve for Unexpired Risk	1.88	0.20	0.00	0	1.88	0.20
Investment and other Income	6.11	6.12	0.28	0.24	6.39	6.36
Foreign Exchange Gain/Loss	-0.04	0.50	2.23	4.17	2.19	4.67
Net Profit (+)/Loss (-)	10.46	14.74	3.78	4.39	14.24	19.13

RURAL & SOCIAL SECTOR BUSINESS:

Rural & Social Sector obligations and achievements with details in respect of the year 2012-13 are furnished herein below :

Year	Total Gross Premium under written in India (₹ in crores)	Policies u/w in Rural areas (in nos.)	Gross Premium u/w in Rural areas (₹ in crores)	% of Rural business to Total GDP (Col 4/2x100)	Whether Rural Sector stipulations met? (Yes/No)	No. of lives covered in the Social Sector	Whether Social Sector stipulations met? (Yes/No)
1	2	3	4	5	6	7	8
2012-13	9165.73	2962922	654.98	7.15%	Yes	39901548	Yes

संगठनात्मक व्यवस्था :

31 मार्च 2013, 1477 क्षेत्रीय, मंडल, शाखा एवं व्यवसाय केन्द्रों की स्थिति निम्नवत है :

क्षे.का.	28	मं. का.	351
शा.का. डाइरेक्ट अभिकर्ता शाखा	598	व्यवसाय केन्द्र	500

वर्ष के दौरान आईआरडीए के अनुमोदन के अनुसार दिल्ली एवं जोधपुर में नये क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये। आईआरडीए द्वारा दिल्ली (चतुर्थ) मुम्बई (तृतीय) एवं मदुरै में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की अनुमति प्राप्त हो गई है जिसे आगामी वित्तीय वर्ष में खोला जायेगा। कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय-1 के अंतर्गत कोर्पोरेट व्यवसाय सेल का स्थापना की गई।

बीमा व्यवसाय क्षेत्र के बाजार-प्रवेश हेतु अल्प-सेवित बाजार में अपने पहुँच का विस्तारण:-

- भारत के सबसे कम प्रवेशित 15 राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों जैसे मनीपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मिर, आन्ध्रप्रदेश व निकोबर द्वीप समूह दमन व दिउ, दादर व नगर, हवेली, लक्षाद्वीप, गोवा व पॉन्डिचेरी के ग्राहकों तक पहुँचने हेतु कम्पनी अपनी बृहत भौगोलिक नेटवर्क का इस्तमाल कर रही है।
भारत सरकार के वित्तीय समावेशन योजना (एफ.आई.पी) के तहत देश भर के उन टियर 1 से IV शहरों जहाँ की जनसंख्या कम से कम 10,000 व्यक्ति है, वहाँ कुल 506 कार्यालय/व्यवसाय केन्द्र खोलने हेतु अनुमोदन प्राप्त किया गया है, जिसमें से 136 कार्यालय दिनांक 31 मार्च 2013 तक खोले जा चुके हैं।
- एफ.आई.पी. के तहत खोले जा रहे कार्यालयों की संख्या में वृद्धि लाने हेतु व व्यवसाय केन्द्रों के कार्य-निष्पादन को बेहतर करने तथा साथ ही साथ फुटकर बीमा व्यवसाय के जरिए बीमा जानकारी के प्रचार हेतु कम्पनी ने देश भर में डेडिकेटेड वर्टिकल-व्यवसाय केन्द्र हब खोले हैं। ये हब व्यवसाय-केन्द्रों के दैनिक कार्य-निष्पादन को मॉनिटर करेगी।
- व्यवसाय केन्द्रों में कार्यरत अभिकर्ताओं के विकास व प्रबंधन के जरिए लगभग ग्राहक के द्वार तक बीमा सेवा उपलब्ध करवाना।
- टियर V व VI शहरों में माइक्रो अभिकर्ता नियुक्त कर हमारे वर्तमान अभिकर्ता टीम को प्रसारित करना।
- त्वरित दावा निपटान सुनिश्चित करना।

महत्वपूर्ण योजनाओं का परिचय :

अभिकर्ताओं को प्रभावित करने के लिए प्राइवेट कार, दुपहिया वाहन, व्यवसायिक वाहन तथा स्वास्थ्य पालिसियाँ बेचने पर एक प्रोत्साहन योजना जनवरी से मार्च 2013 चलाई गई है।

कार्यक्रम:

- ✓ श्रेष्ठ निष्पादनकर्ता, अभिकर्ता, विकास अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी (विकास) एवं सहायक प्रबन्धक (विकास) की क्षेत्रवार बैठक आयोजित की गई।
- ✓ निष्पादन की समीक्षा हेतु क्षेत्रीय प्रभारियों की बैठक का आयोजन मई 2012 में किया गया।

स्ट्रेटिजिक एलायन्स विभाग की गतिविधियाँ

कम्पनी ने मारुति, हिरो मोटर कार, टाटा मोटर्स (पीसीबीयू एवं सीबीबीयू), टाटा मोटर्स फाईनांस लिमिटेड, होन्डा मोटर कार, निसान एवं बैंका एश्योरेन्स व्यवसाय के साथ रणनीतिक गठबंधन के माध्यम से 31 मार्च 2013 तक ₹2054.64 करोड़ का व्यवसाय किया जो 31 मार्च 2012 को ₹1713.06 करोड़ था। इस प्रकार इसने वर्ष के दौरान 16.62% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2012-13 में कम्पनी के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय में रणनीतिक गठबंधन व्यवसाय का अंश 22.44% रहा।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 2 प्रमुख मोटर वाहन निर्यातक कंपनियाँ मारुति एवं हिरो मोटर कार से क्रमशः ₹1068.61 करोड़ तथा ₹366.04 करोड़, का प्रीमियम व्यवसाय प्राप्त हुआ जो वर्ष 2011-12 में ₹974.66 करोड़ तथा ₹306.35 करोड़ था। मारुति व्यवसाय में 9.64% के वृद्धि हुई, हिरो मोटर कार पिछले वर्ष की तुलना में 19.48% की वृद्धि हुई।

बैंकाश्योरेन्स व्यवसाय में पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 8% की वृद्धि दर्ज करते हुये वर्ष 2011-12 में ₹293.11 करोड़ का प्रीमियम व्यवसाय किया जो पिछले वित्तीय वर्ष ₹271.90 करोड़ था। 2 मुख्य बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ बडौदा ने व्यवसाय में महत्वपूर्ण योगदान किया। इन बैंकों का को-ब्रांडेड स्वास्थ्य बीमा पोर्टफोलियो वित्तीय वर्ष 2012-13 में बढ़कर ₹60 करोड़ हो गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/आम बैंकों ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यवसाय में वृद्धि करते हुये ₹21.40 करोड़ का व्यवसाय किया।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान रणनीतिक गठबंधन प्रबन्धन विभाग द्वारा अनेक नये कार्य आरम्भ किये गये :

ORGANISATIONAL SET UP:

Total 1477 numbers of Regional/Divisional/Branch Offices & Business Centres as on 31st March 2013 are :

Regional Offices	28	Divisional Offices	351
Branch & DABs	598	Business Centres	500

During the year, 2 new Regional Offices have been opened at Delhi & Jodhpur. However, IRDA approval has also sought for opening of new Regional Offices at Delhi (4th RO), Mumbai (3rd RO) and Madurai which will be opened in the next financial year. Corporate Business Cell has been set up in Kolkata under CRO-I.

Spreading its Wings in Under-Served Markets for Insurance penetration:

- The Company has used its expansive geographical network in reaching out to customers in the 15 lowest penetrated States and Union Territories in India viz; Manipur, Meghalaya, Nagaland, Sikkim, Arunachal Pradesh, Mizoram, Tripura, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Andaman and Nicobar Islands, Daman & Diu, Dadar and Nagar Haveli, Lakshadweep, Goa and Pondicherry.

Under the **Financial Inclusion Programme (FIP) of Govt of India**, approval has been received for opening 506 Offices / Business Centres in Tier I to IV cities (min. population 10,000) out of which 136 were opened as on 31st March 2013.

- To augment opening of Offices under **FIP**; to enhance the performance of the Business Centres as well as to disseminate Insurance awareness through Retail insurance business, the Company has introduced Dedicated Vertical - Business Centre hubs throughout the country. These hubs will monitor day to day activities of Business Centres.
- Develop & manage agency force operating in Business Centres to provide service almost at the Customer's doorstep.
- Expand the Agency Force through appointment of Micro Agents in Tier V and VI Towns.
- Ensure speedy claim settlement.

INTRODUCTION OF IMPORTANT SCHEMES:

To encourage Agents, Prize schemes for selling policies of Private Cars, Two Wheelers, Commercial Vehicles and Health Insurance were launched from January to March 2013.

Programmes:

- ✓ Zone-wise Meets of Star performers among Agents, DO, AO and AM (Development) were held.
- ✓ Meets for Regional In-charges for performance review were held in May 2012.

STRATEGIC ALLIANCE ACTIVITIES :

As on 31st March 2013, the total premium from the strategic alliances with Maruti, Hero MotoCorp, Tata Motors (PCBU and CVBU), Tata Motors Finance Limited, Honda Motor Cars, Nissan and Bancassurance business was ₹2054.64 crore as against ₹1713.06 crore as on 31st March 2012, registering a growth rate of 16.62% during the financial year. The contribution of Strategic Alliance business to the total GDPI of the Company in the financial year 2012-13 is around 22.44%.

The two major tie-ups with automobile manufactures, namely Maruti and Hero MotoCorp, have procured a premium of ₹1068.61 crore and ₹366.04 crore respectively during the financial year 2012-13 as against ₹974.66 crore and ₹306.35 crore respectively during the financial year 2011-12. While the Maruti business has grown by 9.64%, the Hero MotoCorp business has grown by 19.48% over the previous financial year.

The Bancassurance business growing at a rate of approximately 8% over the previous financial year has generated a premium of ₹293.11 crore during the financial year 2011-12 as against ₹271.90 crore during the previous financial year. The 2 major banks which contributed most of the Bancassurance business continues to be Bank of India and Bank of Baroda. The co-branded Health Insurance Portfolio of these banks has grown to approximately ₹60 crore during the financial year 2012-13. The business from Regional Rural Banks/ Other Banks during the current financial year has grown to ₹21.40 crore.

During the financial year 2012-13, the Strategic Alliances Management department has undertaken a number of new initiatives, which are as follows:

- कम्पनी ने दो महत्वपूर्ण रणनीतिक पार्टनर टाटा मोटर्स (व्यवसायिक वाहन व्यवसाय ईकाई) एवं टाटा मोटर्स फाइनांस लिमिटेड के साथ टाई-अप किया। टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड ने ₹121 करोड़ की अभिवृद्धि करते हुए ₹124.69 करोड़ की आय की। परिणाम स्वरूप कम्पनी के साथ गठबंधन पोर्टफोलियो को और अधिक मजबूत किया।
- हमारे मारुति व्यवसाय ने ₹1000 करोड़ के महत्वपूर्ण लक्ष्य को पार किया। यह उपलब्धि ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में हासिल की गई जबकि रेगुलेटर द्वारा ब्रोकरों पर अपने 25% से अधिक के व्यवसाय को अन्य कम्पनियों को न देने की बाध्यता प्रभावी की गई थी। कम्पनी रेगुलेटर के साथ मिलकर व्यवसाय हित को सुरक्षित करने का प्रयास कर रही है।
- नेटमार व्यवसाय को और प्रभावी बनाने के लिए नेटमार व्यवसाय हबों पर विशेष बल दिया गया। 31 मार्च 2013 तक नेटमार व्यवसाय हबों की कुल संख्या 21 है।
- रेगुलेटर द्वारा जारी आउटसोर्सिंग गाइडलाइन के अनुपालन में मारुति, हीरो मोटो-कार्प एवं टाटा मोटर्स के साथ टाई-अप किया गया।
- मारुति बीमा एवं हीरो मोटोकार्प ग्राहकों के लिए एड-ऑन कवर के रूप में शून्य मूल्य ह्रास उत्पाद तैयार किये गये।
- हीरो मोटोकार्प डीलर्स के लिए महत्वपूर्ण त्योहारों पर प्रोत्साहन के रूप में विदेश यात्रा योजना प्रत्येक क्षेत्र में चलाई गई।
- क्षेत्रवार 7 टाई-अप ऑटोमोबाइल बैठकों का आयोजन व्यवसाय की समीक्षा दावा प्रबन्धन तथा व्यवसाय को बढ़ाने की रणनीति के लिए किया गया।
- स्थानीय स्तर पर डीलर्स एवं रणनीतिक सहयोगियों को सहयोग एवं को-ऑपरेशन हेतु प्रोत्साहित किया गया। इससे कम्पनी के व्यवसाय वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान मिला।

रणनीतिक गठबंधन व्यवसाय लगभग एक दशक पुराना है तथा वित्तीय वर्ष के दौरान ₹2000 करोड़ के व्यवसाय लक्ष्य को पार कर लिया है।

कृषि बीमा :

खाद्य असुरक्षा की समस्या के संबंध में कृषि बीमा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कृषि जोखिम प्रबन्धक, कृषि आय एवं कृषि में निवेश के लिए सहायक होता है।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमने एग्रीकल्चर इश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ मार्केट, सह-बीमा जिनके प्रमुख दो उत्पाद डब्ल्यूबीसीआईएस एवं एमएनएआईएस जो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं आसाम में हैं, के साथ समझौता किया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग, तकनीकी एवं आईटी संबंधी बिन्दुओं के लिए कृषि बीमा हेतु एक अलग विभाग की स्थापना की गई है।

कृषि बीमा के लिए आईटी पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है जिससे किसानों को किसी समय कभी भी बीमा सेवा उपलब्ध कराई जा सके।

इस संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए 12 बैठकों का आयोजन किया गया। हमने 300 अधिकर्ताओं को प्रशिक्षित किया तथा किसानों से ₹2.50 लाख प्रीमियम एकत्रित किया गया। सरकार द्वारा समान राशि की सब्सिडी दी जा रही है।

अमर्त्य शिक्षा योजना पालिसी:

अमर्त्य शिक्षा योजना पालिसी नोबल पुरस्कार विजेता डॉ अमर्त्य सेन, एक मशहूर अर्थशास्त्री तथा 1998 में अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए नोबल पुरस्कार विजेता, जो अर्थशास्त्र के मदर टेरेसा के रूप में जाने जाते हैं, के सम्मान में यह पालिसी प्रारंभ की गई।

सामाजिक दायित्व के उद्देश्य के परिपेक्ष्य में इस पालिसी का प्रारंभ किया गया जिसके अंतर्गत बीमित माता-पिता/संरक्षक की किसी दुर्घटना को पश्चात बीमित छात्र की शिक्षा को जारी रखने की वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस पालिसी में माता-पिता-संरक्षक की किसी दुर्घटना के पश्चात मृत्यु/स्थायी पूर्ण अशक्तता होने पर आवासीय छात्र की शिक्षा में कोई अवरोध उत्पन्न न हो। पालिसी का प्रमुख उद्देश्य है।

- Company has operationalised our tie-up with two major Strategic Partners, namely, Tata Motors (Commercial Vehicles Business Unit) and Tata Motors Finance Limited. Tata Motors Finance Limited has already become a star revenue generator by procuring ₹124.69 crore with an accretion of ₹121 crore, further strengthening the strategic alliances portfolio mix of the Company.
- Our Maruti Business has crossed an important landmark of ₹1000 crore. This achievement comes despite the business facing a challenge from the Regulator putting a cap on the Broker of not placing more than 25% of their business with any one Company. The Company is representing with the Regulator to secure its business interest.
- Structural strengthening of NATMAR business continues with focus on the Natmar Business Hubs. The number of Natmar Business Hubs as on 31st March 2013 stands at 21.
- Web Integration for Maruti, Hero MotoCorp and Tata Motors Tie-ups in order to comply with Outsourcing Guidelines issued by the Regulator.
- A “Nil Depreciation” Product has been introduced as an add-on cover for the Maruti insurance and Hero MotoCorp customers.
- Festival Scheme based on major festival for each Region was approved for Hero MotoCorp Dealers with Foreign Travel as an incentive.
- 7 zone-wise Automobile Tie-up Meets were organized for review of business, claims management and preparing strategies for enhancing business.
- Local level Tie-ups with Dealers and other Strategic Partners was encouraged by extending necessary support and co-operation. This has contributed substantially to Company’s business growth.

The Strategic Alliances business is now a decade old and has crossed the milestone of ₹2000 crore during the Financial Year.

AGRICULTURE INSURANCE:

Agriculture insurance can play a wider role to address problem of food insecurity. It helps in managing agriculture risks, stabilising farm income and encouraging investment in agriculture.

To meet these objectives, we have entered into an agreement with Agriculture Insurance Company of India Ltd. to market on co-insurance basis, two of their products, namely, WBCIS and MNAs in the states of West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha and Assam. There is huge potential for developing Agriculture Insurance in India.

A separate department was created for Agricultural Insurance to deal with infrastructure, marketing, technical and IT issues.

IT portal for Agricultural Insurance is being developed to provide online cost effective and efficient insurance services to the farmers anytime and anywhere.

12 training sessions were held to impart training and spreading awareness. We have trained more than 300 agents and ₹2.50 lac of premium was collected from farmers. Government is giving subsidy of matching amount.

AMARTYA SHIKSHA YOJANA POLICY:

AMARTYA SHIKSHA YOJANA POLICY, named after the great Nobel laureate, *Dr. Amartya Sen*, was launched to commemorate the renowned *Indian Economist* and a deserving *1998 Nobel Prize winner in Economic Sciences*, who was also known as ‘*The Mother Teresa of Economics*’.

The Policy has been started to realize our SOCIAL RESPONSIBILITY OBJECTIVE by providing FINANCIAL SECURITY in case of Accidental contingency of the Insured Parent/Guardian of the Insured Student Child for continuation of his education. *The Policy is basically intended to ensure uninterrupted education of the student despite unfortunate Accidental Death/Permanent Total Disablement of the earning parent/legal guardian of the covered student.*

पुणे क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत हमारे कोल्हापुर मंडल कार्यालय के तकनीकी शिक्षा निदेशालय, महाराष्ट्र राज्य से राज्य के सभी उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं मेडिकल एवं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ महाराष्ट्र के समस्त छात्रों हेतु इस पालिसी को अंडरराइट करने का अधिकार प्राप्त किया है।

पालिसी सबसे पहले महाराष्ट्र के मेडिकल छात्रों के लिए वर्ष 2003 में कोल्हापुर मंडल कार्यालय द्वारा जारी की गई। हमें सूचित करते हुए गर्व है कि पिछले 10 वर्षों में यह पालिसी 45000 मेडिकल छात्रों को बेची गई जिससे कुल ₹5,50,14,813 प्रीमियम प्राप्त हुआ तथा बाद में इस पालिसी को वर्ष 2011 में इंजीनियरिंग के छात्रों के आवरित करने हेतु विस्तारित किया गया जिसके अंतर्गत 280000 इंजीनियरिंग के छात्रों को ₹4,26,86,508 के प्रीमियम पर आवरित किया गया।

इस पालिसी के अंतर्गत पालिसी अवधि व्यवसायिक कोर्स की अवधि के बराबर होती है। कोर्स की शुल्क का भुगतान एनसीआईएल द्वारा वार्षिक आधार पर कालेज को प्रतिपूर्ति की जाती है ताकि छात्र अपनी शिक्षा जारी रख सकें।

2003 से मेडिकल छात्रों के कुल 39 क्लेम ₹2,56,54,630 मंडल कार्यालय द्वारा निस्तारित किये गये तथा जब से यह योजना इंजीनियरिंग छात्रों के लिए लागू की गई अर्थात् 2011 से, इंजीनियरिंग छात्रों के 3 क्लेम ₹12,00,000 के लिए निस्तारित किये गये।

पुणे क्षेत्रीय कार्यालय ने इस पालिसी को लागू करने के लिए एक प्रभावी कदम के अंतर्गत पुणे क्षेत्रीय कार्यालय में 15 मई 2012 को एक 'अमर्त्य शिक्षा मिट' का आयोजन किया जिसमें अमर्त्य शिक्षा योजना पालिसी को लागू करने संबंधी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय, आरंगाबाद मंडल कार्यालय तथा कोल्हापुर मंडल कार्यालय के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इस उत्पाद के द्वारा सामाजिक सुरक्षा की दृष्टिकोण से हम अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह बखूबी कर सकते हैं।

प्रचार-प्रसार गतिविधियाँ :

नेशनल की छवि को विस्तारित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान

विभिन्न नये कार्य किये गये जैसे व्यवसाय केन्द्रों को खोलना ऑन-लाइन पालिसी जारी करना, ऑफिस आन व्हील। कम्पनी के 106वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर के समाचार पत्रों में ब्रेड बिल्डिंग कैम्पेन चलाया गया व्यक्तिगत सीमा के व्यवसायिक विकास की रणनीति के तहत ग्लो-साइन, बस अड्डा, हॉर्डिंग्स, प्रमुख क्षेत्रों में एलईडी, मेट्रो ट्रेन एवं एअर पोर्ट पर प्रचार हेतु व्यवस्था की गई। दीवाल कैलेंडर के अतिरिक्त एवं एनआईसी ब्रैंड का छाता सभी कार्मिकों, ग्राहकों एवं अतिथियों में वितरित किया गया।

कम्पनी ने बीटीएल गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न सेमिनार, कार्यक्रम, खेल एवं सांस्कृतिक अवसरों पर बैनर, गेट एवं स्टैंड इत्यादि को निम्न संगठनों को प्रायोजित किया : बंगाल चैम्बर एवं टेलीग्राफ नेशनल हेल्प डिबेट, दून एण्ड ब्राडस्ट्रीट कानक्लेव ऑन इंडियास टाप पीएसयू 2012 एवं पीएसयू अवार्ड 2012 साउथ एशिया में जलवायु परिवर्तन एवं इसका प्रभाव पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनार इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स द्वारा 5वीं आईसीसी सम्मेलन, बंगाल नेशनल चैम्बर आफ कामर्स एवं इंडस्ट्री एण्ड इंडियन मेडिकल एसोशिएशन द्वारा आयोजित 'मेडिफेस्ट 2012 XIV' सेमिनार आन हास्पिटल एण्ड हेल्थ केयर मैनेजमेंट एण्ड मेडिको लीगल सिस्टम बाई सिम्बोसिस केयर, पुणे आईबीएआई 9वां ब्रोकर्स सम्मेलन एवं इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर। इस कार्यक्रम के द्वारा हमारे दर्शकों में हमारी छवि और भी निखर कर आयी है।

एनआईसी ब्रैंड आईडेन्टीटी को बनाने के प्रारंभिक गतिविधियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान टोपी के विरण ने कम्पनी की ब्रैंड इमेज को बढ़ाया है। बजट सत्र के दौरान टेलीविजन के डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, सीएनएन आईबीएन, सीएनबीसी टीवी 18, सीएनबीसी आवाज, टाइम्स नाव, ईटी नाव तथा लंदन ओलम्पिक के दौरान आल इंडिया रेडिया पर हमारी उपस्थिति ने समाज के प्रत्येक स्तर पर हमारी पहचान को और मजबूत बनाने का कार्य किया है।

एनआईसी के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि कार्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी संबंधी गतिविधियों को प्रचलित किया जाय एवं आईसी ने हेलन केलर ब्लाइंड स्कूल, प्रतिबंधी कल्याण केन्द्र स्कूल (स्कूल) (विकलांग बच्चों के लिए), असहाय बच्चों के लिए

Our Kolhapur DO, under Pune RO, has an exclusive mandate from Directorate of Technical Education, Maharashtra State, bestowing upon it a unique privilege of underwriting this Policy for students of all Higher Education, Technical Education & Medical and Engineering Institutes in Maharashtra.

The policy was first issued by Kolhapur DO in the year 2003 to the medical students in Maharashtra. We are proud to inform that in last 10 years this policy has been sold to 45,000 medical students with a premium of ₹5,50,14,813/- and was further extended to cover engineering students also, in the year 2011, covering approximately 2,80,000 engineering students for a premium of ₹4,26,86,508/-.

It is pertinent to mention that the policy period allowed is equivalent to the number of years of professional course covered that a student is undergoing. The course fee is reimbursed on yearly basis by NICL to the college on yearly basis so that student can carry on his studies smoothly.

Since 2003, 39 no. of claims amounting to ₹2,56,54,630/- have been settled by the DO for medical students and since the year the Scheme has been replicated for engineering students i.e. 2011, 3 claims have been settled for engineering students amounting to ₹12,00,000/-.

Pune RO also took a step forward for the implementation of the Policy in its true sense by organizing an 'Amartya Shiksha Meet' at Pune RO on 15th May 2012, to discuss the strategies for implementation & administration of *Amartya Shiksha Yojana Policy*, which had the participation of various officials from Nagpur RO, Mumbai RO, Aurangabad DO & Kolhapur DO.

It can be concluded that the product has been widely utilized to accomplish our social obligation in order to benefit the society at large.

PUBLICITY ACTIVITIES:

To extend the 'National' Reach a lot of new initiatives i.e. opening of Business Centres / Issuance of On-line Policies, "Office on Wheel" were launched

during the year and special emphasis was given to wider publicity of the same pan India basis. On the eve of the 106th Foundation Day of the Company, a Nation-wide Brand Building Campaign was also carried out in both National Level and Vernacular Newspapers.

As a part of Business Development Strategy of Personal Line Insurance, displays through Glow signs, Bus Shelter, Hoardings, LEDs in Prime Areas, Metro Trains, Airports created huge publicity. In addition to Wall Calendar, NIC Branded promotional umbrella (Ladies/Gents) was also distributed amongst our internal customers, clients and guests.

Your Company also sponsored some BTL (Below the Line) activities through Backdrops, Banners, Gates, Standees etc in eminent Seminars, Functions, Sports and Cultural Events like 'Bengal Chamber & The Telegraph National Health Debate', 'Dun & Bradstreet's Conclave on "India's Top PSUs 2012 & PSU Awards 2012"', "International Seminar on Climate Change and its impact on South Asia", '5th ICC Insurance Summit by Indian Chamber of Commerce (ICC)', "MEDIFEST 2012" by Bengal National Chamber of Commerce & Industry and Indian Medical Association', 'XIV National Seminar on 'Hospital & Health Care Management and Medico Legal System' by Symbiosis Care (SCHC), Pune', 'IBA 9th Brokers' Summit' & 'International Mega Trade Fair'. This has contributed to the much needed visibility amongst our target audience.

Ground activities also plays a vital & significant role to establish Brand-Identity. Distribution of Caps /in-stadia branding during International Cricket Matches raised Brand Image of your Company. Presence on Television Channels like DD National, DD NEWS, CNN IBN, CNBC TV18, CNBC AWAAZ, Times Now, ET Now during Budget Session and active presence in All India Radio during London Olympic gave a new hike in terms of awareness amongst every section of the society.

A conscious objective of NIC's Publicity ventures to direct Promotional activities towards the objective of fulfilling Corporate Social Responsibility (CSR),

प्रसायम एनजीओ, इनर स्वील क्लब, संकरा हॉल व संकरा इंस्टीट्यूट ऑफ फिलाजाफी एण्ड कल्चर, सेंट पैरी चर्च, उत्सव चिल्ड्रेन कल्चर ग्रुप, सोसाइटी फार डिसेबिलिटी एण्ड रिहेबिलिटेशन स्टडी जैसे संस्थानों द्वारा स्थापित संगठन जो वरिष्ठ नागरिकों, अनाथ बच्चों तथा असहायों की सहायता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। एनआईसी ने उन संस्थानों को सहायता देना जारी रखा।

त्योहारों के अवसर पर कलकत्ता एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों में बैनर लगाये गये तथ्य पूजा समितियों द्वारा प्रकाशित स्मारिकाओं में कम्पनी के उत्पाद का विज्ञापन दिया गया।

ग्राहक सेवा प्रबन्धन:

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सिटीजन चार्टर को कम्पनी की वेबसाइट पर डाला गया। सभी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा द्विभाषी सिटीजन चार्टर जिसमें सेवा मापदण्ड सम्मिलित है, कार्यालयों में लगाये गये सभी प्रचालन कार्यालयों में समुचित स्थान पर शिकायत अधिकारी का नाम, पदनाम, संपर्क संख्या तथा आईआरडीए द्वारा निर्धारित पालिसीधारकों के लिए सेवा समय सीमा का विवरण लगाया गया। शिकायत संबंधी कार्य देख रहे क्षेत्रीय कार्यालय के शिकायत अधिकारियों की अद्यतन सूची, ई-मेल आईडी तथा संपर्क संख्या कम्पनी की वेब-साइट पर उपलब्ध है।

मई 2012 में शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए 9 बिन्दुओं की कार्य-योजना बनाई गई। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों ने सफलता पूर्वक इस कार्य योजना को लागू किया।

i) वर्ष 2012-13 का शिकायत निष्पादन

01.04.2012 को लम्बित शिकायतों की संख्या	2012-13 में सूचित शिकायतों की संख्या	2012-13 में निपटान की गई शिकायतों की संख्या	31.03.2013 को लम्बित शिकायतों की संख्या	2012-13 में शिकायतों के निपटाने का अनुपात (%)	2011-12 में शिकायतों के निपटान का अनुपात (%)
1274	19429	20364	339	98.36	92.00

प्रचालन कार्यालयों में शोध एवं स्वास्थ्य दावा का कार्य देख रहे अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्राहक की असंतुष्टि से संबंधित विषयों पर तैमाही आधार पर अभिकर्ता, सर्वेयर एवं टीपीए के साथ विचार विमर्श का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी क्षेत्रीय शिकायत अधिकारी, समर्पित शिकायत अधिकारी एवं एक आईटी अधिकारी के लिए ग्राहक शिकायत प्रबन्धन प्रक्रिया पर सीएमसी कार्मिकों जिन्होंने सीजीएमएस बनाया है, की उपस्थिति में एक दो दिवसीय संवादात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 7/8 मई 2012 को एनसीआईएल कोलकाता में आयोजित किया गया। क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा सीजीएमएस के प्रचालन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निवारण किया गया। परिवर्तन पर फीड बैक तथा सीजीएमएस में संशोधन/सुधार हेतु प्रतिभागियों से सुझाव/विचार आमंत्रित किये गये। इन सुझावों को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है।

सीआरएम विभाग की कार्य प्रणाली की समीक्षा हेतु 10/11 जनवरी 2013 को विशाखापट्टनम में एक सम्मेलन/बैठक का नियोजन किया गया जिसमें महाप्रबन्धक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के आय की समीक्षा की गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि शिकायत निवारण की प्रक्रिया में पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है।

ग्राहकों की शिकायतों के निवारण हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया तथा दिसम्बर 2012 एवं जनवरी 2013 को शिकायत निवारण माह घोषित किया गया इससे शिकायत निवारण अनुपात को सुधारने में मदद मिली

NIC continued to aid institutions and organizations that take care of the elderly senior citizens, special needs of children, orphans and the differently abled by sponsoring the events put up by organizations like the Helen Keller Blind School, Pratibandhi Kalyan Kendra School for challenged children, Prayasam NGO for underprivileged children, Inner Wheel Club, Sankara Hall & Sankara Institute of Philosophy and Culture, St. Mary's Church, Utsav Children Cultural Group, Society for Disability and Rehabilitation Studies were some of these.

In the festive season NIC banners were displayed in various Puja Pandals in and around Kolkata and product ads were displayed in various souvenirs published by the Puja Committee.

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT:

Board approved Citizens' Charter has been hosted on the Company's website. All Regional Offices have confirmed that Bilingual Citizens' Charter containing servicing benchmarks has been displayed. Name, designation and contact no. of the Grievance Officer and IRDA prescribed Policyholders' servicing Turnaround Time (TAT) have also been displayed at a prominent place in all operating offices. An updated list of all grievance handling officers in the Regional Offices along with their e-mail IDs and contact numbers is made available on the Company's website.

An Action Plan consisting of 9 actionable points was devised and adopted in May 2012 for effective implementation of Grievance Redressal System. All Regional Offices have successfully implemented the Action Plan.

Programmes for sensitisation of all Motor and Health Claims Handling Officers in operating offices have been organized by Regional Offices. Quarterly interactive sessions with Agents, Surveyors and TPAs on matters relating to and leading to customer dis-satisfaction were organized as a preventive measure.

A two days interactive Training Session on Customer Grievance Management System for all Regional Grievance Officers, Dedicated Grievance Officers and one IT Officer from each RO was also organized on 7th and 8th May, 2012 at NCIL in presence of CMC officials who have designed and are maintaining the CGMS. A large number of problems being faced by the RO officers in operating CGMS were sorted out. Feedback on changes and new suggestions for further improvement of CGMS were invited from the participants. These suggestions are in the process of being implemented.

A performance review meet of CRM Officials was held on 10th and 11th January 2013 at Vishakhapatnam where a review of the performance of ROs was undertaken by the GM. It was observed that the position of grievance resolution had improved remarkably as compared to the corresponding period of previous year.

A special drive for resolution of maximum number of Customer Grievances was undertaken and December 2012 and January 2013 were observed as "Grievance Clearance Months". It helped in substantially improving the grievance disposal ratios.

i) Grievances Redressal for the year 2012-13

Number of grievances o/s as on 01/04/2012	Number of grievances reported during 2012-13	Number of grievances redressed during 2012-13	Number of grievances o/s as on 31/03/2013	Grievance resolution ratio during 2012-13 (%)	Grievance resolution ratio during 2011-12 (%)
1274	19429	20364	339	98.36	92.00

ii) जारी दस्तावेज

01.04.2012 को लम्बित शिकायतों की संख्या	2012-13 में सूचित शिकायतों की संख्या	2012-13 में निपटान की गई शिकायतों की संख्या	31.03.2013 को लम्बित शिकायतों की संख्या	2012-13 में शिकायतों के निपटान का अनुपात (%)	2011-12 में शिकायतों के निपटान का अनुपात (%)
शून्य	1,73,75,346	1,73,75,346	शून्य	100	100

मानव संसाधन :

1. 31 मार्च, 2013 तक श्रेणीवार कर्मचारियों की संख्या

श्रेणी	कुल स्टाफ संख्या
I	5715
II विपणन प्रशासनिक	959
	546
III	6314
IV	1862
कुल	15396

2. कम्पनी में सन्मिलित कर्मचारियों की संख्या

श्रेणी	योग	अज्ञा	अज्ज्ञा	अभिज्ञा	शावि	भूतपूर्व सैनिक
I	324	47	25	105	9	-
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-
Total	324	47	25	105	9	-

अनु.जाति/अनु.जनजाति/पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी योजना:

पदों के आरक्षण में बढ़ोत्तरी, नियुक्ति में आयु सीमा में छूट तथा अनु. जाति/अनु. जनजाति की पदोन्नति में पदों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। ओबीसी की नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए लागू प्रावधानों को कम्पनी में लागू किया जा रहा है।

अनु.जाति/अनु. जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति पूर्व

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अधिकारियों को एनआईए, पुणे प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण दिलाया गया। विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर अधिकाधिक संख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी संवर्ग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु नामित कर प्रशिक्षण दिया गया।

सूचना का अधिकार:

संपूर्ण देश में भारतीय नागरिकों में जागरूकता का विकास हुआ है। आज-कल न केवल आधुनिक शहरों में रहने वाले बल्कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करनेवाले व्यक्ति भी अपने मानव अधिकारों के प्रति सचेष्ट हैं। परिणाम स्वरूप सूचना अधिकार अधिनियम का प्रयोग दिन-प्रति दिन बढ़ता जा रहा है तथा तदनुसार आरटीआई विभाग का महत्व एवं कार्य की मात्र में भी वृद्धि हो रही है। आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु आवेदन भरनेवाले आवेदकों को आरटीआई विभाग सफलतापूर्वक महत्वपूर्ण एवं संतोषजनक सूचनाएं उपलब्ध करा रहा है। यह प्रभाव परिणाम हमारे प्रभावी संप्रेषण/संवाद तथा क्षेत्रीय कार्यालयों एवं संबंधित आवेदकों के साथ समुचित समन्वय से संभव हुआ है। हम भविष्य में प्राप्त होने वाले आवेदनों की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

आरटीआई आवेदनों की बढ़ती संख्या तथा इनकी जटिलता के कारण सभी आरटीआई से संबंधित कार्मिकों के लिए एक प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना आवश्यक हो गया था। अतः हमने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के सीपीआईओ/एए एवं प्रधान कार्यालय कोलकाता के विभिन्न विभागों के नामित सीपीआईओ के लिये दिनांक 8/9 अगस्त 2012 को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया

ii) Issuance of Documents

Number of documents reported pending as on 01/04/2012	Number of documents incepted during 2012-13	Number of documents issued during 2012-13	Number of documents pending as on 31/03/2013	Documentation ratio during 2012-13 (%)	Documentation ratio during 2011-12 (%)
nil	1,73,75,346	1,73,75,346	nil	100	100

HUMAN RESOURCES :

1. Class wise employees strength as on 31st March 2013

Class	No. of employees
I	5715
II Marketing Administration	959 546
III	6314
IV	1862
Total	15396

2. Net addition to the work force of the Company

Class	Total	SC	ST	OBC	PWD	ex-serv.
I	324	47	25	105	9	-
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-
Total	324	47	25	105	9	-

Welfare of SC/ST/OBC/PWD/ex-Servicemen

The guidelines of government on extending reservation of posts, relaxations of age in recruitment and reservation of posts in promotion for SC/ST categories are being followed. The guidelines issued by the government in reservation for OBC in recruitment are followed. The provisions governing persons with disabilities are being implemented as required.

Pre-promotion training programme are being conducted for SC/ST employees. The officers were trained at Learning Centre and at NIA, Pune, the

number of SC/ST/OBC officers were adequate. Adequate participation of SC/ST/OBC employees were also ensured at the training programmes organized at various Regional Training Centres.

RIGHT TO INFORMATION:

The general awareness of citizens of India has increased throughout the country. Now-a-days not only the people living in modern cities but also the persons in very remote and rural areas know how to exercise their human rights with Public Authorities. As a result, the use of RTI Act, 2005 has increased day by day and accordingly the importance & workload of RTI department has also increased significantly. RTI department is successfully providing important and satisfying services to all the applicants all over India whoever is approaching them for seeking information by making application through RTI Act, 2005. This fruitful result comes due to our impromptu communication & cohesive coordination with all ROs and the concerned applicant. We are committed to face the challenge of accepting ever increasing RTI Applications through the year.

Because of the progressive increase of volume and complication of RTI applications, it was necessary to organise a training programme for all our RTI officials and as such we organised an In-house Training Programme for the CPIOs/AAs of all ROs and nominated CAPIOs of various Custodian departments of Head Office, Kolkata on 8th & 9th August, 2012 at NCIL which stimulated all the participants to efficiently deal with RTI Applications/ Appeals.

For the compliance under section 4 of the RTI Act,

जिसमें आरबीआई में प्राप्त आवेदन/अपील पर विस्तृत चर्चा की गई।

आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 अनुपालन संबंधी सूचना को पहली बार कम्पनी की वेबसाइट पर डाला गया जिसमें हमारे

संगठन का विवरण, सीपीआईओं के नियम एवं निर्देश तथा ऐसे सभी अभिलेख जिससे भारत की आम जनता को सीधे सूचना प्राप्त हो सके, वेबसाइट पर उपलब्ध बराये गये।

वर्ष 2012-13 में आरटीआई संबंधी विस्तृत आँकड़े निम्नवत हैं:

क्रम सं	आवेदन	2012-13	2011-12
1.	प्राप्त आवेदनों की संख्या	1894	1820
2.	सूचना दिये गये मामलों की संख्या	1735	1692
3.	जिन मामलों में सूचना देने से मना किया	159	128
	अपील		
1.	प्राप्त अपीलों की संख्या	193	253
2.	सूचना माँगते वालों के पक्ष में निस्तारित की गयी अपीलों की संख्या	149	230
3.	जिन अपीलों में सूचना देने से मना किया गया	30	20
4.	तक लंबित अपील	14	3
	सीआईसी प्रकरण		
1.	अपील/शिकायतों की संख्या	39	44
2.	खारिज केस	5	8
3.	सूचना मांगने वाले के पक्ष में निर्णीत केस	33	36
4.	सीआईसी में लंबित मामलें	1	NIL

मानव संसाधन विकास :

कम्पनी की वर्तमान एचआर विकास योजना के अंतर्गत मानव संसाधनों की नियुक्तियों एवं पुनः प्रसार के द्वारा कम्पनी के भविष्य को एक नया आयाम देते हुए कार्पोरेट लक्ष्य को प्राप्त करना है।

वर्तमान व्यवसायिक परिवेश के अनुसार अगले कुछ वर्षों तक महत्वपूर्ण वार्षिक वृद्धि का अनुमान है। हमारा विशेष बल मार्केटिंग सिस्टम को मजबूत करना तथा ग्राहकों के लिये गुणवत्ता परक संवर्गों को उपलब्ध कराना है, जिसके लिए संगठन में लाभप्रदता को बढ़ाते हुए कौशल का विकास एवं कार्मिकों को प्रेरित करना है। आवश्यक परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित, कौशलपूर्ण एवं प्रेरित मानव संसाधनों का निर्धारित कैडर में नियुक्त किया जाना हमारी योजना का प्रमुख अंश है।

पिछले वर्ष को हमारा एचआरडी कार्य योजना में कर्मचारियों को प्रेरित तथा सुदृढ़ बनाते हुए नेशनल को आगामी वर्षों में उच्च शिखर पर ले जाने की योजना था।

वह महत्वपूर्ण बिन्दुओं जिन्होंने प्रशिक्षण योजना को प्रभावित किया :

- वर्तमान प्रतिस्पर्धा के दौर में व्यवसाय की बढ़ती हुई मात्रा को कुशल एवं समर्पित कार्मिकों द्वारा व्यवस्थित करने आवश्यकता।
- संगठनात्मक विकास के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे परिवर्तन तथा उद्योग में विशेषकर हमारे कम्पनी में लगातार हो रहे परिवर्तन के कारण कुशल कार्मिकों को नियुक्ति आवश्यक हो गई है।

2005 the requisite information under proactive disclosure was hosted for the first time in the Company's website which contained the various information relating to details of our organisations, CPIOs rules, regulations, instructions and records held by our Company and other particulars which

require proactive disclosure by the organisation for viewing by the citizens of India for obtaining direct information, there from.

The Annual Statistics for the fiscal 2012-13 in respect of RTI matters are furnished herein below:

Sl. No.	Applications	2012-13	2011-12
1.	No. of requests received	1894	1820
2.	No. of cases where information provided	1735	1692
3.	No. of requests where information was denied	159	128
	Appeals		
1.	No. of appeals received	193	253
2.	No. of appeals disposed in favour of information seekers	149	230
3.	No. of appeals where information was refused	30	20
4.	Appeals pending at the close of fiscal	14	3
	CIC cases		
1.	No. of appeals/complaints	39	44
2.	Cases dismissed	5	8
3.	Cases decided in favour of information seeker	33	36
4.	Cases pending at CIC	1	NIL

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT:

The Company's recent HR Development Planning assumed greater significance as it undertook the task to rebuild its human assets through recruitment and re-deployment of suitable personnel to achieve corporate goals.

As per the current business trends a significant increase is expected in annual growth over the next few years. Since our primary focus is on strengthening the marketing systems & setting quality service standards for the customer, suitable initiatives have to be taken in proper skill development and motivation within the organization with a view to enhance productivity. Planning effectively for highly trained, skilled and motivated manpower deployment in requisite cadres is essential on the part of HR to achieve desired results.

Our HRD Action Plan primarily focused on carrying on our present position of strength and motivate the work force to take them to the next level in the coming years and setting new standards of excellence.

Key factors which influenced the training planning for the year -

- Increasing business volume required to be managed by a skilled and committed workforce in tune with the present competitive environment.
- Widespread infrastructural changes in terms of organizational growth and fast paced changes within the industry and the Company, in particular, have led to the demand of deployment of adequate and skilled manpower.

आज सूदूर क्षेत्रों में अपने कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से हम अपनी क्षमता तथा जनता तक अपनी सेवायें देने का विशेष प्रयास कर रहे हैं। तथा देश में कुल 500 व्यवसाय केन्द्रों की साधना की गई है। हमारे प्रचालन कार्यालयों में कुशल कार्मिकों की लगातार मांग बढ़ रही है। वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए संगठनात्मक विकास के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे परिवर्तन तथा उद्योग में हो रहे परिवर्तन के कारण कुशल कार्मिकों की मांग बढ़ रही है। कम्पनी को कोर्पोरेट लक्ष्य को पूरा करने के लिए मानव संसाधनों को कुशल बनाते हुए प्रेरित करना तथा उनकी कम्पनी में समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने में एचआरडी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

व्यावसायिक स्तर पर अपने अधिकारियों की नेतृत्व क्षमता में विकास के लिए एक अहम प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चुने गये प्रतिभागियों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से नेतृत्व क्षमता विकास तथा व्यावसायिक विकास कौशल संबंधी बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। महिला प्रबन्ध, कार्पोरेट गवर्नेंस, मिड लेवल एक्जीक्यूटिव के लिए पाठ्यक्रम, इश्योरेन्स एक्जीक्यूटिव के लिए मैनेजमेंट फार स्ट्रेटिजिक इश्यूज, एक्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम फार यंग मैनेजर्स इत्यादि पाठ्यक्रम विशेष संस्थानों में इस उद्देश्य से चलाये जा रहे हैं।

श्रेणी- 1 प्रशिक्षण गतिविधियां :

एनआईए में प्रशिक्षण

नियमित गतिविधि के क्रम में देश के सभी विभागों के अधिकारियों को स्पेशलाइज्ड इश्योरेन्स डोमेन, प्रबन्धक एवं आईटी आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम एनआईए, पुणे में आयोजित किया गया। वर्ष के दौरान एनआईए पुणे में प्रशिक्षण के लिए 554 अधिकारियों को नामित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम को वर्तमान में अधिकारियों के कौशल वृद्धि के लिए तथा मार्केट की आवश्यकतानुसार तैयार किया गया।

एनआईए के सहयोग से विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कार्पोरेट लक्ष्य के अनुसार आईसीआर में 15% की कमी को आधार बनाकर प्रूडेंट क्लेम मैनेजमेंट पर एनआईए पुणे में 130 प्रतिभागियों के लिए 4 विशेष कार्यशालायें आयोजित की गई। एक

एनआईसी आडिट कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

वाह्य प्रशिक्षण :

प्रसिद्ध बाहरी संस्थानों एवं संगठनों जैसे ब्रिटिश काउंसिल, कोलकाता, कलकत्ता मैनेजमेंट एसोशिएसन (सीएमसी), नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कृमिनालॉजी, एण्ड फारेंसिक साइंस, नई दिल्ली, एएससीआईआई, हैदराबाद, साइनर्जी आरएमएस, मुम्बई ओरिएण्टल स्टाफ ट्रेनिंग कालेज, फरीदाबाद, तथा इंडियन इश्योरेन्स सोसायटी, कोलकाता, ईआईआईएलएम (ईस्टर्न इंडिया इंस्टीट्यूट आफ इंटीग्रेटेड लर्निंग मैनेजमेंट) में देश के लगभग 70 कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया। एनआईसी ने बर्लिन, जर्मनी में एलन लॉयड ग्रुप, स्लोवाकिया के निमंत्रण पर एचआर एक्सीलेंस सेमिनार में प्रतिभागिता की।

प्रारंभिक प्रशिक्षण-2012

वर्ष 2012 की नियुक्ति प्रक्रिया के अंश के रूप में नेशनल इश्योरेन्स कम्पनी में 200 जनरलिस्ट एवं 144 स्पेशलिस्ट स्केल-1 अधिकारियों की नियुक्ति की गई। जनरलिस्ट अधिकारियों को 6 सप्ताह का गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम डॉ. मेरेचना रेड्डी इंस्टीट्यूट आफ एचआरडी, हैदराबाद में आयोजित किया गया। उसी अवधि के दौरान स्पेशलिस्ट अधिकारियों को कालेज आफ इश्योरेन्स, मुम्बई एवं एनसीआईएल में प्रशिक्षित किया गया। नव नियुक्त अधिकारियों को उत्तम फैकल्टी एवं सुविधाओं के अतिरिक्त कम्पनी की कार्य प्रणाली से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया। प्रारंभिक प्रशिक्षण में वरिष्ठ प्रबन्धन ने भी अधिकारियों को अधिकाधिक जानकारीयें प्रदान की। प्रशिक्षार्थियों को एनआईसियन किट प्रदान किया गया जिसमें एचआर हैंडबुक, एनआईसियन मेटल बैज एवं एनआईसियन टीशर्ट जो विशेष रूप से बनाये गये थे, दिये गये।

विशेष एक्युरियल कार्यशाला :

एनआईसी ने प्रधान कार्यालय में एक्युरियल विभाग में कार्यरत कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए टावर वाट्सन ग्रुप, जो एक्युरियल साइंस प्रशिक्षण के विशेषज्ञ हैं, की सेवाएं ली तथा गुडगांव में प्रशिक्षण का आयोजन किया। यह 10 दिन का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में कुल 10 विशेषज्ञ कार्मिकों ने भाग लिया।

There have been significant efforts to expand our network of offices to reach out to the remotest corners as part of Financial Inclusion and increase the efficiency and reach of our access and delivery systems. Additionally, there have also been quite a few upgradations of existing offices and the opening of more than 500 Business Centres across the country.

HRD plays a crucial role in developing the skill and motivation levels of the human assets of the Company to help them contribute to the efforts of the company to achieve its corporate objectives.

To increase the skill of the individual on a professional level, we have focused on leadership training as a key area in external training being provided to our officers. Select participants have been nominated to specialized training programmes designed to enhance the core capabilities and encourage professional development amongst our young leaders. Programmes for Women Managers, Corporate Governance, Course for Mid-level Executives, Management of Strategic Issues for Insurance Executives, Executive Development Programme for Young Managers etc. were among the courses shortlisted at leading institutes for this purpose.

Class I Training Activities

Training at NIA

As part of the regular activities, officers from all over the country were nominated to specialized insurance domain, management and IT based training programmes at the National Insurance Academy, Pune. About 554 officers were nominated for training at NIA during the year. The training programmes were identified in a manner best suited to benefit our officers dealing with work processes and development of skills as per today's market needs.

Specialised workshops were also planned in consultation with NIA. In tune with the corporate goal of 15% reduction in ICR, 4 specialized claims workshops on Prudent Claims Management was held at NIA for a total of 130 participants. An

exclusive NIC Audit Workshop was also organized for 32 participants.

External Training

Approximately 70 officials from across the country were also nominated for training, seminars and workshops by reputed external institutes and organizations namely British Council, Kolkata, Calcutta Management Association (CMA), National Institute of Criminology and Forensic Sciences, New Delhi, ASCII, Hyderabad, Synergy RMS, Mumbai, Oriental Staff Training College, Faridabad and Indian Insurance Society, Kolkata, (EILM) Eastern Institute for Integrated Learning in Management among others. NIC also participated in the HR excellence seminar at Berlin, Germany in September 2012 on invitation by Allan Lloyds Group, Slovakia.

Induction Training 2012

As part of the 2012 recruitment exercise, 200 Generalists and 144 Specialists were recruited from across the country as Scale I officers for NIC. The induction process for the generalist officers included a six week intensive training programme at the renowned Dr. Marri Channa Reddy Institute of HRD, AP at Hyderabad. The specialist officers were trained separately at College of Insurance, Mumbai and NCIL during the same period. Apart from the selection of the best available faculty and facilities for the new recruits, no efforts were spared to provide the best in class training to integrate them seamlessly to the working of the Company. The senior management actively participated in the induction training including frequent interactions and lectures to motivate the new entrants.

Specialised Actuarial Workshop

NIC engaged the services of Tower Watson Group, (a) world class experts in actuarial science training to organize a specialized and exclusive workshop for our officers from HO Actuarial department at their Gurgaon premises. It was a 10 day residential programme. There were about 10 specialist officers who participated in the same.

एनसीसीआईएल/आरटीसी में प्रशिक्षण

पिछले वर्ष की तरह एनसीआईएल, नरेन्द्रपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। वर्ष 2012-13 के दौरान अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया। क्षेत्रीय कार्यालय स्तर के प्रशिक्षण केन्द्रों पर कर्मचारियों एवं अभिकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। वर्ष के दौरान एनसीआईएल में कुल 587 (स्केल I से V अधिकारियों को प्रशिक्षण किया गया) आरटीसी द्वारा श्रेणी-I, II, III एवं IV के 421, 236, 1257 एवं 525 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलाया गया।

पूरे देश में वर्ष 2011-12 के दौरान कुल 5660 अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया।

पदोन्नतिपूर्व प्रशिक्षण, एनसीआईएल/आरटीसी:

पदोन्नति प्रक्रिया 2012 के पूर्व पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर आरक्षित श्रेणी के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया कुल 387 अधिकारियों ने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया।

पूरे देश के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

प्रशिक्षण गतिविधियों श्रेणी-II

विकास अधिकारियों के कौशल में विकास के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया विकास अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत एवं कौशल विकास इंस्टीट्यूट में टीम रिजल्ट एण्ड ग्लोबलसीन एनएसडीसी का एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। तीन दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कम्पनी की गतिविधियों से संबंधित पाठ्यक्रम रखे गये।

प्रशिक्षण का प्रथम चरण वर्ष 2012-13 में पूर्व एवं उत्तरी क्षेत्र के लिए आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण के लिए विभिन्न केन्द्रों जैसे चंडीगढ़, लखनऊ, दिल्ली, गुवाहाटी एवं एनसीआईएल का उपयोग किया गया।

दक्षिण एवं पश्चिम क्षेत्र के प्रशिक्षण के लिए पुणे, अहमदाबाद,

इंदौर, हैदराबाद कोच्चि एवं बेंगलूर में अप्रैल-मई 2013 में कार्यक्रम आयोजित किये जाने की योजना है।

प्रशिक्षण गतिविधियों श्रेणी-III

प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों को प्रोत्साहित एवं पुरस्कार कर उनके निष्पादन को बढ़ाना हमारा उद्देश्य रहा है।

पुरस्कार सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन श्रेणी-III के सर्वोत्तम विकासकर्ता कार्मिकों के लिए (मं.का/शा.का/क्षे.का/प्र.का) कालेज ऑफ इश्योरेंस, मुम्बई में आयोजित किया गया। यह एक अनवरत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कार्मिकों के निष्पादन स्तर को बढ़ाने तथा उनके द्वारा अन्य कार्मिकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है ताकि दूसरे कर्मचारी भी इस कार्यक्रम में भविष्य में भाग ले सकें। इश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्यरत कालेज ऑफ इश्योरेंस एक प्रशिद्ध प्रशिक्षण संस्थान है। वर्ष 2012-13 में कम्पनी ने क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (अधिकतम 15 क्षेत्र/प्रका) से चुनकर कार्मिकों को इस प्रशिक्षण हेतु नामित किया।

प्रशिक्षण गतिविधियों - श्रेणी-IV

इस वर्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के व्यक्तित्व एवं कौशल क्षमता में स्किल के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई। पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर्मचारियों के नैतिक मूल्यों निष्पादन, व्यवसायिक कौशल के विकास के लिए किया गया ताकि इस वर्ष के कर्मचारियों में कम्पनी के प्रति एक नई सोच एवं वर्ष को अनुभव हो सके।

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्तर पर पूर्वी जोन के विभिन्न केन्द्रों जैसे कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना एवं गुवाहाटी क्षेत्र के लगभग 590 प्रतिभागियों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

प्रधान कार्यालय एवं कक्षेका-II के कर्मचारियों के लिए कक्षेका-I के प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया शेष कार्मिकों को अप्रैल 2013 के पश्चात कोलकाता, भुवनेश्वर,

Training at NCIL / RTCs

At NCIL Training Centre, Narendrapur, the training activities continued as per previous years. Our officers were trained in various domain related and functional areas during the year 2012-13. Separate Training programmes were held at RO level in RTC's/ATC's for employees and agents respectively. During the year, the number of officers trained at NCIL was 587 (Scale I to V). The RTCs provided training to all classes of employees numbering 421, 236, 1257 and 525 from Class I, Class II, Class III and Class IV respectively.

The total no of Agents trained at ATCs all over the country for 2011-12 was 5660.

Pre-promotional Training at NCIL / RTCs

Pre-promotional training was held for reserved category officers (Class I) at venues across the country before the promotional exercise 2012. A total of 387 officers received this training.

Pre-promotional training was also conducted for Class III and Class IV employees across the country.

Class II Training Activities

As part of a new initiative, Skill Development Training was organized across the country in several venues for our All India Development Officers. Specialized training with leading personality and skill development institute M/s. Team Results and Globsyn NSDC was organized for our development officers. The 3 day training module included development of behavioral skills, computer usage and time and stress management and a short interface on domain and industry practices.

The first phase training took place for East and North Zones in 2012-13. Multiple venues like Chandigarh, Lucknow, Delhi, Guwahati and NCIL were utilized for this training.

The training for South Zone and West Zone are scheduled in the months of April and May 2013 at Pune, Ahmedabad, Indore, Hyderabad, Kochi and

Bangalore. This would complete one cycle training for the entire cadre.

Class III Training Activities

Our training activity is also focused on boosting employee morale to peak performance outputs through reward programmes.

A reward cum training programme was also organized at College of Insurance, Mumbai for consistent and outstanding performers in Class III (Assistant / Senior Assistant cadre) at DO / BO / RO and HO (nominated by the respective Regional In-charges). It is a continuous process to motivate this section of the employees to boost their morale and optimize their performance levels as also to inspire others in that cadre to perform better to qualify for such programmes in the future. College of Insurance is a reputable institute for insurance learning which is under the aegis of Insurance Institute of India. In 2012-13, the Company nominated select participants from basically all Regional Offices and Head Office (maximum 15 per RO / and HO) for this programme.

Class IV Training Activities

It has been decided this year to implement a Programme for Soft Skills and Personality Development for our Class IV cadre (Sub-Staff / Full Time Sweeper/Drivers/Security Guard). It would be a first time effort to motivate this section of the employees to boost their morale and optimize their performance levels through the development of behavioral skills, work and time management as well as instill organizational pride amongst this section of employees.

A one day training programme at RTC level was organized in the Eastern Zone (to cover all ROs) at multiple centres like Kolkata, Bhubaneshwar, Patna and Guwahati to cover approximately 590 participants from this zone itself.

The slots for Head Office and CRO II were organized at CROI RTC premises. The remaining batches would be completed after April 2013 at Kolkata,

गुवाहाटी एवं पटना में प्रशिक्षण दिया जायेगा। शेष तीन क्षेत्रों में भी इस कार्य योजना को प्रभावी किया जायेगा।

एनआईसीडीजीआरएफ (नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी इंप्लाइज ग्रीवेन्स रिड्रेसल फोरम)

इस फोरम के माध्यम से सभी संवर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण किया जाता है। स्टेज-I एवं स्टेज-II की शिकायतों को स्थानीय क्षेत्र का स्तर पर देखा जाता है तथा स्टेज-III की शिकायतों का निवारण प्रधान कार्यालय स्तर पर किया जाता है। वर्ष 2012-13 में स्टेज-III के कुल छः मामलों में से 5 का निपटारा किया गया।

आंतरिक संप्रेषण

हमारे गृह पत्रिका नेशनल इन्श्योरेंस न्यूज कम्पनी के प्रबन्धन एवं कार्मिकों के बीच संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण मंच है। आंतरिक संप्रेषण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान पत्रिका का समेकित अंक प्रकाशित किया गया। पत्रिका (अप्रैल 2012) के उस अंक का आकर्षण कम्पनी द्वारा प्राप्त एनडीटीवी प्राफिट बिजनेस लीडरशिप एवार्ड 2011 रहा।

एस्टेट एवं स्थापना विभाग की गतिविधियाँ :

प्रधान कार्यालय में बेहतर कार्य का वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग ने भूतल, द्वितीय एवं तृतीय तल की आंतरिक साज-सज्जा का कार्य प्रारंभ किया। भूतल के लिए कांटेक्ट दे दिया गया है तथा द्वितीय एवं तृतीय तल के लिए कंसल्टेंट/आर्किटेक्ट की नियुक्ति ड्राइंग एवं इस्टीमेट बनाने के लिए की जा चुकी है। यह कार्य न केवल साज-सज्जा के दृष्टिकोण से किया जा रहा है बल्कि इन स्थानों पर अधिक से अधिक मानव संसाधनों को स्थान देने तथा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए भी दिया जा रहा है।

वर्तमान में प्रधान कार्यालय में स्थल की समस्या है। पिछले कई वर्षों में प्रधान कार्यालय के व्यवसाय एवं मानव संसाधनों में वृद्धि हुई परन्तु स्थान की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिणामस्वरूप प्रधान कार्यालय के 13 विभाग 5 अन्य भवनों में कार्य कर रहे हैं जिसके कारण कार्यालय की गतिविधियाँ सुचारू रूप से नहीं चल

पा रही हैं अतः ऐसा महसूस किया गया कि प्रधान कार्यालय के समस्त विभागों को एक छत के नीचे लाया जाय। आंतरिक साज-सज्जा के कार्यक्रम के बाद भी जो स्थान मिल रहा है वह काफी नहीं है। वर्तमान भवन कम्पनी के विकास की छवि को प्रदर्शित नहीं करता।

इस संबंध में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए फाइनेंशियल हब, न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता में 2.25 एकड़ का एक प्लॉट ₹29.4 करोड़ में खरीदा गया। इसका प्रमुख उद्देश्य एक ऐसे भवन का निर्माण करना है जिसमें प्रशिक्षण केन्द्र सहित सभी विभाग हों। इस भवन में 500 व्यक्तियों की क्षमता का एक एम्प्लीथियेटर, हास्टल, लाइब्रेरी, गेस्ट हाउस, क्लब, हेल्थकेयर सेंटर, जिम, स्वीमिंगपूल जैसी आधुनिक सुविधाएँ भी उपलब्ध होगी। यह योजना अभी प्रारंभिक स्तर पर है। सितम्बर 2013 तक जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया जायेगा।

नये क्षेत्रीय कार्यालयों में स्तरीय कार्य का माहौल प्रदान करने के लिए कार्य प्रारंभ किये गये हैं। हुबली क्षेत्रीय कार्यालय की आंतरिक साज-सज्जा का कार्य पूरा हो गया है तथा विजाग, जोधपुर, दिल्ली क्षेत्र-III एवं IV के लिए in principle स्वीकृति दे दी गयी है। दिल्ली क्षेत्र - II के नये भवन हेतु भी in principle स्वीकृति दे दी गयी है।

नई दिल्ली में बढ़ती आवास की मांग को देखते हुए कामन वेल्थ गेम विलेज में ₹5.27 करोड़ का एक 4बीएचके फ्लैट खरीदा गया।

रॉयल इन्श्योरेंस बिल्डिंग, मुम्बई भवन के बाहरी भाग के मरम्मत का कार्य वर्ष के दौरान प्रारंभ किया गया जिसकी अनुमानित लागत ₹69.74 लाख रुपये है।

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ :

ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप कम्पनी ने क्रेडिट इन्श्योरेंस का प्रारंभ किया, जो कार्पोरेट हाउस को आवरित करता है तथा इसमें क्रेता द्वारा डोमेस्टिक मार्केट एवं ओवरसीज मार्केट अथवा दोनों में इन्साल्वेंसी एक भुगतान न करने वाले के लिए संरक्षण प्रदान किया जाता है। कम्पनी ने रेगुलेटर से रिटेल हेल्थ प्रोडक्ट 'नेशनल मेडिकलेम पालिसी' का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है जो कुछ नई विशेषताओं

Bhubaneshwar, Guwahati and Patna. Subsequently the remaining 3 zones would be taken up for this programme.

NICEGRF (National Insurance Company Employees' Grievance Redresal Forum)

Internal Grievances of all sections of employees were redressed through this forum. Stage I and Stage II grievances were handled at local / RO level and Stage III grievances were redressed at Head Office. A total of 6 cases were escalated to Stage 3 in 2012-13 of which 5 cases have been since disposed.

Internal Communication

The house magazine, National Insurance News (NIN) is considered a very important communication platform for exchange of views between the management and our internal audience. As part of our internal communication initiative one consolidated issue of the magazine was brought out during the financial year. The magazine (April 2012) focused on the success story of the Company as the winners of the prestigious NDTV Profit Business Excellence Award 2011.

ESTATE & ESTABLISHMENT ACTIVITIES:

In its pursuit to provide a better work atmosphere at the Head Office, the department has initiated steps for interior furnishing of the ground floor, 2nd and 3rd floor of Head Office building. While the job contract has been awarded for the ground floor, Consultant/Architect has been appointed to prepare the drawing and estimation for furnishing the 2nd and 3rd floor with modular work stations not only to enhance the look but also to generate extra space to accommodate more manpower and storage space for records.

Currently Head Office is facing acute space crunch. Over the years, the business and so also the manpower at HO has gone up manifold, but the space remained constant. As a result, as many as 13 different departments of HO are operating in 5 different buildings other than the main building which is affecting smooth functioning of official activities. Therefore it was felt there was urgent need to bring

all the departments of Head Office under one roof. Even after the ongoing interior furnishing, the extra space generated will be found grossly inadequate to address the issue. Moreover, the present building does not reflect the growing stature of the Company.

With a view to address the issue in the long run, the department has acquired a plot of land ad-measuring 2.25 acre in the prestigious Financial Hub in New Town, Rajarhat, Kolkata at a cost of ₹29.4 crore. The whole idea is to built an Iconic State of the Art Intelligent Green Building to house all the departments along with the Training Centre. This apart, the building would have all modern facilities like amphitheater with capacity for 500 persons, hostel, library, guest house, clubs, healthcare center, gym and swimming pool .The plans are in the nascent stage. The land acquisition is likely to be completed by September 2013.

Steps have been taken to provide quality work environment to all the newly opened Regional Offices. Interior furnishing of Hubli RO has been completed and in principle approval has been given to Vizag RO, Jodhpur RO, Delhi RO-III & RO-IV. In principle approval for furnishing DRO-II new premises has also been given.

To meet the growing demand of accommodation in New Delhi, the department has purchased a 4BHK Flat in the Commonwealth Games Village, New Delhi at a cost of ₹5.27 crore .

Exterior renovation of Royal Insurance Building, Mumbai was started during the course of the year at an estimated cost of ₹69.74 lac.

RESEARCH & DEVELOPMENT ACTIVITIES

Continuing with our commitment to serve our customers better, your Company has introduced Credit Insurance, which is a cover for corporate houses, offering protection against their buyer's insolvency and default in payment, in the domestic market or overseas market or in both. Your Company has received approval from the regulator for its retail health insurance product named 'National Mediclaim Policy', our revised Mediclaim Insurance Policy (Individual) with new "value added"

के साथ हमारी संशोधित मेडिकलेम इश्योरेंस पॉलिसी (व्यक्तिगत) होगी। पॉलिसी जिसे शीघ्र ही लागू किया जायेगा, वर्तमान पॉलिसी की तुलना में अधिक सुविधाएं प्रदान करेगी। आपकी कम्पनी एक व्यवस्थित रिटेल इश्योरेंस उत्पाद लागू करेगी।

राजभाषा कार्यान्वयन

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम के आधार पर कम्पनी की राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी योजना तैयार कर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालय के समस्त विभाग प्रमुखों को अनुपालन हेतु भेजी गई तथा इस कार्य योजना में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने हेतु समय-समय पर इसकी समीक्षा की गई।

वर्ष 2012-13 के दौरान प्रधान कार्यालय द्वारा चार कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में एक कार्यशाला चतुर्थ श्रेणी कर्मिकों हेतु भी आयोजित की गई। प्रधान कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालय में भी कर्मिकों को इन कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन को अधिकाधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर कर्मिकों को पुरस्कृत भी किया गया, वहीं लेखा प्रतियोगिता के श्रेष्ठ लेखों को प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की गृह पत्रिकाओं में प्रकाशित भी किया गया।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय की राजभाषा कार्य-योजना के अनुरूप वर्ष 2012-13 में प्रधान कार्यालय द्वारा 10 क्षेत्रीय कार्यालयों का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण किया गया तथा इस कार्य-योजना में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने हेतु समय-समय पर इसकी समीक्षा कर यथोचित निर्देश भी जारी किया गया।

प्रधान कार्यालय की गृह पत्रिका- बीमावार्ता के दो अंकों का प्रकाशन किया गया। इस गृह पत्रिका में क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त रचनाओं को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों ने अपनी गृह पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिनमें से कुछ को नराकास ने पुरस्कृत भी किया।

वर्ष 2012-13 के दौरान कम्पनी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालयों में रिक्त अनुवादकों के पदों को सीधे भर्ती प्रक्रिया में माध्यम से भरा गया।

नराकास, कोलकाता द्वारा प्रधान कार्यालय को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए शील्ड प्रदान किया गया तथा हमारी गृह पत्रिका बीमावार्ता को उत्तम पत्रिका के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रधान कार्यालय स्तर पर चल रही हिन्दी प्रोत्साहन योजना को इस वर्ष क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर लागू किया गया, जिसके तहत कर्मिकों को हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप एक निर्धारित नकद राशि देने का प्रावधान है।

वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका को बढ़ावा देने हेतु पत्रिकाओं में प्रकाशित उल्लेखनीय लेखों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया। इस वर्ष कुल 12 पत्रिकाओं को इस पत्रिका पुरस्कार योजना में शामिल किया गया जिनके 15 लेखों/रचनाओं को पुरस्कृत किया गया।

वर्ष के दौरान संसदीय समिति द्वारा हमारे श्रृषिकेश शाखा कार्यालय, पुणे क्षेत्रीय कार्यालय एवं पाल्त्तकाड़ शाखा कार्यालय का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समिति द्वारा कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई। समिति को कार्यालय के प्रतिनिधि द्वारा कुछ बिन्दुओं पर आश्वासन भी दिया गया।

वर्ष के दौरान हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर 52 कर्मिकों को प्राज्ञ प्रशिक्षण दिया गया।

कम्पनी में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियों को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 22-23 फरवरी 2013 को धर्मशाला में अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन आयोजित की गई। जिसमें समस्त राजभाषा अधिकारियों ने शामिल हो कर राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की और "क", "ख", एवं "ग" क्षेत्र के उन कार्यालयों को अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक शील्ड पुरस्कार दिया गया जो राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। इसके साथ-साथ "क", "ख", एवं "ग" क्षेत्र की उत्तम पत्रिकाओं को भी इस सम्मेलन के दौरान पुरस्कार किया गया।

वर्ष के दौरान पालमपुर मंडल कार्यालय को मंत्रालय द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया।

बिजनेस प्रासेस को सुधारने के लिए आईटी द्वारा उठाये गये कदम :

ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने तथा बिजनेस प्रासेस में सुधार लाने के लिए हमने विभिन्न आईटी आधारित कार्यक्रमों में विशेष प्रगति की है। व्यवसाय प्राप्त करने एवं वित्तीय इंकलूजन के लिए ग्राहकों

features. The Policy, which is to be launched shortly, provides enhanced benefits compared to our existing policy. Going forward your Company will be introducing an array of innovative retail insurance products.

OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION:

Annual Programme of the Company for the year 2012-13 was prepared on the basis of Annual Programme received from Ministry of Home Affairs, Office Language Deptt. New Delhi and circulated to all the Regional Offices and review of the same was undertaken from time to time to ensure the compliance of the targets mentioned therein.

In compliance of the Annual Programme four Hindi workshops were organized during the year. One of the workshops was organized for Class-IV employees. At Regional Offices level workshops were also organized and employees were imparted training to use Hindi in their day-to-day work.

For effective implementation of official language, Head Office along with all the Regional Offices celebrated Hindi day/week. On this occasion numerous competitions were organized and prize winners of the competitions were felicitated. Prize winning articles were published in house magazine of Head Office and Regional Offices.

To ensure implementation of official language policy, inspection of 10 Regional Offices regarding OL implementation were conducted and concerned ROs were instructed for compliance accordingly.

During the year two issues of (half yearly) of Hindi magazine "Bima Varta" were published by Head Office. Our Regional Offices also published Hindi magazines and some of them were awarded by concerned Town Official Language Implementation Committee.

During the year vacant posts of Hindi translators at HO as well as ROs level were filled-up through direct recruitment in compliance of the assurances given to Parliamentary Committee.

TOLIC, Kolkata awarded Rajbhasa Shield to our Head Office for better implementation of Official

Language and bestowed us with Uttam Patrika Puraskar to our Head Office Magazine "Bima Varta".

Incentive programme for workshop in Hindi is now decentralized to Regional Office level wherein a cash incentive is given to employees for working in Hindi.

To encourage the employees of different office for their contribution in Hindi magazine, it has been decided to provide cash incentive for the best articles of the magazine. During the year, total 15 articles of 12 magazines were awarded.

During the year, Honorable Committee of Parliament on Official Language visited our Rishikesh Branch Office, Pune Regional Office and Pallakad Branch Office regarding inspection of official language implementation. During inspection various points related to implementation were discussed. Assurances were also given by our Company's representatives to the committee.

An Internal Training Programme was organized regarding Pragya Course at Head Office in which 52 employees were trained.

For effective implementation of official language, All India Hindi Officers' Conference was organized on 22-23 February, 2013 at Dharmshala. In the said conference various points regarding official language implementation at RO/DO/BO were discussed. For better implementation of official language and best magazine, CMD Shield Prizes were awarded region wise to the concerned ROs during this conference.

Ministry of Home Affairs, Official Language Department, New Delhi awarded the Rajbhasa Shield (first prize) to our Palampur Divisional Office for better implementation of official language.

IT INITIATIVES TO IMPROVE BUSINESS PROCESS:

We could achieve remarkable progress in various IT initiatives to improve Business Process and enhance Customer satisfaction. Opening of innovative Customer centric front-ends for Business Procurement and Financial Inclusion, new

हेतु फ्रंट एण्ड को खोला गया। वर्तमान एवं प्रभावी ग्राहकों के लिए नये संप्रेषण चैनल, वीडियो संप्रेषण के माध्यम से आंतरिक संप्रेषण तथा युनीफाइड कम्यूनिकेशन इनवायरमेंट की तरफ विकास जैसे कार्य वित्तीय वर्ष की प्रमुख उपलब्धियों रही।

ऑनलाईन कस्टमर पोर्टल:

- ❖ 24 x 7 आधार पर कस्टमर पोर्टल लागू किया गया जिसके द्वारा नई पालिसियाँ जारी की जाती है तथा पालिसियाँ का नवीकरण भी किया जाता है।
- ❖ मोटर, व्यक्तिगत मेडिकलेम, परिवार मेडिकलेम, ओवरसीज मेडिकलेम, व्यक्तिगत दुर्घटना एवं हाउसहोल्डर्स बीमा जैसी पर्सनल लाईन की पालिसियाँ ऑनलाइन जारी किये जाने हेतु उपलब्ध है।
- ❖ ग्राहकों की सुविधा के अनुसार फाइनेशियल इन्क्लूजन समर्थित पालिसियाँ जैसे जनता पर्सनल एक्सीडेंट, ग्रामीण सुस्वास्थ्य एवं ग्रामीण सुरक्षा पालिसियाँ आन लाईन उपलब्ध है।
- ❖ आनलाईन पालिसियाँ को जारी किये जाने के प्रथम वर्ष में ₹1.82 करोड़ का प्रीमियम प्राप्त हुआ तथा वर्ष 2012-13 के 11 माह के दौरान कुल 9300 पालिसियाँ जारी की गईं।
- ❖ ग्राहकों के लिए कहीं भी किसी भी समय के आधार पर पेमेंट गेटवे के अंतर्गत नेट बैंकिंग एवं क्रेडिट कार्ड के उपयोग की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

संव्यावहारिक कियोस्क:

- ❖ प्रधान कार्यालय में किसी भी समय पालिसी जारी करने के लिए ट्रांजेक्शनल किऑस्क स्थापित किया गया।
- ❖ कियोस्क में कार्ड स्वाइपिंग सुविधा तथा रसीद एवं अनुसूची प्रिंट करने की सुविधा है।
- ❖ इश्योरेंस ट्रांजेक्शनल किआस्क में कार्ड स्वाइपिंग एवं प्रिंटिंग की सुविधा एक महत्वपूर्ण फ्रंट एंड है जो कि ऑस्क आवेदन, ऑनलाइन सिस्टम एवं पेमेंट गेटवे का सम्भावित रूप है।

- ❖ ग्राहकों की सुविधा तथा किसी भी समय बीमा के लिए इसे स्टैटैजिक लोकेशन पर स्थापित किये जाने की योजना है।

फाइनेशियल इन्क्लूजन :

- ❖ वेब आधारित कार्यक्रम के माध्यम से सम्पूर्ण भारत में प्रचालित लगभग 500 व्यवसाय केन्द्र सुदूर क्षेत्रों के पर्सनल लाइन व्यवसाय से ₹250 करोड़ प्रीमियम की आय कर रहे है।
- ❖ ग्राहकों की सुविधा के लिए आफिस ऑन व्हील वाहन, जो सभी सुविधाओं से युक्त है, को 2012 में कोलकाता, चंडीगढ़ एवं बंगलोर में प्रयोग प्रारंभ किया गया।
- ❖ उक्त के परिणामस्वरूप एसकेओसीएच (SKOCH) द्वारा हमें 2012 का डिजिटल इन्क्लूजन गोल्ड एवार्ड प्राप्त हुआ।

ईएएसआई अपडेट :

- ❖ विस्तृत रिटेल एवं कार्पोरेट व्यवसाय आधार से पूर्ण इश्योरेंस सोल्यूशन चैन्नई के पाँच कार्यालयों में रोल आउट किया गया।
- ❖ चैन्नई क्षेत्रा के अन्य कार्यालयों में शीघ्र ही रोल आउट किया जाना है।
- ❖ चैन्नई क्षेत्रा, कक्षेका-I, कक्षेका-II, भुवनेश्वर क्षेत्रा, गुवाहाटी क्षेत्रा, बंगलूर क्षेत्रा, हैदराबाद क्षेत्रा, दिक्षेका-I एवं दिक्षेका-II के ईएएसआई प्रशिक्षार्थियों के लिए प्रशिक्षण पूरा किया गया।
- ❖ केन्द्रीयकृत पेट्रोल हमारे एकाउण्ट हब द्वारा 10 क्षेत्रा में कार्य कर रहा है तथा उन्त्य क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य चल रहा है।
- ❖ नई कार्पोरेट वेब-साइट एवं एजेंट पोर्टल के लिए कार्य किया जा रहा है।
- ❖ प्रोडक्शन इन्वायरलमेंट में डाक्यूमेंट मैनेजमेंट सोल्यूशन कार्य कर रहा है तथा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम का विकास किया गया है।
- ❖ वर्ष 2012 में एचआरएमएस के विजिलेंस माड्यूल को रोल आउट किया गया।

channels of communications with existing and potential customers, enhancing internal user experience through video communication and proceeding towards unified communication environment are certain highlights of the financial year.

ONLINE CUSTOMER PORTAL

- ❖ We have introduced 24 x 7 online Customer Portal for issuance of new policies and renewal of existing policies.
- ❖ The Personal line policies available for online issuance are Motor, Individual Mediclaim, Parivar Mediclaim, Overseas Mediclaim, Personal Accident and Householders' Insurance Policies.
- ❖ The policies supporting Financial Inclusion are Janata Personal Accident, Gramin Suswasthya and Gramin Suraksha Policies which are available online at the convenience of the customer.
- ❖ In its first year of operation, the aggregate Premium earned online has been ₹1.82 crore from 9,300 Policies issued in 11 months of the year 2012-13.
- ❖ Seamless integration with Payment Gateway has ensured full Net Banking and Credit Card usage facility for the customer anywhere-anytime.

TRANSACTIONAL KIOSK

- ❖ A transactional kiosk has been introduced at Head Office premises for issuance of policies anytime.
- ❖ The Kiosk has Card swiping facility and generates printed Schedule and Receipt.
- ❖ Insurance Transactional kiosk having card swiping and printing facility is a remarkably unique and innovative front-end which required complex integration of Kiosk application, Online system and Payment Gateway.

- ❖ It is planned to be installed at Strategic locations to enhance customer access to Any-Time-Insurance.

FINANCIAL INCLUSION

- ❖ Around 500 Business Centres are operating across India generating around ₹250 Crore of personal line of business from relatively remote locations through web-based applications.
- ❖ Office-on-Wheels i.e., fully equipped Mobile Vans in Kolkata, Chandigarh and Bangalore have become operative in 2012 to facilitate easy access to customers.
- ❖ This has led to our winning the Digital inclusion Gold award 2012 from SKOCH.

EASI UPDATE

- ❖ The highly integrated Core Insurance solution has been rolled out at Five Offices in Chennai having large Retail and Corporate Business base.
- ❖ Further roll out at Offices under Chennai RO are forthcoming soon.
- ❖ Training for EASI trainers have been completed for Chennai RO, Calcutta RO-I, Calcutta RO-II, Bhubaneswar RO, Guwahati RO, Bangalore RO, Hyderabad RO, Delhi RO-I and Delhi RO-II.
- ❖ Centralized Payroll is live at 10 ROs through our Accounts Hubs and the other ROs are on parallel run.
- ❖ Development has been done for new Corporate Website and Agents' Portal.
- ❖ Document Management solution is already operative in Production environment and Customer Relationship Management System has been developed.
- ❖ Vigilance Module of HRMS (Human Resource Management System) has been rolled out in 2012.

- ❖ अवकाश, दावा एवं प्रति भुगतान हेतु, एचआरएमएस सेल्फ सर्विस माड्यूल को रोल आउट किया जा रहा है।
- ❖ अभिकर्ताओं के लिए एक विशेष पोर्टल, जो इजी समर्थित है, रोल आउट के लिए तैयार है।
- ❖ कम्पनी की वेब पर नये लूक में होगी क्योंकि हम एक नई कार्पोरेट वेबसाइट लांच करने की योजना बना रहे हैं।

ई-गवर्नेंस :

- ❖ कर्मचारियों, वेंडर एवं सप्लायर को सभी भुगतान एनईएफटी/आरटीजीएस के द्वारा किया गया।
- ❖ प्रीमियम की रसीद एनईएफटी/आरटीजीएस के द्वारा प्राप्त हो रही है तथा दिल्ली के सभी स्थानों पर स्वाईप मशीन उपलब्ध करा दी गई तथा देश के लगभग 300 स्थानों पर डेबिट/क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

ग्राहक संप्रेषण बिंदु :

- ❖ वर्ष 2012 में 24 x 7 आधार पर लागू किया गया ऑन-लाइन चैट ग्राहकों में काफी प्रचलित हुआ जिसके हास ग्राहकों को कम्पनी आवश्यकताओं के बारे में किसी भी समय बात करने सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- ❖ ग्राहकों द्वारा उत्पाद अथवा अपनी पालिसी संबंधी किसी भी जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर का प्रयोग किया जा रहा है।
- ❖ उक्त दोनों चैनल काफी प्रभावी तरीके से कार्य कर रहे हैं तथा व्यवसाय संग्रहण में एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- ❖ ई-एसएमएस एलर्ट हमारे ऑन-लाइन पोर्टल का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को सफलतापूर्वक ई-एसएमएस एलर्ट की सुविधा उपलब्ध है।
- ❖ इजी के अंतर्गत कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के द्वारा ग्राहक अपनी पालिसी तथा दावों के संबंध में बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

रेन्टाल नोटिस जारी करना :

- ❖ मोटर, हेल्थ, व्यक्तिगत दुर्घटना, हाउस होल्डर्स एवं शापकीपर्स

के लिए पूरे देश में प्रिंट-टू-पोस्ट सेवा के माध्यम से नवीकरण नोटिस जारी करना लागू किया गया।

आईटी सिम्यूरिटी इनिशिएटिव :

- ❖ हमें सिम्यूरिटी प्रैक्टिसेज के लिए वर्ष 2012 का सीआईएसओ अवार्ड प्रदान किया गया।
- ❖ हम विभिन्न कार्यालयों में आईएसओ 27001-2 प्रकिया लागू करने पर विचार कर रहे हैं।
- ❖ आईटी विभाग ने इन टूल्स एवं प्रासेस को प्राप्त करने तथा लागू करने के लिए एक आरएफपी फ्लोट किया है।

आईटी नेटवर्क :

- ❖ ईजी एप्लीकेशन के लिए अतिरिक्त ब्रैंडविड की आवश्यकता के कारण हमारे कार्यालयों का बैंडविड बढ़ा है जो ईजी रोल आउट शिड्यूल पर आधारित है।
- ❖ बीएसएनएल द्वारा उपलब्ध कराया गया एमपीएलएस बीपीएन कुल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का 99.9% अपटाइम सुनिश्चित करता है।
- ❖ फालबैक लाइन कार्य पूरे देश में प्रक्रिया में है जिनके द्वारा प्रत्येक प्रचालन कार्यालय में आस्टिमम लेवल ऑफ अप-टाइम की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।

आई डिफिनेशन वीडियो कान्फ्रेंसिंग सोल्यूशन :

- ❖ प्रधान कार्यालय, एनसीआईएल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कुल आई डिफिनेशन वीडियो कान्फ्रेंसिंग सोल्यूशन को पूरा कर लिया गया है तथा यह इंस्टाल होने की प्रक्रिया में है।
- ❖ इससे वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग करनेवाले उपयोगकर्ता के अनुभव में वृद्धि होगी।

आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर :

- ❖ स्टार विकास अधिकारियों एवं स्टार प्रशा.अधि (विपणन)/सहायक प्रबन्धक (विपणन) में 1000 लैपटाप वितरित किये गये।
- ❖ पुराने डेस्कटॉप को, जिनकी वारंटी समाप्त हो गई थी, बदलकर वर्ष 2012 में 3000 नये डेस्कटॉप पूरे देश में लगाये गये।

- ❖ HRMS Self Service Modules for Leave and other Claims and Reimbursements are being rolled out.
- ❖ An exclusive Portal for Agents, which is integrated with EASI is ready for roll out.
- ❖ Your Company will have a new look on the web as we are planning to launch a new corporate Website.

E-GOVERNANCE

- ❖ All payments to employees, vendors and suppliers are made through NEFT/RTGS.
- ❖ Receipt of Premium through NEFT/RTGS has been enabled and Swiping machines have been made available at all locations in Delhi and also deployed at around 300 locations across the country with Credit Card/Debit Card enabled application made available to all.

CUSTOMER COMMUNICATION INTERFACE

- ❖ 24 x 7 Live Online Chat has been introduced in 2012 which has gained remarkable popularity among existing and potential customers providing them opportunity for anytime communication regarding their requirements.
- ❖ Toll-Free Number is also extensively used by the customers for all purposes from Product enquiry to assistance on their existing policies.
- ❖ Both the Channels have generated large number of Lead Reports which are being channelized for Business Procurement.
- ❖ E-SMS Alerts are pushed to Customers successfully utilizing our Online Portal.
- ❖ Customer Relationship Management under EASI will enable the customers to have even better access to their policies and Claims.

RENEWAL NOTICE ISSUANCE

- ❖ Centralized issuance of Renewal Notices through Print-to-Post Service has been

implemented across the country for Motor, Health, Individual PA, Householders and Shopkeepers policies.

IT SECURITY INITIATIVES

- ❖ We have been awarded the CISO award 2012 for sound Information Security Practices.
- ❖ We are looking forward to implement ISO 27001-2 processes in various Offices.
- ❖ IT Department has floated an RFP for procurement and implementation of these tools and processes.

IT NETWORK

- ❖ Bandwidth of our offices will be augmented based on EASI rollout schedule due to additional requirement of bandwidth of the EASI Applications.
- ❖ MPLS VPN Cloud provided by BSNL ensures an uptime of 99.9% of the overall network infrastructure.
- ❖ Fallback line across the Country is in the Roadmap to cater to the requirement of optimum level of uptime at all operating offices.

HIGH DEFINITION VIDEO CONFERENCING SOLUTION

- ❖ Procurement of Full High Definition (Full HD) Video Conferencing Solution for our Head Office, NCIL and all the Regional Offices has been completed and is under the process of installation.
- ❖ This will greatly enhance the user experience of Video Conferencing facility.

IT INFRASTRUCTURE

- ❖ 1000 Laptops have been procured for and distributed to Star Development Officers and Star AO (M)/AM(M).
- ❖ 3000 New desktops have been delivered across the country in 2012 to replace old Desktops which went out of warranty.

- ❖ ईजी एप्लीकेशन एवं व्यवसाय केन्द्रों के लिए 4600 डेस्कटॉप का आर्डर दिया जा चुका है।

दावा प्रबन्धन :

- ❖ क्लेम हब ने दावा प्रबन्धन में सुधार तथा उपगत दावा अनुपात में कमी करने में सहायता की, जिसके साथ क्लेम पोर्टल जुड़ा हुआ है जिससे केन्द्रीयकृत दावा प्रासेसिंग का कार्य तथा आईटी समर्पित दावा निस्तारण का कार्य किया जा रहा है।

सतर्कता :

दण्डात्मक कार्रवाई के संदर्भ में वर्ष 2012-13 के दौरान 67 अनुशासनात्मक कार्रवाई के केसों का निस्तारण किया गया तथा 45 अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

वर्ष के दौरान 86 पेनाल्टी मामलों से 55 में मेजर तथा 31 में माइनर पेनाल्टी लगाई गई।

सतर्कता के निवारणक पक्ष पर विशेष बल देते हुए वर्ष के दौरान 45 औचक निरीक्षण लिये गये। ओडीआई सूची भी तैयार की गई तथा प्रबन्धन को समुचित कार्रवाई हेतु दी गई।

14 व 15 मार्च 2013 को भारत को अमृतसर में अखिल भारतीय सतर्कता अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें महाप्रबन्धक (कार्मिक) ने भाग लिया। विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए सतर्कता अधिकारियों से विभिन्न विन्दुओं पर चर्चा की गई। इस बिन्दु पर बल दिया गया कि विजिलेन्स प्रबन्धन का ऐसा टूल है जिससे संगठन की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।

प्रधान कार्यालय, कार्मिक विभाग के संबंध में काफी समय से लंबित अनुशासनिक मामलों को निपटाने पर बल दिया गया जिसका बेहतर परिणाम प्राप्त हुआ।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान लेखा परीक्षा निरीक्षण निम्नवत किये गये :

रेगुलर व तकनीकी लेखा	इंसेंटिव लेखा	टीपीए (यूनीट्स) लेखा	दावा हब लेखा	अन्य लेखा	कुल
1596	160	58	20	78	1912

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2012 पूरे देश में मनाया गया तथा इस अवसर पर जागरूकता संबंधी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये।

ईजी प्रोजेक्ट के अंश के रूप में विजिलेंस प्रोडक्सन मॉड्यूल लागू किये जाने के अंतिम चरण में है तथा लगभग सभी लंबित अनुशासनिक एवं जाँच संबंधी कार्रवाइयों को इस मॉड्यूल में डाला गया है। एक बार पूरी तरह से आपरेशन में आ जाने के पश्चात भविष्य में मॉड्यूल के द्वारा कार्य क्षमता को विस्तारित किया जा सकेगा।

आंतरिक लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण गतिविधियाँ :

कम्पनी की आंतरिक लेखा परीक्षण गतिविधियों के अंतर्गत सभी 26 क्षेत्रीय कार्यालयों का विभिन्न प्रकार का आडिट निरीक्षण किया गया जैसे विकास अधिकारियों का इंसेंटिव पूर्व ऑडिट, शाखा, मंडल, क्षेत्रीय एवं प्रधान कार्यालय के विभागों का ट्रॉजेक्सन आडिट, टीपीए आडिट, क्लेम हब आडिट तथा स्पेशल आडिट।

विभाग ने कम्पनी की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की तथा प्रबन्धन द्वारा बनाई गई गाइड-लाइन्स में व्यापक कमियों का उल्लेख किया।

वार्षिक आडिट प्लान को कम्पनी के कार्यालयों के पिछले तीन वर्षों के औसत अनुपात के आधार पर तैयार किया गया। वर्ष के दौरान आडिट अनुपालन पर विशेष ध्यान दिया गया। आडिट कम्प्लायंस कमेटी ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कम्प्लायंस एक्सन रिपोर्ट की समीक्षा की जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों सहित विभिन्न स्रोतों में रिकवरी हुई तथा बकाया मामलों में काफी कमी आई।

आवश्यकता के अनुरूप निवेश प्रचालन का अंकेक्षण बाहरी आडिट फर्म द्वारा किया गया तथा तिमाही रिपोर्ट आडिट कमेटी के समय प्रस्तुत की गई तथा आडिटर के प्रमाणीकरण के पश्चात आईआरडीए को भेजी गई।

- ❖ Order has placed for procurement of 4600 Desktops for EASI Applications at operating Offices and Business centres.

CLAIMS MANAGEMENT

- ❖ Claims Hubs have helped in improved Claims Management and reduction in Incurred Claims Ratio aided by the Claims Portal having centralized Claims Processing function and IT enabled Claims settlement processes.

VIGILANCE:

As part of punitive action, in the financial year 2012-13, 67 no. of cases were disposed of pertaining to disciplinary proceedings, while 45 disciplinary proceedings were initiated.

In the year, total of 86 penalties were imposed comprising 55 major penalties and 31 minor penalties.

Preventive Vigilance is being given special emphasis and 45 Surprise Inspections were conducted during the year. "ODI" list was also prepared and provided to Management for appropriate action.

On 14th & 15th March 2013, All India Vigilance Officers' Meet was organized at Amritsar, which was graced by General Manager (Personnel). Various issues were discussed threadbare with all the Vigilance Officers to further improve the functioning of the department. It was emphasized that "Vigilance" is a Management tool to maximize productivity of the organisation.

In co-ordination with Head Office Personnel department, special emphasis is being given to dispose of long pending disciplinary proceedings. This has yielded good results.

Vigilance Awareness Week 2012 was also

During the fiscal 2012-13, the following audits were conducted:-

Regular & Technical Audits	Incentive Audit	TPA (Units) Audit	Claims Hub Audit	Other Audits	Total
1596	160	58	20	78	1912

organized throughout the country and various awareness programmes were organized.

As part of EASI project, "Vigilance Production Module" is already under advanced stage of implementation and nearly all pending disciplinary proceedings and "Investigations" have been populated in the Module. Once fully operationalized, the Module will help in freeing the human resources for more productive use in near future.

INTERNAL AUDIT AND INSPECTION ACTIVITIES:

Internal Audit activities of the Company are undertaken in all the 26 Regional Offices and the Internal Audit & Inspection department conducted various types of audit e.g. Pre-incentive audit of Development Officers, transaction audit of Branch, Divisional & Regional Offices, Head Office Departments, TPA. Audit & Claims Hub Audit and Special Audits.

Further to audit, the department reviews various activities of the Company and points out the control weakness and shortcomings in the various guidelines framed by the Management.

Annual Audit Plan drawn up on the basis of Company's average combined ratio for the last three years. During the year, focus was made on audit compliance. The Audit Compliance Committee (ACC) reviewed the compliance action reports vigorously in all the Regional Offices, which reflected into sizable amount of recovery from various sources including the employees and considerable reduction in outstanding queries.

As per the requirement, concurrent audit of investment operation is conducted by an external audit firm and quarterly report is placed before the Audit Committee and subsequently sent to IRDA after certification by the concurrent auditors.

सरकारी आडिटर द्वारा निरीक्षण के दौरान उठाये गये बिन्दुओं के अनुपालन हेतु कार्रवाई की गई तथा अनुपालन से संतुष्ट होने के पश्चात वर्ष 2012-13 बड़ी संख्या में निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा का निस्तारण किया गया। इसी तरह एक्सन टेकेन नोट के माध्यम से इंसोक्सन रिपोर्ट में महालेखा परीक्षक द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई को निस्तारण हेतु वित्त मंत्रालय के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2ए) के अंतर्गत सरकारी कम्पनियां तथा उनका विवरण :

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2ए) के साथ पारित कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) संशोधन नियम 2011 के कम्पनी के संशोधित नियम के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी को प्रयोज्य संशोधित सीमा अर्थात ₹5 लाख प्रति माह का वर्ष में ₹60 लाख से अधिक का पारिश्रमिक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ।

निदेशकों का दायित्व विवरण:

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2ए) के अनुसरण में निदेशकगण एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि :

- i. 31 मार्च 2013 के समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है तथा साथ में महत्वपूर्ण विचलन के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है।
- ii. वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्यों, उसी अवधि के लिए कम्पनी के लाभ तथा हानि की वास्तविक तथा स्पष्ट स्थिति से अवगत कराने के लिए निदेशकों द्वारा समुचित लेखांकन नीतियों का चयन किया गया तथा उन्हें निरन्तर लागू किया और उपयुक्त तथा विवेकपूर्ण निर्णय व प्राक्कलन किया।
- iii. कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा कपट एवं अन्य अनियमिततायें रोकने तथा खोजने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रख-रखाव के लिए उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
- iv. सक्रिय व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया गया है।

कोर्पोरेट गवर्नेंस

निदेशक मंडल

श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे को कम्पनी में बैंक नामित निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव 31 दिसम्बर 2012 से श्री भास्कर सेन के स्थान पर नियुक्त किया गया। बोर्ड ने श्री भास्कर सेन को कम्पनी में, बोर्ड के सदस्य एवं लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में दी गयी सेवाओं की प्रशंसा दर्ज की।

श्री अरूण कौल, सीएमडी, यूको बैंक को बैंक नामित निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव 10 मई 2013 से श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे के स्थान पर नियुक्त किया गया।

श्रेणी	निदेशकों की संख्या
कार्यपालक निदेशक	3
गैर कार्यपालक निदेशक	
- बैंक निदेशक	1
- सरकारी निदेशक	1
- अन्य	2

निदेशकों का पारिश्रमिक (शुल्क)

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक - केन्द्र सरकार के नियमानुसार
कार्यपालक निदेशक - कम्पनी के नियमानुसार
अकार्यपालक निदेशक - अंशकालिक व अकार्यकारी निदेशकों को समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित बोर्ड की बैठक एवं बोर्ड एवं सब-कमेटी की बैठकों में भाग लेने के लिए सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है। तथापि नामित निदेशकों को सिटिंग फीस का भुगतान नहीं किया गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजित 7 बोर्ड एवं 10 कमेटी बैठकों में भाग लेने के लिए श्री अमिताभ कोठारी को ₹1,20,000/- का भुगतान किया गया। वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजित 7 बोर्ड एवं 6 कमेटी की बैठकों में भाग लेने के लिए श्री मोती लाल शर्मा को ₹1,00,000/- का भुगतान किया गया।

Actions were also initiated for compliance to the Inspection Reports (IR) raised by the Government Auditors and having satisfied with the compliances, large no.of Inspection Report Paras are disposed during the year 2012-13. Similarly, Action Taken Notes (ATN) in respect of C&AG Paras were also submitted through the Ministry of Finance to facilitate disposal of Paras.

PARTICULARS OF GOVERNMENT COMPANIES AND COMPANIES UNDER SECTION 217(2A) OF THE COMPANIES ACT, 1956:

During the Financial Year 2012-13, none of the employees is in receipt of remuneration in excess of the applicable revised limits i.e. ₹5 lac per month or ₹60 lac per annum as prescribed in Section 217(2A) of the Companies Act, 1956 read with the Companies (Particulars of Employees) Amendment Rules, 2011.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

Pursuant to Section 217(2AA) of the Companies Act, 1956, Directors hereby confirm that -

- i) in preparation of the Annual Accounts for the financial year ended 31st March 2013, the applicable accounting standards had been followed along with explanation relating to material departures, if any,
- ii) the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgement(s) and estimate(s) that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for that period,
- iii) proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities and
- iv) annual accounts have been prepared on a going concern basis.

CORPORATE GOVERNANCE

Board of Directors

Smt. Subhalakshmi Panse has been appointed as a Bank Nominee Director w.e.f. 31st December 2012 in place of Shri Bhaskar Sen. The Board wishes to convey their sincere appreciation for the contribution made by Shri Bhaskar Sen during his association with the Company as a Member of the Board & Chairman to the Audit Committee.

Further, Shri Arun Kaul, CMD of UCO Bank has been appointed as a Bank Nominee Director w.e.f. 10th May 2013 in place of Smt. S. A. Panse.

Composition of the Board

The Board of the Company comprises of Executive and Non-Executive Directors. Presently, the composition of the Board is as follows:

Category	No. of Directors
Executive Director	3
Non-Executive Director	
- Bank Nominee	1
- Government Nominee	1
- Independent	2

Remuneration to Directors

For CMD - as per Central Government norms.

For Executive Directors - as per Company norms.

For Non-executive Directors - Sitting fees is paid for attending the meeting of Board & sub-committees of the Board as per government norms. However, no sitting fee is paid to the Nominees.

However an amount of ₹1,20,000/- has been paid to Shri Amitav Kothari for attending 7 Board & 10 Committee meetings held during the financial year 2012-13. Further, an amount of ₹1,00,000/- has been paid to Shri Moti Lal Sharma for attending 7 Board & 6 Committee meetings held during the financial year 2012-13.

लेखा परीक्षा समिति

वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया तथा वर्तमान में समिति में निम्न सदस्य हैं:

1. श्री अमिताभ कोठारी (अध्यक्ष)
2. श्री अनुराग जैन
3. श्री कुलदीप सिंह

समिति कम्पनी के वार्षिक लेखा योजना को अनुमोदित करती है तथा कम्पनी की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करती है। समिति ने कम्पनी की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु विभिन्न दिशानिर्देश जैसे हानि नियंत्रण उपाय, प्राविजनिंग, आन्तरिक लेखा परीक्षा की गतिविधियों में सुधार एवं कम्पनी में वर्तमान आन्तरिक नियंत्रण सिस्टम, दिये।

सांविधिक लेखा परीक्षा

कम्पनी अधिनियम 1956 की 619(2) के अंतर्गत महालेखा परीक्षक, भारत सरकार (सी एंड एजी) द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, मंडल कार्यालय एवं विदेशी शाखाओं के लिए लेखा परीक्षण के लिए मे.गुहा नंदी एण्ड कं. सनदी लेखाकार, कोलकाता तथा मै. एम. सी. भंडारी एण्ड कं. सनदी लेखाकार वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए पुनः नियुक्त किया। लेखा परीक्षकों द्वारा दिये गये मार्गदर्शन हेतु निदेशक मंडल अपना आभार व्यक्त करता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अध्यक्ष, लेखा परीक्षा

बोर्ड, प्रिंसिपल निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा और पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-II, कोलकाता को उनके बहुमूल्य मार्ग निर्देशन और सहयोग के लिए निदेशक मंडल धन्यवाद ज्ञापित करता है।

संसद के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना :

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(ख) के साथ पठित धारा 619(क) के अधीन संसद के दोनों सदनों में कम्पनी का वार्षिक प्रतिवेदन निदेशकों के प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

आभार :

निदेशक मंडल सभी स्तर के अधिकारियों, विकास अधिकारियों तथा अन्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा पालिसी धारकों को उत्तम सेवा प्रदान करने तथा कम्पनी का कार्य निष्पादन सुधारने में उनके द्वारा दिये गये योगदान के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करना चाहते हैं। अपने वर्तमान तथा नये ग्राहकों की बड़ी संख्या द्वारा कम्पनी में पुनः विश्वास व्यक्त करने के लिए निदेशकगण उनकी भरपूर प्रशंसा करते हैं। कम्पनी का पुनर्बीमा व्यवसाय स्वीकार करने में समुद्रपारीय पुनर्बीमाकर्ताओं एवं राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) द्वारा दिये गये सहयोग एवं समर्थन के लिए निदेशकगण अपना आभार व्यक्त करते हैं।

कम्पनी के कार्य प्रबन्धन में दिये गये समर्थन, सहयोग एवं मार्ग निर्देश के लिए बीमा प्रभाग, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग, जनरल इन्श्योरेंस (पब्लिक सेक्टर) एशोसिएशन ऑफ इंडिया (जिप्सा), बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के प्रति निदेशक मण्डल प्रशंसा दर्ज करते हुए आभार व्यक्त करना चाहते हैं।

कृते निदेशक मण्डल

नाते श्रीरामचंद्रप्रसाद

(एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद)

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

कैम्प. दिल्ली, 22 मई 2013

Audit Committee

The Audit Committee has been re-constituted by the Board and at present the Committee comprises of the following Members -

1. Shri Amitav Kothari (Chairman)
2. Shri Anurag Jain
3. Shri Kuldip Singh

The Committee approves the Annual Audit Plan of the Company and appoints Concurrent Auditor and reviews various activities of the Company. The Committee gave various directions for improvement of the functioning of the Company for loss control measures, provisioning issues, improvement of Internal Audit activities including internal control system prevailing in the Company.

STATUTORY AUDITORS

M/s. Guha Nandi & Co., Chartered Accountants, and M/s. M.C. Bhandari & Co., Chartered Accountants were re-appointed as Statutory Auditors of the Company for the financial year 2012-13 by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) in terms of Section 619(2) of the Companies Act, 1956 in addition to the appointment/re-appointment of Branch Auditors for the various Regional and Divisional Offices and also for the Foreign branches. The Board of Directors wishes to convey their sincere appreciation to the Auditors for their guidance.

AUDIT BY COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

The Board of Directors wishes to convey their thanks to the Comptroller & Auditor General of India, the Chairman of the Audit Board, Principal Director of Commercial Audit and ex-officio Member, Audit

Board-II, Kolkata for their valuable guidance and co-operation.

PLACEMENT OF ANNUAL REPORT BEFORE THE PARLIAMENT

The Annual Report of the Company along with the Directors' Report is being placed before both the Houses of the Parliament under Section 619(A) read with 619(B) of the Companies Act, 1956.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors wishes to place on record their appreciation of the commendable work done by the officers and other classes of employees comprising of development officers and staff at all levels in rendering efficient services to the policyholders and for their contribution in the performance of the Company. The Directors also deeply appreciate the confidence reposed in the Company by a wide spectrum of its client base, existing as well as new. The Directors acknowledge the excellent support extended by overseas Reinsurers and the General Insurance Corporation of India (GIC) as the National Reinsurer in the placement of Company's Reinsurance business.

The Directors would also like to place on record their gratitude and deep appreciation of the support and guidance received from the senior officials of the Insurance Division, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India & General Insurers' (Public Sector) Association of India (GIPSA) and from the Insurance Regulatory and Development Authority of India in the management of the affairs of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors



(N.S.R. Chandraprasad)

Chairman-cum-Managing Director

Camp Delhi, 22nd May 2013

परिशिष्ट -I

कार्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश -अनुपालन प्रमाण पत्र

मैं रीना माडिया एतद्वारा प्रमाणित करती हूँ कि समय समय पर संशोधित कार्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों का कम्पनी द्वारा पूर्णतः अनुपालन किया गया है इस सम्बन्ध में किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है।

(रीना माडिया)

उप कम्पनी सचिव

परिशिष्ट - II

वित्तीय वर्ष 2012-13 में आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों/समितियों की संख्या
और उन बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति दर्शाता विवरण

1. मंडल बैठक

बैठकों की संख्या : 7

निदेशकों के नाम	बैठकों की तारीख						
	17/05/2012	29/06/2012	13/08/2012	27/09/2012	14/11/2012	08/02/2013	29/03/2013
श्री एन.एस.आर चन्द्रप्रसाद (अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री अनुराग जैन (सरकारी निदेशक)	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे (बैंक नामित निदेशक 31.12.2012 से नियुक्त)	-	-	-	-	-	अनुपस्थित	अनुपस्थित
श्री भास्कर सेन (बैंक नामित निदेशक 31.12.2012 तक)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	-	-
श्री मोती लाल शर्मा (अंशकालिक अकार्यकारी निदेशक)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री अमिताभ कोठारी (अंशकालिक अकार्यकारी निदेशक)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री कुलदोष सिंह (कार्यकारी निदेशक)	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री ए. वी. गिरिजा कुमार (कार्यकारी निदेशक)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित

ANNEXURE – ‘I’

CERTIFICATION FOR COMPLIANCE OF THE CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

I, Rina Madia, hereby certify that the Company has complied with the Corporate Governance Guidelines for Insurance Companies, as amended from time to time, and nothing has been concealed or suppressed.

(Rina Madia)
Deputy Company Secretary

ANNEXURE – ‘II’

STATEMENT SHOWING NUMBER OF BOARD/COMMITTEE MEETINGS HELD DURING THE FINANCIAL YEAR 2012-13 AND ATTENDANCE OF THE DIRECTORS/MEMBERS THEREAT

1. BOARD MEETING

No. of meetings held: 7

Name of the Directors	Date of Meetings						
	17/05/2012	29/06/2012	13/08/2012	27/09/2012	14/11/2012	08/02/2013	29/03/2013
Shri N. S. R. Chandraprasad (Chairman-cum-Managing Director)	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present
Shri Anurag Jain (Government Nominee)	Present	Absent	Present	Present	Present	Present	Present
Smt. Subhalakshmi Panse (Bank Nominee appointed w.e.f. 31.12.2012)	-	-	-	-	-	Absent	Absent
Shri Bhaskar Sen (Bank Nominee ceased on 31.12.2012)	Present	Present	Present	Present	Present	-	-
Shri Moti Lal Sharma (Part-time Non-Official Director)	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present
Shri Amitav Kothari (Part-time Non-Official Director)	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present
Shri Kuldip Singh (Executive Director)	Absent	Present	Present	Absent	Present	Present	Present
Shri A. V. Girija Kumar (Executive Director)	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present

2. लेखा परीक्षा समिति (मेंडेटेरी)

बैठकों की संख्या :4

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख			
	17/05/2012	13/08/2012	14/11/2012	08/02/2013
श्री अमिताभ कोठारी (अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे (08.02.2013 से नियुक्त)	-	-	-	-
श्री भास्कर सेन (31.12.2012 तक)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	-
श्री अनुराग जैन	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री कुलदीप सिंह	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित

3. निवेश समिति (मेंडेटेरी)

बैठकों की संख्या: 4

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख			
	29/06/2012	27/09/2012	28/12/2012	29/03/2013
श्री एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद (अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे (08.02.2013 से नियुक्त)	-	-	-	अनुपस्थित
श्री भास्कर सेन (31.12.2012 तक)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	-
श्री अमिताभ कोठारी	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री ए. वी. गिरिजा कुमार (सीएफओ)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री सी पी आर वर्मा (पूर्व सीएफओ) (31.01.2013 तक)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	-
श्री भूदेव चटर्जी (आमंत्रित नियुक्त एकचूअरी)	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित

4. जोखिम प्रबन्धन समिति (मेंडेटेरी)

बैठकों की संख्या :4

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख			
	29/06/2012	27/09/2012	28/12/2012	29/03/2013
श्री एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद (अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे (08.02.2013 से नियुक्त)	-	-	-	अनुपस्थित
श्री भास्कर सेन (31.12.2012 तक)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	-
श्री अमिताभ कोठारी (08.02.2013 से नियुक्त)	-	-	-	उपस्थित
श्री कुलदीप सिंह	उपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित
श्री ए. वी. गिरिजा कुमार	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित

2. AUDIT COMMITTEE (Mandatory)

No. of meetings held: 4

Name of the Members	Date of Meeting			
	17/05/2012	13/08/2012	14/11/2012	08/02/2013
Shri Amitav Kothari (Chairman)	Present	Present	Present	Present
Smt. Subhalakshmi Panse (appointed w.e.f. 08.02.2013)	-	-	-	-
Shri Bhaskar Sen (ceased on 31.12.2012)	Present	Present	Present	-
Shri Anurag Jain	Present	Present	Present	Present
Shri Kuldip Singh	Absent	Present	Present	Present

3. INVESTMENT COMMITTEE (Mandatory)

No. of meetings held: 4

Name of the Members	Date of Meeting			
	29/06/2012	27/09/2012	28/12/2012	29/03/2013
Shri N. S. R. Chandraprasad (Chairman)	Present	Present	Present	Present
Smt. Subhalakshmi Panse (appointed w.e.f. 08.02.2013)	-	-	-	Absent
Shri Bhaskar Sen (ceased on 31.12.2012)	Present	Present	Present	-
Shri Amitav Kothari	Present	Present	Present	Present
Shri A. V. Girija Kumar (CFO)	Present	Present	Present	Present
Shri C. P. R. Varma (ex-CFO) (retired on 31.01.2013)	Present	Present	Present	-
Shri Bhudev Chatterjee (Appointed Actuary)	Absent	Absent	Absent	Absent

4. RISK MANAGEMENT COMMITTEE (Mandatory)

No. of meetings held: 4

Name of the Members	Date of Meeting			
	29/06/2012	27/09/2012	28/12/2012	29/03/2013
Shri N. S. R. Chandraprasad (Chairman)	Present	Present	Present	Present
Smt. Subhalakshmi Panse (appointed w.e.f. 08.02.2013)	-	-	-	Absent
Shri Bhaskar Sen (ceased on 31.12.2012)	Present	Present	Present	-
Shri Amitav Kothari (appointed w.e.f. 08.02.2013)	-	-	-	Present
Shri Kuldip Singh	Present	Absent	Absent	Present
Shri A. V. Girija Kumar	Present	Present	Present	Present

5. पालिसीधारक सुरक्षा समिति (मेंडेटेरी)

बैठकों की संख्या : 4

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख			
	29/06/2012	27/09/2012	28/12/2012	29/03/2013
श्री एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद (अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री अनुराग जैन	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित
श्री मोती लाल शर्मा	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री कुलदीप सिंह	उपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित

6. आइटी समिति

बैठकों की संख्या : 1

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख
	27/09/2012
श्री एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद (अध्यक्ष)	उपस्थित
श्री अनुराग जैन	उपस्थित
श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे (08.02.2013 से नियुक्त)	-
श्री ए.वी. गिरिजा कुमार	उपस्थित
श्री अमिताभ कोठारी	उपस्थित

7. एचआर समिति

बैठकों की संख्या : 2

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख	
	29/06/2012	29/03/2013
श्री एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद (अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित
श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे (08.02.2013 से नियुक्त)	-	अनुपस्थित
श्री भास्कर सेन (31.12.2012 तक)	उपस्थित	-
श्री मोती लाल शर्मा	उपस्थित	उपस्थित
श्री कुलदीप सिंह	उपस्थित	उपस्थित

8. सम्पत्ति समीक्षा समिति

बैठकों की संख्या : 1

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख
	29/03/2013
श्री एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद (अध्यक्ष)	उपस्थित
श्री अनुराग जैन	उपस्थित
श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे (08.02.2013 से नियुक्त)	अनुपस्थित
श्री कुलदीप सिंह	उपस्थित

9. वर्ष 2012-13 में रिम्यूनरेशन समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

5. POLICYHOLDER PROTECTION COMMITTEE (Mandatory)**No. of meetings held: 4**

Name of the Members	Date of Meeting			
	29/06/2012	27/09/2012	28/12/2012	29/03/2013
Shri N. S. R. Chandraprasad (Chairman)	Present	Present	Present	Present
Shri Anurag Jain	Absent	Present	Absent	Present
Shri Moti Lal Sharma	Present	Present	Present	Present
Shri Kuldip Singh	Present	Absent	Absent	Present

6. IT COMMITTEE**No. of meeting held: 1**

Name of the Members	Date of Meeting
	27/09/2012
Shri N. S. R. Chandraprasad (Chairman)	Present
Shri Anurag Jain	Present
Smt. Subhalakshmi Panse (appointed w.e.f. 08.02.2013)	-
Shri A. V. Girija Kumar	Present
Shri Amitav Kothari	Present

7. HR COMMITTEE**No. of meetings held: 2**

Name of the Members	Date of Meeting	
	29/06/2012	29/03/2013
Shri N. S. R. Chandraprasad (Chairman)	Present	Present
Smt. Subhalakshmi Panse (appointed w.e.f. 08.02.2013)	-	Absent
Shri Bhaskar Sen (ceased on 31.12.2012)	Present	-
Shri Moti Lal Sharma	Present	Present
Shri Kuldip Singh	Present	Present

8. PROPERTY REVIEW COMMITTEE**No. of meeting held: 1**

Name of the Members	Date of Meeting
	29/03/2013
Shri N. S. R. Chandraprasad (Chairman)	Present
Shri Anurag Jain	Present
Smt. Subhalakshmi Panse (appointed w.e.f. 08.02.2013)	Absent
Shri Kuldip Singh	Present

9. No meeting of Remuneration Committee took place during the year 2012-13.

परिशिष्ट - 'III'

पर्सनल लाइन बीमा सम्बन्धी निष्पादन का विवरण

जनता व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2008-09	142621	524562	84591	2035	1669	243568	264.49
2009-10	144611	645329	65563	1985	1909	264037	462.21
2010-11	153210	700787	79853	2908	2732	388919	249.75
2011-12	121184	665993	137535	2858	2100	265132	150.00
2012-13	121893	1159524	137776	687	1707	287946	148.15

ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2008-09	727	34385	463	57	51	510	112.00
2009-10	6863	46740	595	26	36	1342	111.72
2010-11	7242	49368	462	31	26	258	63.34
2011-12	12607	43331	429	25	22	288	63.79
2012-13	11688	43570	428	29	27	280	63.53

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2008-09	6836	1081850	16228	105	105	5237	32.72
2009-10	7219	1313010	23411	147	156	9364	42.69
2010-11	5963	1084565	30228	468	325	18834	68.16
2011-12	5275	723950	21717	495	320	17589	84.54
2012-13	4736	-	23457	425	260	14270	72.61

राजराजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2008-09	449	947	47	15	12	276	535.55
2009-10	236	707	28	2	6	132	459.31
2010-11	3853	3905	113	-	-	-	-
2011-12	1413	1439	29	1	1	25	86.00
2012-13	551	592	45	1	1	25	55.30

ANNEXURE - 'III'

DETAILS OF PERFORMANCE OF SOME OF THE PERSONAL LINE INSURANCE

JANATA PERSONAL ACCIDENT POLICY :

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2008-09	142621	524562	84591	2035	1669	243568	264.49
2009-10	144611	645329	65563	1985	1909	264037	462.21
2010-11	153210	700787	79853	2908	2732	388919	249.75
2011-12	121184	665993	137535	2858	2100	265132	150.00
2012-13	121893	1159524	137776	687	1707	287946	148.15

GRAMIN PERSONAL ACCIDENT POLICY :

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2008-09	727	34385	463	57	51	510	112.00
2009-10	6863	46740	595	26	36	1342	111.72
2010-11	7242	49368	462	31	26	258	63.34
2011-12	12607	43331	429	25	22	288	63.79
2012-13	11688	43570	428	29	27	280	63.53

PERSONAL ACCIDENT INSURANCE FOR KISSAN CREDIT CARD HOLDERS : (₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2008-09	6836	1081850	16228	105	105	5237	32.72
2009-10	7219	1313010	23411	147	156	9364	42.69
2010-11	5963	1084565	30228	468	325	18834	68.16
2011-12	5275	723950	21717	495	320	17589	84.54
2012-13	4736	-	23457	425	260	14270	72.61

RAJRAJESHWARI MAHILA KALYAN BIMA YOJANA :

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2008-09	449	947	47	15	12	276	535.55
2009-10	236	707	28	2	6	132	459.31
2010-11	3853	3905	113	-	-	-	-
2011-12	1413	1439	29	1	1	25	86.00
2012-13	551	592	45	1	1	25	55.30

भाग्यश्री शिशु कल्याण बीमा योजना :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2008-09	444	105600	47115	1	1	25	0.05
2009-10	282	495	18497	2	2	1005	5.43
2010-11	555	740	1123	3	1	17	46.80
2011-12	139	129	120	-	-	-	-
2012-13	99	109	199.70	13	11	527.20	827.00

जन आरोग्य बीमा पालिसी :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2008-09	5170	7894	1381	556	516	2336	171.76
2009-10	4700	6873	14614	447	459	55867	388.00
2010-11	4389	6079	1110	363	339	14519	1203.63
2011-12	3646	5355	925	313	265	1083	123.41
2012-13	2142	3069	695	185	169	679	96.94

सार्वभौम स्वास्थ्य बीमा :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2008-09	87431	296652	47910	264	187	878	2.00
2009-10	95379	320535	129701	9253	9127	110976	80.00
2010-11	91511	302305	211173	16327	11161	173402	89.38
2011-12	62642	213914	194270	17194	12205	206402	111.17
2012-13	140900	829354	75601	11465	10557	47932	63.40

मेडीक्लेम बीमा :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2008-09	801175	6515165	8018872	225692	203478	7287238	91.00
2009-10	865097	7034979	9015881	225872	232630	8771810	97.00
2010-11	943883	8534286	13089487	278031	244420	11911433	91.00
2011-12	1015372	10837079	16621403	296220	258487	15552633	93.72
2012-13	1543167	13821033	21281504	371206	328588	20736804	99.40

BHAGYASHREE CHILD WELFARE BIMA YOJANA :

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2008-09	444	105600	47115	1	1	25	0.05
2009-10	282	495	18497	2	2	1005	5.43
2010-11	555	740	1123	3	1	17	46.80
2011-12	139	129	120	-	-	-	-
2012-13	99	109	199.70	13	11	527.20	827.00

JAN AROGYA BIMA POLICY :

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2008-09	5170	7894	1381	556	516	2336	171.76
2009-10	4700	6873	14614	447	459	55867	388.00
2010-11	4389	6079	1110	363	339	14519	1203.63
2011-12	3646	5355	925	313	265	1083	123.41
2012-13	2142	3069	695	185	169	679	96.94

UNIVERSAL HEALTH INSURANCE SCHEME :

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2008-09	87431	296652	47910	264	187	878	2.00
2009-10	95379	320535	129701	9253	9127	110976	80.00
2010-11	91511	302305	211173	16327	11161	173402	89.38
2011-12	62642	213914	194270	17194	12205	206402	111.17
2012-13	140900	829354	75601	11465	10557	47932	63.40

MEDICLAIM INSURANCE :

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2008-09	801175	6515165	8018872	225692	203478	7287238	91.00
2009-10	865097	7034979	9015881	225872	232630	8771810	97.00
2010-11	943883	8534286	13089487	278031	244420	11911433	91.00
2011-12	1015372	10837079	16621403	296220	258487	15552633	93.72
2012-13	1543167	13821033	21281504	371206	328588	20736804	99.40

विद्यार्थी मेडीक्लेम पॉलिसी :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2008-09	2995	7242	11951	769	177	2696	20.00
2009-10	3149	5345	15588	486	485	8547	45.00
2010-11	3396	6107	23550	1377	490	11762	53.46
2011-12	4060	6454	25280	1403	447	10024	60.98
2012-13	3844	7741	23882	1677	727	14859	46.24

परिवार मेडीक्लेम पॉलिसी :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2008-09	51411	155674	346532	7965	2985	82554	23.82
2009-10	82900	252958	571255	10547	9442	344025	70.00
2010-11	115070	353990	810625	25620	16570	527437	66.39
2011-12	142836	440917	1040997	32931	21872	725367	75.48
2012-13	199175	617858	1225758	42722	31897	1009084	80.85

वरिष्ठ मेडीक्लेम पॉलिसी :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2008-09	11656	13819	99768	3765	745	23165	23.21
2009-10	16333	19510	135612	2340	2177	111021	50.00
2010-11	21359	25483	176134	8428	3599	100233	59.62
2011-12	26254	31382	217311	10075	4871	142359	65.22
2012-13	38046	45380	238347	12638	6994	171891	74.81

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2009-10	18	8368751	358967	18135	14355	136271	50.00
2010-11	33	14111136	805357	135632	104017	580892	72.12
2011-12	38	15496416	944100	242149	208220	1277900	54.76
2012-13	65	11752608	2187144	149122	132534	1307774	61.79

VIDYARTHI MEDICLAIM POLICY :

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2008-09	2995	7242	11951	769	177	2696	20.00
2009-10	3149	5345	15588	486	485	8547	45.00
2010-11	3396	6107	23550	1377	490	11762	53.46
2011-12	4060	6454	25280	1403	447	10024	60.98
2012-13	3844	7741	23882	1677	727	14859	46.24

PARIVAR MEDICLAIM POLICY :

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2008-09	51411	155674	346532	7965	2985	82554	23.82
2009-10	82900	252958	571255	10547	9442	344025	70.00
2010-11	115070	353990	810625	25620	16570	527437	66.39
2011-12	142836	440917	1040997	32931	21872	725367	75.48
2012-13	199175	617858	1225758	42722	31897	1009084	80.85

VARISTHA MEDICLAIM POLICY :

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2008-09	11656	13819	99768	3765	745	23165	23.21
2009-10	16333	19510	135612	2340	2177	111021	50.00
2010-11	21359	25483	176134	8428	3599	100233	59.62
2011-12	26254	31382	217311	10075	4871	142359	65.22
2012-13	38046	45380	238347	12638	6994	171891	74.81

RASHTRIYA SWASTHYA BIMA POLICY :

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2009-10	18	8368751	358967	18135	14355	136271	50.00
2010-11	33	14111136	805357	135632	104017	580892	72.12
2011-12	38	15496416	944100	242149	208220	1277900	54.76
2012-13	65	11752608	2187144	149122	132534	1307774	61.79

पशु बीमा पालिसी :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	157965	488948	462695	19327	16243	287651	65.09
2011-12	124522	397690	548755	17878	14760	313409	59.00
2012-13	148828	401566	616762	27188	18393	346182	54.99

ग्रामीण बीमा व्यवसाय:

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	472933	2905214	782510	41078	33540	965213	99.83
2011-12	403473	3358273	904540	35811	28726	856670	88.48
2012-13	2164252	5381431	13194744	402175	335363	11620111	89.01

माइक्रो बीमा पालिसी :

(अ) ग्रामीण सुस्वास्थ्य माइक्रो बीमा पालिसी

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	16100	46368	9362	3929	2883	16056	171.42
2011-12	14027	42536	9983	3801	2812	21130	214.94
2012-13	38129	152508	18302	3487	3403	20689	113.04

(ब) ग्रामीण सुरक्षा माइक्रो बीमा पालिसी :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	3979	10913	24189	4619	3157	9997	51.25
2011-12	1640	4243	7268	2064	1404	8450	83.92
2012-13	126075	378216	18407	1023	979	8203	44.56

CATTLE INSURANCE POLICY:

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of lives covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	157965	488948	462695	19327	16243	287651	65.09
2011-12	124522	397690	548755	17878	14760	313409	59.00
2012-13	148828	401566	616762	27188	18393	346182	54.99

RURAL INSURANCE BUSINESS :

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	472933	2905214	782510	41078	33540	965213	99.83
2011-12	403473	3358273	904540	35811	28726	856670	88.48
2012-13	2164252	5381431	13194744	402175	335363	11620111	89.01

MICRO INSURANCE POLICIES :

(a) Gramin Suswasthya Micro Insurance Policy

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	16100	46368	9362	3929	2883	16056	171.42
2011-12	14027	42536	9983	3801	2812	21130	214.94
2012-13	38129	152508	18302	3487	3403	20689	113.04

(b) Gramin Suraksha Micro Insurance Policy :

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	3979	10913	24189	4619	3157	9997	51.25
2011-12	1640	4243	7268	2064	1404	8450	83.92
2012-13	126075	378216	18407	1023	979	8203	44.56

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों की वित्तीय विवरणियों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार किया जाना) विनियमन, 2002 की अनुसूची ख के भाग IV की अपेक्षानुसार प्रबंधन रिपोर्ट

हम प्रमाणित करते हैं कि:-

1. साधारण बीमा व्यवसाय करने के लिए हमारी कम्पनी ने प्राधिकरण से पंजीकरण का नवीकरण करा लिया है; (पंजीकरण सं. 58 दिनांक 08.02.2013)
2. सांविधिक प्राधिकारियों को देय राशियों का विधिवत भुगतान कर दिया गया;
3. वर्ष के दौरान शेर धारण परिपाटी तथा शेरों का अंतरण सांविधिक/विनियामक की अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है;
4. भारत में जारी पालिसियों के धारकों की निधियां प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत के बाहर निवेशित नहीं की गई हैं;
5. आईआरडीए (बीमाकर्ता की सम्पत्ति, देयता और शोधन क्षमता) विनियम 2000 के अनुसार 31 मार्च 2013 को वांछित शोधन क्षमता कायम रखी गई है।
6. सभी परिसम्पत्तियों के मूल्यांकी तुलनपत्र की तिथि को समीक्षा की गई है तथा हमारे विश्वास के अनुसार तुलनपत्र में व्यक्त कई शीर्षो-ऋण, निवेश, एजेंट अधिशेष, बकाया प्रीमियम, ब्याज, प्रोद्भूत ब्याज, लाभांश तथा किराया लेकिन प्राप्य नहीं, बीमा व्यवसाय करने वाले अन्य व्यक्तियों अथवा निकायों से प्राप्य राशि, विविध देनदार, प्राप्य बिल, नकद तथा अन्य लेखा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मदों के अंतर्गत परिसम्पत्तियों का वसूली योग्य अथवा बाजार मूल्य से अनधिक कुल राशि दर्शायी गई है;

7. हमारी कम्पनी को अनेक प्रकार के जोखिमों अर्थात् महाविनाशकारी/दुर्घटनात्मक सामाजिक जोखिमों से खतरा है जिससे पोर्टफोलियो प्रभावित हो रहा है। तथापि इसे कम करने के लिए अपनाई गई रणनीति तीन स्तरीय है। प्रथमतः हमने किसी एक दुर्घटना पर अपनी अधिकतम देयता को सीमित करने के लिए एक सुव्यवस्थित पुनर्बीमा कार्यक्रम बनाया है। प्रतिधारण को कम्पनी के शुद्ध मूल्य से संबद्ध किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार अग्नि विभाग में प्रतिधारण के सर्वोच्च स्तर को रखा गया है तथा व्यक्तिगत जोखिम के आधार पर व्यवसाय के अन्य वर्गों में इसे कम किया गया है। दूसरा, हमारा मुख्य रुझान गैर-मोटर बीमा बाजार के बड़े भाग की ओर है जो अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रद है। तीसरा, संगठित क्षेत्र के व्यवसाय में अधिक बाजार भागीदारी हासिल करना।
8. नेपाल तथा हांगकांग में स्थित दो विदेशी शाखाओं में से नेपाल के बाजार में मुख्य खतरा सम्पत्ति बीमा के क्षेत्र में है तथा इस प्रकार के जोखिमों के लिए कम्पनी के पुनर्बीमा कार्यक्रमों में मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है। हांगकांग शाखा के संबंध में न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के साथ हुये समझौते के आधार पर समस्त सम्पत्ति एवं दायित्व के वर्तमान मूल्य के अनुसार शाखा प्रचालन को न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी को स्थानांतरित करना है। यह स्थानांतरण बीमा कंपनी के अध्यादेश (अध्याय 41) के खंड 25डी के अंतर्गत हांगकांग बीमा प्राधिकरण की स्वीकृति के अधीन है। अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
9. दावों का अवधिवार विवरण (सकल व्यवसाय पर) निम्नवत है। विवादित मामलों को छोड़कर, दावे उपयुक्त समयावधि में निपटाये जाते हैं।

अवधिवार दावा विवरण (सकल आधार पर) 2012-13

(₹ हजार में)

विभक्त	30 दिन	30 दिन से 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 वर्ष से 5 वर्ष	5 वर्ष व अधिक	योग
अग्नि	1782310	1044625	1178740	2875150	303765	7184590
(दावों की संख्या)	1252	363	658	773	181	3227
मरीन	1744552	143529	621674	1081721	291623	3883099
(दावों की संख्या)	882	553	747	576	85	2843
विविध	10139061	2908924	5195536	15239955	8447034	41930510
(दावों की संख्या)	106694	25133	36668	87552	57456	313603
कुल	13665923	40970778	6995950	19196826	9042422	52998199
(दावों की संख्या)	108828	26049	38073	89001	57722	319673

MANAGEMENT REPORT AS REQUIRED IN PART IV OF SCHEDULE 'B' OF INSURANCE REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY (PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITORS' REPORT OF INSURANCE COMPANIES) REGULATIONS, 2002

We certify that:

1. Renewal of Registration for carrying out the General Insurance Business of our Company has been obtained from the Authority (Registration No.58 dated 8.2.2013),
2. All dues payable during the year to the statutory authorities have been duly paid;
3. The shareholding pattern and transfer of shares effected during the year are in accordance with statutory/regulatory requirements;
4. The funds of the holders of policies issued in India have not been directly or indirectly invested outside India;
5. The required solvency margins as at 31st March, 2013 as per IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000 have been maintained.
6. The value of all the Assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and that in our belief the Assets set forth in Balance Sheet are shown in the aggregate at amounts not exceeding their realizable or market value, under the several headings – "Loans", "Investments", "Agents' Balances", "Outstanding Premiums", "Interest, Dividends and Rents accruing but not due", "Amounts due from other Persons or Bodies carrying on Insurance Business", "Sundry Debtors", "Bills Receivable", "Cash" and items specified under "Other Accounts";

7. The Company is exposed to various kinds of risks i.e. catastrophic/accidental/social etc. However, the strategy adopted to mitigate the same is mainly threefold. Firstly, we have devised a well laid out re-insurance programme to arrest our maximum liability in any one eventuality. The retentions are linked to net worth of the Company. The highest level of retentions are maintained in Fire Department as per international practices and graded down in other classes of business on an individual risk. Secondly, our thrust area is to have greater share of non-motor insurance market which is comparatively more profitable. Thirdly, we are trying to acquire more market share in organised sector business.
8. Out of the offices in two foreign countries situated in Nepal and in Hong Kong, the exposure in Nepal is predominantly in property insurance area and the assumption of risks of this kind is mainly taken care of by the reinsurance programme of the Company. In respect of Hong Kong Branch, an agreement has been entered into with New India Assurance Co. Ltd. to transfer the branch's operation, Assets and Liabilities at their carrying values. This transfer is subject to approval by the Insurance Authority of Hong Kong in accordance with Section 25D of the Insurance Companies Ordinance (chapter 41). The approval has been obtained. The present arrangement would continue as a pure run-off operation and the run-off exercise will be over once the entire outstanding liability is fully paid-off.
9. The ageing of claims (on gross business) is given below. Barring disputed cases, the claims are settled within a reasonable period of time.

Ageing of Claims (on gross basis) 2012-13

(₹ In thousand)

Segment	30 Days	30 Days to 6 Months	6 Months to 1 Year	1 Year to 5 Years	5 Years and above	TOTAL
FIRE	1782310	1044625	1178740	2875150	303765	7184590
(No. of Cases)	1252	363	658	773	181	3227
MARINE	1744552	143529	621674	1081721	291623	3883099
(No. of Cases)	882	553	747	576	85	2843
MISCELLANEOUS	10139061	2908924	5195536	15239955	8447034	41930510
(No. of Cases)	106694	25133	36668	87552	57456	313603
TOTAL	13665923	40970778	6995950	19196826	9042422	52998199
(No. of Cases)	108828	26049	38073	89001	57722	319673

10. तुलनपत्र में दर्शाए गए के अनुसार सभी निवेश तथा स्टॉक को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में वर्णित ढंग से मूल्यांकित किया गया है (अनुसूची-16) अर्थात्

- इक्विटी शेयर तथा म्यूचुअल फंड की यूनिटों के अलावा निवेश लागत पर वर्णित है तथा प्रत्याभूतियों पर प्रदत्त प्रीमियम की बाकी अवधि के लिए किश्त निर्धारित की गई है।
- इक्विटी शेयरों, जिनका बाजार में सक्रिय कारोबार होता है, में निवेश तथा म्यूचुअल फंडों में यूनिटों को उचित मूल्य पर वर्णित किया गया है।
- ऐसे शेयर का, जिनका कारोबार कम होता है, लागत पर अथवा विघटित मूल्य पर, जो भी कम हो, मूल्यांकन होता है।
- विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अधिग्रहण दरों पर किया जाता है।
- ऋण तथा ऋण-पत्रों के संबंध में गैर निष्पादित परिसम्पत्ति के प्रावधान के संबंध में, कम्पनी द्वारा विवेकपूर्ण मानदंडों को अपनाया गया है।

11. परिसम्पत्ति की गुणवत्ता तथा निवेश पोर्टफोलियो के कार्यनिष्पादन की समीक्षा :

(₹ हजार में)

विवरण	बही मूल्य	बाजार मूल्य	आय
शेयर	31510326	102113047	11992500
शेयरों के अलावा	99551495	99551722	8065101
कुल :	131061821	201664769	20057601

12. सभी निवेशों की समय समय पर समीक्षा की जाती है और सम्पत्तियां बीमा बिनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) विवेकपूर्ण नियमों के आधार पर निष्पादन योग्य और गैर निष्पादन योग्य के रूप में वर्गीकृत हैं।

13. हम पुष्टि करते हैं कि -

- वित्तीय विवरण तैयार करने में मूलभूत परिवर्तन, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों, सिद्धांतों तथा नीतियों का पालन किया गया है।
- प्रबंधन ने लेखांकन नीतियां अपनाई हैं तथा उन्हें निरंतर लागू किया है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी की हानि तथा वर्ष के दौरान कम्पनी की प्रचालन हानि का सही एवं वास्तविक दृश्य प्रस्तुत करने के लिए तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय और प्राक्कलन दिए हैं।
- प्रबंधन द्वारा कम्पनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित करने के लिए तथा कपट एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए बीमा अधिनियम 1938 (1938 के 4)/कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 के 1)/के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रखरखाव के लिए उपयुक्त तथा समुचित ध्यान रखा गया है।
- प्रबंधन द्वारा गतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।
- प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि व्यवसाय के आकार तथा प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली विद्यमान है तथा प्रभावी रूप से कार्यरत है।

14. हम पुष्टि करते हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनियों तथा संगठनों को कोई भुगतान नहीं किया गया है जिसमें कम्पनी के निदेशकों का हित निहित हो।

कृते नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

ज्ञानं श्रीरामचंद्रप्रसाद
(एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

कैम्प. दिल्ली, 22 मई, 2013

10. All investments and stocks, as shown in the Balance Sheet, have been valued in the manner disclosed in Significant Accounting Policies (Schedule 16), i.e.

- i) Investments other than Equity Shares and units of Mutual Funds are stated at cost and the premium paid on securities is amortised over the remaining period.
- ii) Investments in Equity Shares that are actively traded in the market and the units of Mutual Funds are stated at fair value.
- iii) Shares that are thinly traded are valued at lower of Cost or Break up value.
- iv) Foreign Government securities are valued at the acquisition cost.
- v) In respect of loans and debentures, prudential norms as prescribed by IRDA regarding provisioning have been followed by the Company.

11. Review of Assets quality and performance of Investment Portfolio :

(₹ In thousand)

Particulars	Book Value	Market Value	Income
Shares	31510326	102113047	11992500
Other than Shares	99551495	99551722	8065101
Total :	131061821	201664769	20057601

12. All investments are reviewed periodically and assets are classified into performing and non-performing based on Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) Prudential norms.

13. We confirm that:

- i) in the preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies have been followed along with proper explanations relating to material departures, if any;
- ii) the management has adopted accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at the end of the financial year and of the operating profit of the Company for the year;
- iii) the management has taken proper and sufficient care for maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)/Companies Act, 1956 (1 of 1956), for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- iv) the management has prepared the financial statements on a going concern basis;
- v) the management has ensured that a n internal audit system commensurate with the size and nature of the business exists and is operating effectively.

14. We confirm that no payments have been made to individuals, firms, companies and organizations in which the Directors of the Company are interested.

For and on behalf of National Insurance Company Limited



(N.S.R. Chandraprasad)
Chairman-cum-Managing Director

Camp. Delhi, the 22nd day of May, 2013

नेशनल इन्शुरेन्स कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों हेतु स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

वित्तीय विवरण संबंधी रिपोर्ट

हमने नेशनल इन्शुरेन्स कम्पनी का 31 मार्च 2013 का संलग्न तुलन-पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न अग्नि, समुद्री तथा विविध बीमा आय लेखा और लाभ तथा हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा की है जिसमें अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा 27 क्षेत्रीय कार्यालयों और 347 मंडल कार्यालयों की लेखा परीक्षित विवरणियां एवं दो विदेशी शाखाओं के समुद्रपारीय लेखा परीक्षकों द्वारा स्थानीय कानूनों के अनुसार की गई लेखा परीक्षित विवरणियां शामिल हैं।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबन्धन का दायित्व

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में संदर्भित लेखांकन मानक नीतियों एवं बीमा अधिनियम 1938 तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अनुपालन में इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व प्रबन्धन का है जो कम्पनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाह को प्रदर्शित करता है। इस दायित्व में वित्तीय विवरण को बनाने तथा प्रदर्शित करने संबंधी डिजाइन, लागू करना तथा उनका रख-रखाव करने संबंधी नियंत्रण भी सम्मिलित है जिससे यह प्रदर्शित होता है कि वित्तीय विवरणों में कोई तात्त्विक मिथ्याकथन नहीं है जो किसी फ्राड या भूल से हुआ हो।

आडिटर का दायित्व

हमारा दायित्व हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार प्रस्तुत करना है। चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया द्वारा जारी आडिट मानकों के अनुरूप हमने आडिट का लाभ संपन्न किया। उन मानदण्डों की अपेक्षा है कि हम अपने लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन इन उद्देश्यों से करें कि हमें यह आश्वासन प्राप्त हो कि वित्तीय विवरणों में कोई मिथ्याकथन नहीं है।

आडिट के द्वारा वित्तीय विवरणों में निहित राशियों के साक्ष्य तथा निष्पादन प्रक्रिया की जांच की जाती है। चयनित प्रक्रिया आडिटर के निर्णय पर निर्भर करता है जिसमें वित्तीय विवरण में मिथ्याकथन संबंधी जोखिम का आंकलन होता है जो किसी फ्राड या भूल से हुई हो। उन जोखिमों का आंकलन करने में आडिटर कम्पनी के वित्तीय विवरण की प्रस्तुति में आडिट प्रक्रिया संबंधी कम्पनी का आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है। आडिट में प्रबन्धन द्वारा लेखा नीतियों की तथ्यकता तथा उनकी अनुमानित लेखा विवरण एवं वित्तीय विवरण के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाता है।

हमारा विश्वास है कि आडिट साक्ष्य के रूप में हमें जो प्राप्त हुआ वह हमारे आडिट संबंधी विचार देने के लिए पर्याप्त है।

विचार

उपलब्ध सूचनाओं एवं हमारे मत के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुरूप सूचनाएँ प्रदान करता है तथा भारत में मान्य सामान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप स्पष्ट स्थिति प्रदर्शित करता है।

- i) कम्पनी के 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र में प्रकरण में।
- ii) राजस्व लेखा के प्रकरण में अग्नि एवं मरीज बीमा व्यवसाय के संबंध में आधिक्य तथा विविध बीमा व्यवसाय के संबंध में कमी (31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष)।
- iii) लाभ एवं हानि के प्रकरण में 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष पर लाभ विवरण।
- iv) नकदी प्रवाह विवरण के प्रकरण में वर्ष की समाप्ति पर नकदी प्रवाह।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

TO THE MEMBERS OF NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of National Insurance Company Limited ("the Company") which comprises Balance Sheet as at 31st March, 2013, the related Fire, Marine and Miscellaneous Insurance Revenue Accounts, the statement of Profit & Loss and Cash Flow Statement for the year ended on that date and a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are incorporated the audited returns of 27 Regional Offices, 347 Divisional Offices audited by other auditors and also the statement of accounts of 2 Foreign Branches audited by overseas auditors under the applicable local laws.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) Act, 1999 and in accordance with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 ("the Act") to the extent applicable. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards

require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2013;
- ii) in the case of the Revenue Accounts, of the surplus in Fire, Marine and Miscellaneous Insurance business for the year ended 31st March 2013;
- iii) in the case of the Profit and Loss Account, of the Profit for the year ended 31st March 2013; and
- iv) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for year ended on that date;

महत्वपूर्ण बिन्दु

हम निम्नलिखित बिन्दुओं की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं:

1. अनुसूची 11 का नोट सं.17 के अनुसार डिस्मेंटल्ड मोटर तृतीय पक्ष बीमा पूल के संदर्भ में स्थगित ट्रॉजिशनल दायित्व के तहत बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा ₹1500000 हजार की बीमा कम्पनियों को दी गई जो लेखा के लागू प्रावधानों के आधार पर था। आदेश सं.आईआरडीए/एफ एण्ड ए/ओआरडी/एमटीपीपी/ 070/03-2012 दिनांक 22.03.2012

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227(3) तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इंश्योरेन्स कम्पनी का वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षक रिपोर्ट तैयार करना) नियम, 2002 के अनुसार हमारी रिपोर्ट निम्नवत है :-

- अ) हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए हमारी श्रेष्ठ ज्ञान एवं विज्ञानीय के अनुसार आवश्यक सभी सूचनाएँ तथा स्पष्टीकरण हमने प्राप्त किया;
- ब) हमारे विचार में संबंधित बहियों की हमारी जाँच से पता चलता है कि कम्पनी द्वारा नियमानुसार अपेक्षित समुचित लेखा बहियों रखी गई है;
- स) हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त उचित विवरणी क्षेत्रीय कार्यालय, मंडल कार्यालय तथा विदेशी शाखाओं से प्राप्त हुई है जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है;
- द) इस प्रतिवेदन में शामिल कम्पनी का तुलन-पत्र, राजस्व लेखा लाभ-हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों तथा विवरणियों से मेल खाती हैं इस संबंध में समेकित रिटर्न क्षेत्रीय कार्यालय तथा विदेशी शाखाओं से प्राप्त हुआ जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया;

- य) हमारे विचार से वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए चयनित में संदर्भित लेखा सिद्धान्तों के साथ-कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 2011 की उपधारा (3सी) के लेखांकन मानकों और आईआरडीए द्वारा निर्धारित लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप हैं।
- र) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274(1)(जी) के प्रावधान कम्पनी लॉ बोर्ड के सामान्य परिपत्र सं.8/2002 दिनांक 22.03.2002 के परिपेक्ष में कम्पनी के निदेशकों पर लागू नहीं है।
- ल) चूँकि केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 441ए के तहत उपकर की दर के भुगतान से संबंधित कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है और न ही ऐसी कोई नियमावली जारी की गई है जिसके तहत उपकर का भुगतान किया जाना है अतः कम्पनी द्वारा न तो कोई उपकर देय है और न ही कम्पनी पर बाकी है;
- व) कम्पनी द्वारा नियुक्त एक्चुअरी द्वारा दावा उपगत किन्तु सूचित नहीं तथा दावा उपगत किन्तु अधिक सूचित नहीं के दायित्व के संबंध में चाटर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 15 के अनुसार जो कार्मिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, का बीमांककीय मूल्यांकन प्रमाणित किया गया है। उपलब्ध सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार नियुक्त एक्चुअरी द्वारा प्रमाणित यह मूल्यांकन आईआरडीए, एक्चुरियल सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी निर्देशों के सापेक्ष हैं;
- ह) निवेशों का मूल्यांकन बीमा अधिनियम 1938 और आईआरडीए (बीमा कम्पनीयों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन की तैयारी) विनियम 2002 के प्रावधान के अनुसार हुआ है;

Emphasis of Matter

Without qualifying our opinion, we draw attention to –

Note No. 11 of Schedule 17 regarding deferment of actuarially determined transitional liabilities in respect of dismantled Indian Motor Third Party Insurance Pool by ₹1500000 thousand and consequent understatement of current liability to that extent, pursuant to the exemption granted by the Insurance Regularity and Development Authority to the Indian insurance companies from application of the provisions of accrual basis of accounting vide their Order No. IRDA/F&A/ORD/MTPP/070/03-2012 dated 22.03.2012.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by section 227(3) of the Companies Act, 1956 and the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 "(the Regulations)" we report that:

- a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- b. In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;
- c. Proper returns and reports adequate for the purposes of our audit have been received from Regional Offices, Divisional Offices and Foreign Branches not visited by us;
- d. The Balance Sheet, Revenue Accounts, Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account and consolidated returns received from

Regional Offices and Foreign Branches not visited by us;

- e. In our opinion, the Accounting Policies selected for preparation of the financial Statements dealt with by this report are in compliance with the applicable Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 and with the accounting principles, as prescribed in the Regulations or any order or direction issued by IRDA in this behalf.
- f. The provisions of section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956 are not applicable to the Directors of the Company in view of Company Law Board General Circular No.8/2002 dated 22.03.2002.
- g. Since the Central Government has not issued any notification as to the rate at which the cess is to be paid under section 441A of the Companies Act, 1956 nor has it issued any Rules under the said section, prescribing the manner in which such cess is to be paid, no cess is due and payable by the Company.
- h. The actuarial valuation of liabilities in respect of "Claims Incurred but not Reported" including "Claims Incurred but not Enough Reported" and other liabilities as required for the purpose of ascertaining employee benefits in accordance with Accounting Standard – 15 issued by the Institute of Chartered Accountants of India are duly certified by the Company's appointed actuary and to the best of information and according to the explanations given to us the assumption considered by him for such valuation is in accordance with the guidelines and norms prescribed by IRDA and the Actuarial Society of India in concurrence with IRDA.
- i. Investments have been valued in accordance with the provisions of Insurance Act, 1938 and the provisions of

2. विनियमन की आवश्यकतानुसार हम प्रमाणित करते हैं कि :

- i) हमने प्रबन्धन रिपोर्ट की समीक्षा की ओर इसके वित्तीय विवरण में किसी प्रकार की भूल या तात्त्विक असंगति नहीं है ।
- ii) कम्पनी ने प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण के नियम एवं शर्तों का पालन किया है ।
- iii) हमने नकदी और बैंक अधिशेष ऋणों से संबंधित निवेश और प्रतिभूतियों का वास्तविक निरीक्षण या प्रमाण-पत्र और या अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा

सत्यापित किया है बशर्ते अनुसूची 17 की टिप्पणी सं.9 और 15 में वर्णित सीमा के अलावा ।

- iv) कम्पनी ने किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में किसी प्रकार का निवेश/लेन-देन नहीं किया है ।
- v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण के आधार पर पालिसी धाकों के कोष की संपत्ति का कोई हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पालिसीधारकों के कोष के नियोजन और निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम 1938 (अद्यतन यथा संशोधित) प्रावधानों के उल्लंघन में नियोजित नहीं है ।

गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 302039E

(डॉ बी एस कुण्डू)
भागीदार
सदस्यता संख्या 051221

एम. सी. भण्डारी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 303002E

(नीरज जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 064393

कैम्प. नई दिल्ली, 22 मई, 2013

IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002.

2. As required by the Regulations we certify that;

- i) We have reviewed the Management Report and there is no apparent mistake or material inconsistency with the financial statements;
- ii) The Company has complied with the terms and conditions of the registration stipulated by the Insurance Regulatory and Development Authority;
- iii) We have verified cash and bank balances, securities relating to loans, investments by actual inspection or by production of

certificates and/or other documentary evidences *except to the extent stated in Notes nos. 8 and 14 of schedule 17;*

- iv) The Company has not undertaken any investment or transactions relating to any trust as trustee; and
- v) To the best of our information and according to the explanations given to us and on the basis of representations made by the Company, no part of the assets of the Policyholders' Funds has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the Policyholders' Fund.

FOR GUHA NANDI & CO.
Chartered Accountants
FRN : 302039E

(Dr. B. S. Kundu)
Partner
Membership No. 051221

FOR M. C. BHANDARI & CO.
Chartered Accountants
FRN : 303002E

(Neeraj Jain)
Partner
Membership No. 064393

Camp. New Delhi, the 22nd day of May, 2013

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
के लेखा पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन
भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी के अंतर्गत निर्धारित बीमा अधिनियम 1938 के बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों एवं बीमा कम्पनी के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम 2002 एवं कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों का कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वृत्तिक निकाय द्वारा निर्धारित आडिटिंग एण्ड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है, पर अपने विचार प्रकट करने का उत्तर दायित्व है। ऐसा उनकी आडिट रिपोर्ट दिनांक 22 मई 2013 में पूरा करने का कथन किया गया है।

मैं भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के एवज में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (बी) के अधीन नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप में सांविधिक लेखा परीक्षक के सक्रिय कागजों की जाँच के बिना की गई है एवं मुख्यतया सांविधिक लेखा परीक्षक एवं कम्पनी के अधिकारियों से पूछ-ताछ एवं कुछ लेखा अभिलेखों की जाँच तक ही सीमित है। मेरे लेखा परीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ है जो कि हमारे द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर किसी पूरक कथन या टिप्पणी करने की आवश्यकता रही हो।

कृते नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत



(यशोधरा राय चौधुरी)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

तथा पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-II

कोलकाता

स्थान : कोलकाता

31 मई, 2013

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE
ACCOUNTS OF NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2013.**

The preparation of financial statements of National Insurance Company Limited for the financial year ended 31st March 2013 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditors appointed by the Comptroller & Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 are responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 22 May 2013.

I, on behalf of the Comptroller & Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 619(3)(b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of National Insurance Company Limited for the financial year ended 31st March 2013. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to the inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' Report under Section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India



(Yashodhara Ray Chaudhuri)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-officio Member, Audit Board - II
Kolkata

Place: Kolkata
Dated: the 31st of May, 2013



नेशनल इन्श्योरन्स
National Insurance

Standing the test of time

Standing the test of time



ANNUAL ACCOUNTS - 2012-13

पंजीकरण सं.58 दिनांक 8 फरवरी 2013

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए अग्नि बीमा आय लेखा

विवरण	अनुसूची	2012-2013	2011-2012
		(₹ '000)	(₹ '000)
1 अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1	6,356,213	5,260,606
2 निवेशों की बिक्री/पुनर्विमोचन पर लाभ (शुद्ध)		874,838	529,226
3 विनिमय लाभ		11,210	1,102
4 ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल		923,088	572,375
योग (क)		8,165,349	6,363,309
1 उपगत दावे (शुद्ध)	2	3,602,799	4,317,456
2 कमीशन	3	358,774	346,971
3 बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय	4	1,772,721	1,415,245
4 विनिमय हानि		-	-
योग (ख)		5,734,294	6,079,672
अग्रिम व्यवसाय से प्रचालन लाभ = (क-ख) विनियोजन		2,431,055	283,637
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण		2,431,055	283,637
योग (ग)		2,431,055	283,637

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए यह अग्नि बीमा आय लेखा इसी तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है।

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार अग्नि बीमा व्यवसाय के संबंध में कहीं भी किए गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी प्रबंधन खर्च लेखांकन नीति सं.8 के अनुसार उक्त आय लेखे में खर्च के रूप में पूर्णतः नामे किए गए हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 का धारा 40सी (2) की अपेक्षानुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि अग्नि बीमा व्यवसाय के संबंध में कहीं भी किए गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी प्रबंधन खर्च लेखांकन नीति सं.8 के अनुसार अग्नि बीमा आय लेखे में खर्च के रूप में पूर्णतः नामे किए गए हैं।

कृते निदेशक मंडल

गुहा नंदी एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजी.सं. 302039E	एम. सी. भंडारी एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजी.सं. 303002E	एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(डॉ. बी. एस. कुण्डू) भागीदार सदस्यता संख्या 051221	(नोरज जैन) भागीदार सदस्यता संख्या 064393	कुलदीप सिंह	निदेशक
कैम्प. दिल्ली, 22 मई, 2013		ए. वी. गिरिजा कुमार	निदेशक
		रीना माडिया	उप कम्पनी सचिव

Registration no. 58 dated 8th February, 2013

Fire Revenue Account for the year ended 31st March, 2013

Particulars	Schedule	2012-2013	2011-2012
		(₹ '000)	(₹ '000)
1 Premiums earned (Net)	1	6,356,213	5,260,606
2 Profit on sale/redemption of Investments (Net)		874,838	529,226
3 Exchange Gain		11,210	1,102
4 Interest, Dividend & Rent (Gross)		923,088	572,375
Total (A)		8,165,349	6,363,309
1 Claims Incurred (Net)	2	3,602,799	4,317,456
2 Commission	3	358,774	346,971
3 Operating Expenses related to Insurance Business	4	1,772,721	1,415,245
4 Exchange Loss		-	-
Total (B)		5,734,294	6,079,672
Operating Profit from Fire Business = (A - B)		2,431,055	283,637
APPROPRIATIONS			
Transfer to Shareholders' Account		2,431,055	283,637
Total (C)		2,431,055	283,637

This is the Fire Insurance Revenue Account for the year ended 31st March, 2013 referred to in our report of even date.

We hereby certify that to the best of our knowledge and information, all expenses of management wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Fire Insurance Business have been fully debited in the above Revenue Account as expenses

in accordance with the Accounting Policy No.8.

As required by Section 40C(2) of the Insurance Act, 1938, we hereby certify that all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Fire Insurance Business have been fully debited in the Fire Insurance Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting Policy No.8

For and on behalf of the Board of Directors

For, GUHANANDI & CO.
Chartered Accountants
FRN 302039E

For, M C Bhandari & CO.
Chartered Accountants
FRN 303002E

N. S. R. Chandraprasad
Kuldip Singh

Chairman-cum-Managing Director
Director

(Dr. B. S. Kundu)
Partner

(Neeraj. Jain)
Partner

A. V. Girija Kumar

Director

Membership No. 051221

Membership No. 064393

Rina Madia

Dy. Company Secretary

Camp. Delhi, the 22nd day of May 2013

पंजीकरण सं.58 दिनांक 8 फरवरी 2013

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए मरीन बीमा आय लेखा

विघरण	अनुसूची	2012-2013 (₹ '000)	2011-2012 (₹ '000)
1 अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1	2,094,611	1,765,525
2 निवेशों की बिक्री/पुनर्विमोचन पर लाभ (शुद्ध)		320,951	239,423
3 विनिमय लाभ		6,360	622
4 ब्याज, लाभश एवं किराया (सकल)		338,652	258,944
योग (क)		2,760,574	2,264,514
1 उपगत दावे (शुद्ध)	2	1,089,427	1,364,073
2 कमीशन	3	164,308	124,214
3 बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय	4	496,571	481,527
4 विनिमय हानि		-	-
योग (ख)		1,750,306	1,969,814
अग्रिम व्यवसाय से प्रचालन लाभ = (क-ख)		1,010,268	294,700
विनियोजन			
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण		1,010,268	294,700
योग (ग)		1,010,268	294,700

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए यह मरीन बीमा आय लेखा इसी तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है।

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार मरीन बीमा व्यवसाय के संबंध में कहीं भी किए गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी प्रबंधन खर्च लेखांकन नीति सं.8 के अनुसार उक्त आय लेखे में खर्च के रूप में पूर्णतः नामे किए गए हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी (2) की अपेक्षानुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि मरीन बीमा व्यवसाय के संबंध में कहीं भी किए गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी प्रबंधन खर्च लेखांकन नीति सं.8 के अनुसार मरीन बीमा आय लेखे में खर्च के रूप में पूर्णतः नामे किए गए हैं।

कृते निदेशक मंडल

गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 302039E

एम. सी. भंडारी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 303002E

एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद
कुलदीप सिंह

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
निदेशक

(डॉ. बी. एस. कुण्डू)
भागीदार
सदस्यता संख्या 051221

(नीरज जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 064393

ए. वी. गिरिजा कुमार
रीना माडिया

निदेशक
उप कम्पनी सचिव

कैम्प. दिल्ली, 22 मई, 2013

Registration no. 58 dated 8th February, 2013

Marine Revenue Account for the year ended 31st March, 2013

Particulars	Schedule	2012-2013	2011-2012
		(₹ '000)	(₹ '000)
1 Premiums earned (Net)	1	2,094,611	1,765,525
2 Profit on sale/redemption of Investments(Net)		320,951	239,423
3 Exchange Gain		6,360	622
4 Interest, Dividend & Rent (Gross)		338,652	258,944
TOTAL (A)		2,760,574	2,264,514
1 Claims Incurred (Net)	2	1,089,427	1,364,073
2 Commission	3	164,308	124,214
3 Operating Expenses related to Insurance Business	4	496,571	481,527
4 Exchange Loss		-	-
TOTAL (B)		1,750,306	1,969,814
Operating Profit from Marine Business = (A - B)		1,010,268	294,700
APPROPRIATIONS			
Transfer to Shareholders' Account		1,010,268	294,700
TOTAL (C)		1,010,268	294,700

This is the Marine Insurance Revenue Account for the year ended 31st March, 2013 referred to in our report of even date.

We hereby certify that to the best of our knowledge and information, all expenses of management wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Marine Insurance Business have been fully debited in the above Revenue Account as

expenses in accordance with the Accounting Policy No.8

As required by Section 40C(2) of the Insurance Act, 1938, we hereby certify that all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Marine Insurance Business have been fully debited in the Marine Insurance Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting Policy No.8

For and on behalf of the Board of Directors

For, GUHANANDI & CO.
Chartered Accountants
FRN 302039E

For, M C Bhandari & CO.
Chartered Accountants
FRN 303002E

N. S. R. Chandraprasad
Kuldip Singh

Chairman-cum-Managing Director
Director

(Dr. B. S. Kundu)
Partner

(Neeraj. Jain)
Partner

A. V. Girija Kumar

Director

Membership No. 051221

Membership No. 064393

Rina Madia

Dy. Company Secretary

Camp. Delhi, the 22nd day of May 2013

पंजीकरण सं.58 दिनांक 8 फरवरी 2013

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए विविध बीमा आय लेखा

विवरण	अनुसूची	2012-2013 (₹ '000)	2011-2012 (₹ '000)
1 अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1	66,234,006	53,709,175
2 निवेशों की बिक्री/पुनर्विमोचन पर लाभ (शुद्ध)		7,070,518	6,052,083
3 विनिमय लाभ		34,977	44,910
4 ब्याज, लामंश एवं किराया - सकल		7,460,475	6,545,510
योग (क)		80,799,976	66,351,678
1 उपगत दावे (शुद्ध)	2	59,213,097	47,459,116
2 कमीशन	3	3,382,124	3,142,630
3 बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय	4	14,406,362	13,889,304
3A मोटर व्यवसाय से संबंधित प्रशासनिक व्यय		2,459,674	2,052,352
4 विनिमय हानि		-	-
योग (ख)		79,461,257	66,543,402
अग्रिम व्यवसाय से प्रचालन लाभ - (क-ख) विनियोजन		1,338,719	-191,724
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण		1,338,719	-191,724
योग (ग)		1,338,719	-191,724

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए यह विविध बीमा आय लेखा इसी तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है।

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार विविध बीमा व्यवसाय के संबंध में कहीं भी किए गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी प्रबंधन खर्च लेखांकन नीति सं.8 के अनुसार उक्त आय लेखे में खर्च के रूप में पूर्णतः नामे किए गए हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी (2) की अपेक्षानुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि विविध बीमा व्यवसाय के संबंध में कहीं भी किए गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी प्रबंधन खर्च लेखांकन नीति सं.8 के अनुसार विविध बीमा आय लेखे में खर्च के रूप में पूर्णतः नामे किए गए हैं।

कृते निदेशक मंडल

गुहा नंदी एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजी.सं. 302039E	एम. सी. भंडारी एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजी.सं. 303002E	एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(डॉ. बी. एस. कुण्डू) भागीदार सदस्यता संख्या 051221	(नोरज जैन) भागीदार सदस्यता संख्या 064393	कुलदीप सिंह	निदेशक
कैम्प, दिल्ली, 22 मई, 2013		ए. वी. गिरिजा कुमार	निदेशक
		रीना माडिया	उप कम्पनी सचिव

Registration no. 58 dated 8th February, 2013

Miscellaneous Revenue Account for the year ended 31st March, 2013

Particulars	Schedule	2012-2013	2011-2012
		(₹ '000)	(₹ '000)
1 Premiums earned (Net)	1	66,234,006	53,709,175
2 Profit on sale/redemption of Investments(Net)		7,070,518	6,052,083
3 Exchange Gain		34,977	44,910
4 Interest, Dividend & Rent (Gross)		7,460,475	6,545,510
TOTAL (A)		80,799,976	66,351,678
1 Claims Incurred (Net)	2	59,213,097	47,459,116
2 Commission	3	3,382,124	3,142,630
3 Operating Expenses related to Insurance Business	4	14,406,362	13,889,304
3A Administrative Expenses Related to Motor Business		2,459,674	2,052,352
4 Exchange Loss		-	-
TOTAL (B)		79,461,257	66,543,402
Operating Profit from Miscellaneous Business = (A - B)		1,338,719	-191,724
APPROPRIATIONS			
Transfer to Shareholders' Account		1,338,719	-191,724
TOTAL (C)		1,338,719	-191,724

This is the Miscellaneous Insurance Revenue Account for the year ended 31st March, 2013 referred to in our report of even date.

We hereby certify that to the best of our knowledge and information, all expenses of management wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Miscellaneous Insurance Business have been fully debited in the above Revenue Account

as expenses in accordance with the Accounting Policy No.8.

As required by Section 40C (2) of the Insurance Act, 1938, we hereby certify that all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Miscellaneous Insurance Business have been fully debited in the Miscellaneous Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting Policy No.8.

For and on behalf of the Board of Directors

For, GUHANANDI & CO.
Chartered Accountants
FRN 302039E

For, M C Bhandari & CO.
Chartered Accountants
FRN 303002E

N. S. R. Chandraprasad
Kuldip Singh

Chairman-cum-Managing Director
Director

(Dr. B. S. Kundu)
Partner

(Neeraj. Jain)
Partner

A. V. Girija Kumar

Director

Membership No. 051221

Membership No. 064393

Rina Madia

Dy. Company Secretary

Camp. Delhi, the 22nd day of May 2013

पंजीकरण सं.58 दिनांक 8 फरवरी 2013

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि लेखा

विवरण	2012 – 2013 (₹ '000)	2011 – 2012 (₹ '000)
1 प्रचालन लाभ/(हानि)	4,780,042	386,613
अ) अग्नि बीमा	2,431,055	283,637
ब) समुद्री बीमा	1,010,268	294,700
स) विविध बीमा	1,338,719	(191,724)
2 निवेशों से आय	4,030,474	2,919,279
अ) ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल	2,069,319	1,516,811
ब) निवेशों की विक्री/पुनर्विमोचन से लाभ	1,978,941	1,424,354
स) घटाएं: निवेशों की विक्री/पुनर्विमोचन से हानि	17,786	21,886
3 अन्य आय	53,262	879,362
अ) अन्य सम्पत्ति की बिक्री से लाभ	-	-
ब) विविध आय	53,262	56,276
स) विनिमय लाभ	0	37,872
द) दायित्व की आवश्यकता नहीं	0	785,214
योग (क)	8,863,778	4,185,254
4 प्रावधान (कराधान के अलावा)	155,000	(1,280,000)
अ) निवेशों के मूल्य में कमी के लिए	7,595	(134,910)
ब) संदिग्ध ऋणों के लिए	147,405	(1,145,090)
5 अन्य व्यय	123,795	2,154,640
अ) बीमा व्यवसाय से बसंधित व्ययों के अलावा व्यय	34,079	31,780
ब) निवेशों पर प्रीमियम का परिशोधन	50,492	48,211
स) निवेश के मूल्यह्रास के संबंध में बट्टे खाते गयी राशि	29,382	22,341
द) विनियम हानि	614	-
य) बट्टे खाते परिसम्पत्ति	80	2,036,727
र) सम्पत्ति बिक्री में हानि	5,197	13,644
ल) प्रदत्त विदेशी आयकर	3,951	1,937
व) निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन	-	-
योग (ख)	278,795	874,640

Registration no. 58 dated 8th February, 2013

Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2013

Particulars	2012 – 2013 (₹ '000)	2011 – 2012 (₹ '000)
1 OPERATING PROFIT/(LOSS)	4,780,042	386,613
(a) Fire Insurance	2,431,055	283,637
(b) Marine Insurance	1,010,268	294,700
(c) Miscellaneous Insurance	1,338,719	(191,724)
2 INCOME FROM INVESTMENTS	4,030,474	2,919,279
(a) Interest, Dividend & Rent – Gross	2,069,319	1,516,811
(b) Profit on sale/redemption of investments	1,978,941	1,424,354
(c) Less: Loss on sale/redemption of investments	17,786	21,886
3 OTHER INCOME	53,262	879,362
a) Profit on sale of other Asset	-	-
b) Miscellaneous Income	53,262	56,276
c) Exchange Gain	0	37,872
d) Liabilities no longer required	0	785,214
TOTAL (A)	8,863,778	4,185,254
4 PROVISIONS (Other than taxation)	155,000	(1,280,000)
(a) For diminution in the value of investments	7,595	(134,910)
(b) For doubtful debts	147,405	(1,145,090)
5 OTHER EXPENSES	123,795	2,154,640
(a) Expenses other than those related to Insurance Business	34,079	31,780
(b) Amortisation of Premium on Investments	50,492	48,211
(c) Amount written off in respect of depreciated Investments	29,382	22,341
(d) Exchange Loss	614	-
(e) Assets written off	80	2,036,727
(f) Loss on Sale on Asset	5,197	13,644
(g) Foreign Income tax paid	3,951	1,937
(h) Performance Linked Incentive	-	-
TOTAL (B)	278,795	874,640

विवरण	2012 – 2013 (₹ '000)	2011 – 2012 (₹ '000)
कर पूर्व लाभ (क-ख)	8,584,983	3,310,614
कराधान के लिए प्रावधान :		
वर्तमान कर	1,628,000	63,000
आस्थगित कर	-	-
पूर्व वर्षों का कराधान समायोजन	21,485	4,522
कर पश्चात लाभ	6,978,468	3,252,136
विनियोजन		
(अ) प्रस्तावित लाभांश	1,391,397	-
(ब) लाभांश संवितरण कर	238,468	-
(स) सामान्य आरक्षित में अन्तरित	5,100,603	3,252,136
(द) असमाप्त जोखिमों के लिए कंटीजेंसी में अंतरण	250,000	-
	6,978,468	3,252,136

यह लाभ तथा हानि लेखा इसी दिनांक को हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है

कृते निदेशक मंडल

गुहा नदी एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजी.सं. 302039E	एम. सी. भंडारी एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजी.सं. 303002E	एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद कुलदीप सिंह	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक निदेशक
(डॉ. बी. एस. कुण्डू) भागीदार सदस्यता संख्या 051221	(नोरज जैन) भागीदार सदस्यता संख्या 064393	ए. वी. गिरिजा कुमार रीना माडिया	निदेशक उप कम्पनी सचिव

कैम्प. दिल्ली, 22 मई, 2013

Particulars	2012 – 2013 (₹ '000)	2011 – 2012 (₹ '000)
PROFIT BEFORE TAX (A - B)	8,584,983	3,310,614
Provision for Taxation :		
Current Tax	1,628,000	63,000
Deferred Tax	-	-
Adjustment of Taxation for earlier years	21,485	4,522
PROFIT AFTER TAX	6,978,468	3,252,136
APPROPRIATIONS		
(a) Proposed dividend	1,391,397	-
(b) Dividend distribution tax	236,468	-
(c) Transfer to General Reserve	5,100,603	3,252,136
(d) Transfer to Contingency Reserve for Land & Building	250,000	-
	6,978,468	3,252,136

This is the Profit and Loss Account referred to in our report of even date.

For and on behalf of the Board of Directors

For, GUHANANDI & CO.
Chartered Accountants
FRN 302039E

For, M C Bhandari & CO.
Chartered Accountants
FRN 303002E

N. S. R. Chandraprasad
Kuldip Singh

Chairman-cum-Managing Director
Director

(Dr. B. S. Kundu)
Partner

(Neeraj. Jain)
Partner

A. V. Girija Kumar

Director

Membership No. 051221

Membership No. 064393

Rina Madia

Dy. Company Secretary

Camp. Delhi, the 22nd day of May 2013

पंजीकरण सं.58 दिनांक 8 फरवरी 2013

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का तुलन-पत्र

विवरण	अनुसूची	2012 – 2013 (₹ '000)	2011 – 2012 (₹ '000)
निधियों को स्रोत			
शेयर पूंजी	5	1,000,000	1,000,000
आरक्षित तथा आधिक्य	6	24,180,603	18,830,000
उचित मूल्य परिवर्तन लेखा		70,602,948	71,621,449
उधार	7	-	-
योग		95,783,551	91,451,449
निधियों के अनुप्रयोग			
निवेश	8	194,752,859	172,773,156
ऋण	9	2,318,463	2,511,872
स्थायी परिसम्पतियां	10	1,452,509	991,630
आस्थगित कर सम्पत्ति		-	-
वर्तमान परिसम्पतियां			
नगद तथा बैंक अतिशेष	11	14,053,587	11,487,385
अग्रिम तथा अन्य परिसम्पतियां	12	27,453,401	11,318,574
उप-योग (क)		41,506,988	22,805,959
वर्तमान देयताएं	13	101,084,507	71,358,345
प्रावधान	14	43,182,761	36,515,581
उप-योग (ख)		144,247,268	107,873,926
शुद्ध वर्तमान परिसम्पतियां (ग)=(क-ख)		(102,740,280)	(85,067,967)
विविध खर्च	15	-	242,758
(बड़े खाते डाले गए अथवा समायोजित नहीं की सीमा तक) योग		95,783,551	91,451,449
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	16		
लेखा पर टिप्पणियां	17		

यह-तुलन-पत्र इसी तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है।

कृते निदेशक मंडल

गुहा नंदी एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजी.सं. 302039E	एम. सी. भंडारी एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजी.सं. 303002E	एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद कुलदीप सिंह	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक निदेशक
(डॉ. बी. एस. कुण्डू) भागीदार सदस्यता संख्या 051221	(नोरज जैन) भागीदार सदस्यता संख्या 064393	ए. वी. गिरिजा कुमार रीना माडिया	निदेशक उप कम्पनी सचिव

कैम्प, दिल्ली, 22 मई, 2013

Registration no. 58 dated 8th February, 2013

Balance Sheet as at 31st March, 2013

Particulars	Schedule	2012 – 2013 (₹ '000)	2011 – 2012 (₹ '000)
<u>SOURCES OF FUNDS</u>			
SHARE CAPITAL	5	1,000,000	1,000,000
RESERVES AND SURPLUS	6	24,180,603	18,830,000
FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		70,602,948	71,621,449
BORROWINGS	7	-	-
TOTAL		95,783,551	91,451,449
<u>APPLICATION OF FUNDS</u>			
INVESTMENTS	8	194,752,859	172,773,156
LOANS	9	2,318,463	2,511,872
FIXED ASSETS	10	1,452,509	991,630
DEFERRED TAX ASSET		-	-
CURRENT ASSETS :			
Cash and Bank Balances	11	14,053,587	11,487,385
Advances and Other Assets	12	27,453,401	11,318,574
Sub-Total (A)		41,506,988	22,805,959
CURRENT LIABILITIES			
PROVISIONS	14	43,182,761	36,515,581
Sub-Total (B)		144,247,268	107,873,926
NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)		(102,740,280)	(85,067,967)
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15	-	242,758
TOTAL		95,783,551	91,451,449
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	16		
NOTES ON ACCOUNTS	17		

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date.

For and on behalf of the Board of Directors

For, GUHA NANDI & CO. Chartered Accountants FRN 302039E	For, M C Bhandari & CO. Chartered Accountants FRN 303002E	N. S. R. Chandraprasad	Chairman-cum-Managing Director
(Dr. B. S. Kundu) Partner Membership No. 051221	(Neeraj. Jain) Partner Membership No. 064393	Kuldip Singh	Director
		A. V. Girija Kumar	Director
		Rina Madia	Dy. Company Secretary

Camp. Delhi, the 22nd day of May 2013

पंजीकरण सं.58 दिनांक 8 फरवरी 2013

31 मार्च 2013 को नकदी प्रवाह विवरण

	2012-13 (₹ '000)	2011-12 (₹ '000)
ए. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
1. पलिसीधारकों से प्राप्त अग्रिम सहित प्राप्त प्रिमियम	53453649	52809987
2. अन्य प्राप्तियां	148124057	39776715
3. पुनर्बिमाकर्ता, कमिशन एवं दावा भुगतान	7701138	-
4. सह बिमाकर्ता को भुगतान, शुद्ध दावा रिकवरी	930701	-
5. दावा भुगतान	24180468	30101854
6. कमीशन एवं ब्रोकरेज का भुगतान	3868825	2755559
7. अन्य प्रचलन व्ययों का भुगतान	7595388	-
8. पॉलिसी धारकों एवं प्री आपरेटिंग व्यय	252304	-
9. डिपॉजिट एडवान्स एवं स्टाफ लोन	989477	369235
10. आयकर भुगतान (शुद्ध)	358925	-
11. सेवाकर भुगतान	10611097	-
12. अन्य भुगतान	138876095	49928139
13. विशेष मर्दों के पूर्व नकदी प्रवाह	6213288	9431915
14. विशेष व्ययों से नकदी प्रवाह	-	-
15. प्रचालन गतिविधियों (ए) से शुद्ध नगदी प्रवाह	6213288	9431915
बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
1. अचल परिसम्पत्तियों की खरीद	448947	411266250
2. अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त	6383	398565414
3. निवेश की खरीद	257618126	-
4. वितरित ऋण	78290	217447
5. निवेश की बिक्री	244701725	-
6. प्राप्त रि-पेमेन्ट	24811	42635
7. प्राप्त/ब्याज /डिविडेंड्स	9767251	7034771
8. मनी मार्केट इन्स्ट्रूमेन्ट एवं लिक्विड म्यूचुल फंड में निवेश	-	-
9. निवेश सम्बंधी ब्याय	1894	-
10. निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (बी)	-3647087	-5840877

Registration no. 58 dated 8th February, 2013

Cash Flow Statement as at 31st March, 2013

	2012-13 (₹ '000)	2011-12 (₹ '000)
A. Cash Flows from the operating activities:		
1. Premium received from policyholders, including advance receipts	53453649	52809987
2. Other receipts	148124057	39776715
3. Payments to the re-insurers, net of commissions and claims	7701138	-
4. Payments to co-insurers, net of claims recovery	930701	-
5. Payments of claims	24180468	30101854
6. Payments of commission and brokerage	3868825	2755559
7. Payments of other operating expenses	7595388	-
8. Preliminary and pre-operative expenses	252304	-
9. Deposits, advances and staff loans	989477	369235
10. Income taxes paid (Net)	358925	-
11. Service tax paid	10611097	-
12. Other payments	138876095	49928139
13. Cash flows before extraordinary items	6213288	9431915
14. Cash flow from extraordinary operations	-	-
15. Net cash flow from operating activities (A)	6213288	9431915
B. Cash flows from investing activities:		
1. Purchase of fixed assets	448947	411266250
2. Proceeds from sale of fixed assets	6383	398565414
3. Purchases of investments	257618126	-
4. Loans disbursed	78290	217447
5. Sales of investments	244701725	-
6. Repayments received	24811	42635
7. Rents/Interests/Dividends received	9767251	7034771
8. Investments in money market instruments and in liquid mutual funds	-	-
9. Expenses related to investments	1894	-
10. Net cash flow from investing activities (B)	-3647087	-5840877

31 मार्च 2013 को नकदी प्रवाह विवरण

	2012-13 (₹ '000)	2011-12 (₹ '000)
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
1. शेयर केपिटल जारी करने से प्राप्ति	-	-
2. बारोविंग से प्राप्ति	-	-
3. बारोविंग का रिपेमेन्ट	-	-
4. भुगतान ब्याज/ डिविडेन्ड्स	-	-
5. वित्तीय प्रचालन से शुद्ध नकदी प्रवाह (सी)	0	0
डी. नकद एवं नकदी के समतुल्य पर विशेष विनिमय का प्रभाव, शुद्ध	-	-
ई. नकद एवं नकदी के समतुल्य में शुद्ध वृद्धि : (ए+बी+सी)	2566201	3591038
1. वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी के समतुल्य	11487386	7896348
2. वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी के समतुल्य	14053587	11487386

कृते निदेशक मंडल

गुहा नंदी एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजी.सं. 302039E	एम. सी. भंडारी एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजी.सं. 303002E	एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद कुलदीप सिंह	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक निदेशक
(डॉ. बी. एस. कुण्डू) भागीदार सदस्यता संख्या 051221	(नीरज जैन) भागीदार सदस्यता संख्या 064393	ए. वी. गिरिजा कुमार रीना माडिया	निदेशक उप कम्पनी सचिव

कैम्प. दिल्ली, 22 मई, 2013

Cash Flow Statement as at 31st March, 2013

	2012-13 (₹ '000)	2011-12 (₹ '000)
C. Cash flows from financing activities:		
1. Proceeds from issuance of share capital	-	-
2. Proceeds from borrowing	-	-
3. Repayments of borrowing	-	-
4. Interest / dividends paid	-	-
5. Net cash flow from financing activities (C)	0	0
D. Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents, net:	-	-
E. Net increase in cash and cash equivalents: (A+B+C)	2566201	3591038
1. Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year	11487386	7896348
2. Cash & Cash equivalents at the end of the year	14053587	11487386

For and on behalf of the Board of Directors

For, GUHANANDI & CO.
Chartered Accountants
FRN 302039E

For, M C Bhandari & CO.
Chartered Accountants
FRN 303002E

N. S. R. Chandraprasad
Kuldip Singh

Chairman-cum-Managing Director
Director

(Dr. B. S. Kundu)
Partner

(Neeraj. Jain)
Partner

A. V. Girija Kumar

Director

Membership No. 051221

Membership No. 064393

Rina Madia

Dy. Company Secretary

Camp. Delhi, the 22nd day of May 2013

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट

(₹ हजार में)

विवरण	मरीन कार्गो		मरीन कार्गो के अलावा		कुल मरीन	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)						
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम	2148685	1991604	1404227	1526322	3552912	3517926
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	21228	11950	188957	136487	210185	148437
घटायें: अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	506005	502252	1353205	1150803	1859210	1653055
शुद्ध प्रीमियम	1663908	1501302	239979	512006	1903887	2013308
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन हेतु समायोजन	-81303	-73776	272027	-174007	190724	-247783
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1582805	1427526	512006	337999	2094611	1765525
उपगत दावे (शुद्ध)						
उपगत दावे-प्रत्यक्ष	1041121	1112549	219965	79094	1261086	1191643
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा	2986	6757	197778	130440	200744	137197
घटायें: अर्पित पुनर्बीमा	264914	228879	194514	33205	459426	280084
शुद्ध प्रदत्त दावे	779173	892427	223229	176329	1002402	1068756
जोड़े: वर्ष के अंत में बकाया दावे	1130732	1034939	936522	945290	2062254	1980229
घटायें: आरम्भ में बकाया दावे	1034939	1102065	945290	582847	1980229	1684912
कुल उपगत दावे	874966	825301	214461	538772	1089427	1364073
कमीशन						
प्रत्यक्ष-प्रदत्त कमीशन	254708	226226	19643	17716	274351	243942
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा	6171	2045	30945	24626	37116	26671
घटायें: अर्पित पुनर्बीमा	76066	71702	71093	74697	147159	146399
शुद्ध कमीशन	184813	156569	-20505	-32355	164308	124214

Segmental Report for the year ended 31st March, 2013

(₹ in Thousand)

PARTICULARS	MARINE CARGO		OTHER THAN MARINE CARGO		TOTAL MARINE	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
PREMIUM EARNED (NET)						
PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	2148685	1991604	1404227	1526322	3552912	3517926
ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	21228	11950	188957	136487	210185	148437
LESS : PREMIUM ON R/I CEDED	506005	502252	1353205	1150803	1859210	1653055
NET PREMIUM	1663908	1501302	239979	512006	1903887	2013308
ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	-81303	-73776	272027	-174007	190724	-247783
TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	1582605	1427526	512006	337999	2094611	1765525
CLAIMS INCURRED (NET)						
CLAIMS PAID – DIRECT	1041121	1112549	219965	79094	1261086	1191643
ADD : R/I ACCEPTANCE	2966	6757	197778	130440	200744	137197
LESS : R/I CEDED	264914	226879	194514	33205	459428	260084
NET CLAIMS PAID	779173	892427	223229	176329	1002402	1068756
ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	1130732	1034939	936522	945290	2062254	1980229
LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	1034939	1102065	945290	582847	1980229	1684912
TOTAL CLAIMS INCURRED	874966	825301	214461	538772	1089427	1364073
COMMISSION						
COMMISSION PAID – DIRECT	254708	226226	19643	17716	274351	243942
ADD: R/I ACCEPTANCE	6171	2045	30945	24626	37116	26671
LESS: R/I CEDED	76066	71702	71093	74697	147159	146399
NET COMMISSION	184813	156569	-20505	-32355	164308	124214

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट

(₹ हजार में)

विवरण	मोटर निजी क्षति		मोटर तृतीय पक्ष		कुल मोटर	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)						
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम	24465694	21470580	18580987	14797080	43046681	36267660
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	9430	21685	285543	8779355	274973	8801040
घटायें: अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	2539453	2192677	2446561	8793242	4986014	10985919
शुद्ध प्रीमियम	21935671	19299588	16399969	14783193	38335640	34082781
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन हेतु समायोजन	-1318040	-1689219	-808386	-2584377	-2126426	-4273596
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	20617631	17610369	15591583	12198816	36209214	29809185
उपगत दावे (शुद्ध)						
उपगत दावे-प्रत्यक्ष	14308735	11595046	12153650	11165946	26460385	22760992
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा	7526	3699	7690233	23937660	7697759	23941359
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा	1425640	1178247	7864935	13471161	9290575	14649408
शुद्ध प्रदत्त दावे	12888621	10420498	11978948	21632445	24867569	32052943
जोड़े : वर्ष के अंत में बकाया दावे	4794478	4172482	32550192	25563595	37344670	29736077
घटायें: आरम्भ में बकाया दावे	4172482	3641592	25563596	32346576	29736078	35988168
कुल उपगत दावे	13510617	10951388	18965544	14849464	32476161	25800852
कमीशन						
प्रत्यक्ष-प्रदत्त कमीशन	1868084	1275770	-3	-7	1868061	1275763
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा	4400	8515	3571	5155	7971	13670
घटायें: अर्पित पुनर्बीमा	370404	323445	-4	-5	370400	323440
शुद्ध कमीशन	1502060	960840	3572	5153	1505632	965993

Segmental Report for the year ended 31st March, 2013

(₹ in Thousand)

PARTICULARS	MOTOR OWN DAMAGE		MOTOR THIRD PARTY		TOTAL MOTOR	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
PREMIUM EARNED (NET)						
PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	24465694	21470580	18580987	14797080	43046681	36267660
ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	9430	21685	265543	8779355	274973	8801040
LESS: PREMIUM ON R/I CEDED	2539453	2192677	2446561	8793242	4986014	10985919
NET PREMIUM	21935671	19299588	16399969	14783193	38335640	34082781
ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	-1318040	-1689219	-808386	-2584377	-2126426	-4273596
TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	20617631	17610369	15591583	12198816	36209214	29809185
CLAIMS INCURRED (NET)						
CLAIMS PAID – DIRECT	14306735	11595046	12153650	11165946	26460385	22760992
ADD: R/I ACCEPTANCE	7526	3699	7690233	23937660	7697759	23941359
LESS: R/I CEDED	1425640	1178247	7864935	13471161	9290575	14649408
NET CLAIMS PAID	12888621	10420498	11978948	21632445	24867569	32052943
ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	4794478	4172482	32550192	25563595	37344670	29736077
LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	4172482	3641592	25563596	32346576	29736078	35988168
TOTAL CLAIMS INCURRED	13510617	10951388	18965544	14849464	32476161	25800852
COMMISSION						
COMMISSION PAID – DIRECT	1868064	1275770	-3	-7	1868061	1275763
ADD: R/I ACCEPTANCE	4400	8515	3571	5155	7971	13670
LESS: R/I CEDED	370404	323445	-4	-5	370400	323440
NET COMMISSION	1502060	960840	3572	5153	1505632	965993

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट

(₹ हजार में)

विवरण	नियोक्ता की देयता		जन देयता		इंजीनियरिंग	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)						
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम	697321	656714	351199	317717	3240816	3039194
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	0	0	0	0	644044	420451
घटायें: अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	69609	65517	35116	38121	1420711	1934308
शुद्ध प्रीमियम	627712	591197	316083	279596	2464149	1525337
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन हेतु समायोजन	-18257	-64941	-18244	-13382	-469406	-330914
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	609455	526256	297839	266214	1994743	1194423
उपगत दावे (शुद्ध)						
उपगत दावे-प्रत्यक्ष	128113	134863	24473	21697	837598	698166
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा	553	0	0	0	147878	208038
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा	19572	14938	2447	2604	461170	368473
शुद्ध प्रदत्त दावे	109094	119925	22026	19093	524306	537731
जोड़े : वर्ष के अंत में बकाया दावे	345499	291184	273632	288861	1920387	1439638
घटायें : आरम्भ में बकाया दावे	291184	287082	289862	172554	1439638	1129769
कुल उपगत दावे	163409	124027	5796	136400	1005055	847600
कमीशन						
प्रत्यक्ष-प्रदत्त कमीशन	65981	60987	41424	37077	212008	172201
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	-	-	-	-	189148	132148
घटायें: अर्पित पुनर्बीमा	-	-	-	-	548051	381829
शुद्ध कमीशन	65981	60987	41424	37077	-146895	-77480

Segmental Report for the year ended 31st March, 2013

(₹ in Thousand)

PARTICULARS	EMPLOYERS' LIABILITY		PUBLIC LIABILITY		ENGINEERING	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
PREMIUM EARNED (NET)						
PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	697321	656714	351199	317717	3240816	3039194
ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	0	0	0	0	644044	420451
LESS : PREMIUM ON R/I CEDED	69609	65517	35116	38121	1420711	1934308
NET PREMIUM	627712	591197	316083	279596	2464149	1525337
ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	-18257	-64941	-18244	-13382	-469406	-330914
TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	609455	526256	297839	266214	1994743	1194423
CLAIMS INCURRED (NET)						
CLAIMS PAID – DIRECT	128113	134863	24473	21697	837598	698166
ADD : R/I ACCEPTANCE	553	0	0	0	147878	208038
LESS : R/I CEDED	19572	14938	2447	2604	461170	368473
NET CLAIMS PAID	109094	119925	22026	19093	524306	537731
ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	345499	291184	273632	289861	1920387	1439638
LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	291184	287082	289862	172554	1439638	1129769
TOTAL CLAIMS INCURRED	163409	124027	5796	136400	1005055	847600
COMMISSION						
COMMISSION PAID – DIRECT	65981	60987	41424	37077	212008	172201
ADD: R/I ACCEPTANCE	-	-	-	-	189148	132148
LESS: R/I CEDED	-	-	-	-	548051	381829
NET COMMISSION	65981	60987	41424	37077	-146895	-77480

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट

(₹ हजार में)

विवरण	उद्भूयन		व्यक्तिगत दुर्घटना		स्वास्थ्य बीमा	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)						
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम	751033	452614	1457859	1572259	25614931	20797743
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	47719	97751	.	-	.	-
घटायें: अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	627952	505137	145808	173002	2569728	1980798
शुद्ध प्रीमियम	170800	45228	1312051	1399257	23045203	18816945
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन हेतु समायोजन	-62788	-10616	43604	-109124	-2114129	-2732600
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	108012	34612	1355655	1290133	20931074	16084345
उपगत दावे (शुद्ध)						
उपगत दावे-प्रत्यक्ष	92284	640292	944334	887422	23195348	18077796
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा	56867	65333	.	-	.	-
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा	72122	592787	94374	97608	2319160	1819499
शुद्ध प्रदत्त दावे	77029	112838	849960	789814	20876188	16258297
जोड़े : वर्ष के अंत में बकाया दावे	248876	79737	1058366	1176673	6116879	4890653
घटायें: आरम्भ में बकाया दावे	79737	99847	1176673	1376367	4890653	4267378
कुल उपगत दावे	246168	92728	731653	590120	22102414	16881572
कमीशन						
प्रत्यक्ष-प्रदत्त कमीशन	4322	1260	171656	182175	1546868	1604148
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	2987	2719	.	-	.	-
घटायें: अर्पित पुनर्बीमा	18774	16006	18	20	.	-
शुद्ध कमीशन	-11465	-12027	171638	182155	1546868	1604148

Segmental Report for the year ended 31st March, 2013

(₹ in Thousand)

PARTICULARS	AVIATION		PERSONAL ACCIDENT		HEALTH INSURANCE	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
PREMIUM EARNED (NET)						
PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	751033	452614	1457859	1572259	25614931	20797743
ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	47719	97751	-	-	-	-
LESS : PREMIUM ON R/I CEDED	627952	505137	145808	173002	2569728	1980798
NET PREMIUM	170800	45228	1312051	1399257	23045203	18816945
ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	-62788	-10616	43604	-109124	-2114129	-2732600
TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	108012	34612	1355655	1290133	20931074	16084345
CLAIMS INCURRED (NET)						
CLAIMS PAID – DIRECT	92284	640292	944334	887422	23195348	18077796
ADD : R/I ACCEPTANCE	56867	65333	-	-	-	-
LESS : R/I CEDED	72122	592787	94374	97608	2319160	1819499
NET CLAIMS PAID	77029	112838	849960	789814	20876188	16258297
ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	248876	79737	1058366	1176673	6116879	4890653
LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	79737	99847	1176673	1376367	4890653	4267378
TOTAL CLAIMS INCURRED	246168	92728	731653	590120	22102414	16881572
COMMISSION						
COMMISSION PAID – DIRECT	4322	1260	171656	182175	1546868	1604148
ADD: R/I ACCEPTANCE	2987	2719	-	-	-	-
LESS: R/I CEDED	18774	16006	18	20	-	-
NET COMMISSION	-11465	-12027	171638	182155	1546868	1604148

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट

(₹ हजार में)

विघरण	विविध अन्य		विविध योग	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)				
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम	4692920	4687129	79852760	67791030
जोडे: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	837570	1115129	1804306	10434371
घटाये: अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	1096222	780493	10951160	16463295
शुद्ध प्रीमियम	4434268	5021765	70705906	61762106
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन हेतु समायोजन	293746	-517763	-4471900	-8052936
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	4728014	4504002	66234006	53709170
उपगत दावे (शुद्ध)				
उपगत दावे - प्रत्यक्ष	2521196	2490740	54203731	45711968
जोडे : स्वीकृत पुनर्बीमा	506988	371032	8410045	24585762
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा	420101	436282	12679521	17981599
शुद्ध प्रदत्त दावे	2608083	2425490	49934255	52316131
जोडे : वर्ष के अंत में बकाया दावे	2530288	2655932	49838597	40559755
घटाये:आरम्भ में बकाया दावे	2655930	2095604	40559755	45416769
कुल उपगत दावे	2482441	2985818	59213097	47459117
कमीशन				
प्रत्यक्ष-प्रदत्त कमीशन	578444	568988	4488764	3902599
जोडे : स्वीकृत पुनर्बीमा	162680	250268	362786	398805
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा	532183	437479	1469426	1158774
शुद्ध कमीशन	208941	381777	3382124	3142630

Segmental Report for the year ended 31st March, 2013

(₹ in Thousand)

PARTICULARS	MISCELLANEOUS OTHERS		MISCELLANEOUS TOTAL	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
PREMIUM EARNED (NET)				
PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	4692920	4687129	79852760	67791030
ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	837570	1115129	1804306	10434371
LESS : PREMIUM ON R/I CEDED	1096222	780493	10951160	16463295
NET PREMIUM	4434268	5021765	70705906	61762106
ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	293746	-517763	-4471900	-8052936
TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	4728014	4504002	66234006	53709170
CLAIMS INCURRED (NET)				
CLAIMS PAID – DIRECT	2521196	2490740	54203731	45711968
ADD : R/I ACCEPTANCE	506988	371032	8410045	24585762
LESS : R/I CEDED	420101	436282	12679521	17981599
NET CLAIMS PAID	2608083	2425490	49934255	52316131
ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	2530288	2655932	49838597	40559755
LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	2655930	2095604	40559755	45416769
TOTAL CLAIMS INCURRED	2482441	2985818	59213097	47459117
COMMISSION				
COMMISSION PAID – DIRECT	578444	568988	4488764	3902599
ADD: R/I ACCEPTANCE	162680	250268	362786	398805
LESS: R/I CEDED	532183	437479	1469426	1158774
NET COMMISSION	208941	381777	3382124	3142630

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची - 1 अग्नि

अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)

विवरण	2012 - 2013 (₹ '000)	2011 - 2012 (₹ '000)
प्रत्यक्ष लिखित व्यवसाय से प्रीमियम	8,540,450	6,848,032
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	1,534,948	1,229,901
घटाएं: अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	3,116,045	2,324,860
शुद्ध प्रीमियम	6,959,353	5,753,073
असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित में परिवर्तन के लिए समायोजन	(603,140)	(492,467)
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	6,356,213	5,260,606

अनुसूची - 2 अग्नि

उपगत दावा (शुद्ध)

विवरण	2012 - 2013 (₹ '000)	2011 - 2012 (₹ '000)
प्रदत्त दावे		
प्रत्यक्ष	3,064,616	2,406,193
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा	1,108,526	754,761
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा	1,266,350	1,222,839
शुद्ध प्रदत्त दावे	2,906,792	1,938,115
जोड़े : वर्ष के अंत में बकाया दावे	6,658,934	5,962,927
घटाएं : वर्ष के शुरू में बकाया दावे	5,962,927	3,583,588
कुल उपगत दावे	3,602,799	4,317,456

अनुसूची - 3 अग्नि

कमीशन

विवरण	2012 - 2013 (₹ '000)	2011 - 2012 (₹ '000)
प्रदत्त कमीशन		
प्रत्यक्ष	518,447	418,830
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन	290,043	233,585
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन	449,716	305,444
शुद्ध कमीशन	358,774	346,971

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE – 1 FIRE

PREMIUM EARNED [NET]

Particulars	2012 - 2013	2011 - 2012
	(₹ '000)	(₹ '000)
Premium from direct business written	8,540,450	6,848,032
Add: Premium on reinsurance accepted	1,534,948	1,229,901
Less : Premium on reinsurance ceded	3,116,045	2,324,860
Net Premium	6,959,353	5,753,073
Adjustment for change in reserve for unexpired risks	(603,140)	(492,467)
Total Premium Earned (Net)	6,356,213	5,260,606

SCHEDULE – 2 FIRE

CLAIMS INCURRED [NET]

Particulars	2012 - 2013	2011 – 2012
	(₹ '000)	(₹ '000)
Claims paid		
Direct	3,064,616	2,406,193
Add :Re-insurance accepted	1,108,526	754,761
Less :Re-insurance ceded	1,266,350	1,222,839
Net Claims paid	2,906,792	1,938,115
Add Claims Outstanding at the end of the year	6,658,934	5,962,927
Less Claims Outstanding at the beginning of the year	5,962,927	3,583,586
Total Claims Incurred	3,602,799	4,317,456

SCHEDULE- 3 FIRE

COMMISSION

Particulars	2012 - 2013	2011 – 2012
	(₹ '000)	(₹ '000)
Commission paid		
Direct	518,447	418,830
Add: Commission on Re-insurance accepted	290,043	233,585
Less: Commission on Re-insurance ceded	449,716	305,444
Net Commission	358,774	346,971

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची - 1 समुद्री

अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)

विवरण	2012 - 2013 (₹ '000)	2011 - 2012 (₹ '000)
प्रत्यक्ष लिखित व्यवसाय से प्रीमियम	3,552,912	3,517,926
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	210,185	148,437
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	1,859,210	1,653,055
शुद्ध प्रीमियम	1,903,887	2,013,308
असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित में परिवर्तन के लिए समायोजन	190,724	(247,783)
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	2,094,611	1,765,525

अनुसूची - 2 समुद्री

उपगत दावा (शुद्ध)

विवरण	2012 - 2013 (₹ '000)	2011 - 2012 (₹ '000)
प्रदत्त दावे		
प्रत्यक्ष	1,261,086	1,191,643
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा	200,744	137,197
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा	459,428	260,084
शुद्ध प्रदत्त दावे	1,002,402	1,068,756
जोड़े : वर्ष के अंत में बकाया दावे	2,067,254	1,980,229
घटाएं : वर्ष के शुरू में बकाया दावे	1,980,229	1,684,912
कुल उपगत दावा	1,089,427	1,364,073

अनुसूची - 3 समुद्री

कमीशन

विवरण	2012 - 2013 (₹ '000)	2011 - 2012 (₹ '000)
प्रदत्त कमीशन		
प्रत्यक्ष	274,351	243,942
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन	37,116	26,671
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन	147,159	146,399
शुद्ध कमीशन	164,308	124,214

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE – 1 MARINE

PREMIUM EARNED [NET]

Particulars	2012 - 2013	2011 – 2012
	(₹ '000)	(₹ '000)
Premium from direct business written	3,552,912	3,517,926
Add: Premium on reinsurance accepted	210,185	148,437
Less : Premium on reinsurance ceded	1,859,210	1,653,055
Net Premium	1,903,887	2,013,308
Adjustment for change in reserve for unexpired risks	190,724	(247,783)
Total Premium Earned (Net)	2,094,611	1,765,525

SCHEDULE – 2 MARINE

CLAIMS INCURRED [NET]

Particulars	2012 - 2013	2011 – 2012
	(₹ '000)	(₹ '000)
Claims paid		
Direct	1,261,086	1,191,643
Add :Re-insurance accepted	200,744	137,197
Less :Re-insurance ceded	459,428	260,084
Net Claims paid	1,002,402	1,068,756
Add Claims Outstanding at the end of the year	2,067,254	1,980,229
Less Claims Outstanding at the beginning	1,980,229	1,684,912
Total Claims Incurred	1,089,427	1,364,073

SCHEDULE- 3 MARINE

COMMISSION

Particulars	2012 - 2013	2011 – 2012
	(₹ '000)	(₹ '000)
Commission paid		
Direct	274,351	243,942
Add: Commission on Re-insurance accepted	37,116	26,671
Less: Commission on Re-insurance ceded	147,159	146,399
Net Commission	164,308	124,214

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची-1 विविध

अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)

विवरण	2012 - 2013	2011 - 2012
	(₹ '000)	(₹ '000)
प्रत्यक्ष लिखित व्यवसाय से प्रीमियम	79,852,760	67,791,030
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	1,804,306	10,434,371
घटाएं: अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	10,951,160	16,463,295
शुद्ध प्रीमियम	70,705,906	61,762,106
असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित में परिवर्तन के लिए समायोजन	(4,471,900)	(8,052,931)
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	66,234,006	53,709,175

अनुसूची-2 विविध

उपगत दावा (शुद्ध)

विवरण	2012 - 2013	2011 - 2012
	(₹ '000)	(₹ '000)
प्रदत्त दावे		
प्रत्यक्ष	54,203,731	45,711,967
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा	8,410,045	24,585,762
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा	12,679,521	17,981,599
शुद्ध प्रदत्त दावे	49,934,255	52,316,130
जोड़े : वर्ष के अंत में बकाया दावे	49,838,597	40,559,755
घटाएं : वर्ष के शुरु में बकाया दावे	40,559,755	45,418,769
कुल उपगत दावा	59,213,097	47,459,116

अनुसूची-3 विविध

कमीशन

विवरण	2012 - 2013	2011 - 2012
	(₹ '000)	(₹ '000)
प्रदत्त कमीशन		
प्रत्यक्ष	4,488,764	3,902,599
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन	362,786	398,805
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन	1,469,426	1,158,774
शुद्ध कमीशन	3,382,124	3,142,630

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

**SCHEDULE – 1 MISCELLANEOUS
PREMIUM EARNED [NET]**

Particulars	2012 - 2013	2011 – 2012
	(₹ '000)	(₹ '000)
Premium from direct business written	79,852,760	67,791,030
Add: Premium on reinsurance accepted	1,804,306	10,434,371
Less : Premium on reinsurance ceded	10,951,160	16,463,295
Net Premium	70,705,906	61,762,106
Adjustment for change in reserve for unexpired risks	(4,471,900)	(8,052,931)
Total Premium Earned (Net)	66,234,006	53,709,175

**SCHEDULE – 2 MISCELLANEOUS
CLAIMS INCURRED [NET]**

Particulars	2012 - 2013	2011 – 2012
	(₹ '000)	(₹ '000)
Claims paid		
Direct	54,203,731	45,711,967
Add :Re-insurance accepted	8,410,045	24,585,762
Less :Re-insurance ceded	12,679,521	17,981,599
Net Claims paid	49,934,255	52,316,130
Add: Claims Outstanding at the end of the year	49,838,597	40,559,755
Less: Claims Outstanding at the beginning	40,559,755	45,416,769
Total Claims Incurred	59,213,097	47,459,116

**SCHEDULE- 3 MISCELLANEOUS
COMMISSION**

Particulars	2012 - 2013	2011 – 2012
	(₹ '000)	(₹ '000)
Commission paid		
Direct	4,488,764	3,902,599
Add: Commission on Re-insurance accepted	362,786	398,805
Less: Commission on Re-insurance ceded	1,469,426	1,158,774
Net Commission	3,382,124	3,142,630

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची - 4

बीमा व्यवसाय से सम्बंधित प्रचालन व्यय

विवरण	2012 - 2013	2011 - 2012
	(₹ '000)	(₹ '000)
1. कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं कल्याण सुविधाएं	12,524,643	10,618,948
2. यात्रा, परिवहन तथा वाहन चालन व्यय	444,766	419,875
3. प्रशिक्षण खर्च	47,830	17,581
4. किराया, दर एवं कर	547,927	508,774
5. मरम्मत	42,189	35,629
6. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	211,922	207,359
7. सम्प्रेषण	154,870	146,874
8. विधिक एवं पेशेवर शुल्क	62,711	106,437
9. लेखा परीक्षकों का शुल्क, खर्च आदि		
(क) लेखा परीक्षक के रूप में	25,362	21,415
(ख) निम्नलिखित के सम्बंध में सलाहकार अथवा किसी अन्य रूप में	-	-
(i) कराधान के मामलों में	-	-
(ii) बीमा के मामलों में	-	-
(iii) प्रबन्धन सेवा के मामलों में, एवं	-	-
(ग) किसी अन्य रूप में	-	-
10. विज्ञापन तथा प्रचार	122,917	98,927
11. ब्याज एवं बैंक प्रभार	17,946	103,929
12. अन्य	1,789,606	2,667,963
13. मूल्यहास	644,561	679,142
14. सेवा कर व्यय	38,404	153,223
कुल	16,675,654	15,786,076
निम्न को आबंटित :		
अग्नि	1,772,721	1,415,245
समुद्री	496,571	481,527
दिविध	14,406,362	13,889,304
योग	16,675,654	15,786,076

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE – 4

OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

Particulars	2012 - 2013	2011 – 2012
	(₹ '000)	(₹ '000)
1. Employees' remuneration & welfare benefits	12,524,643	10,618,948
2. Travel, conveyance and vehicle running expenses	444,766	419,875
3. Training expenses	47,830	17,581
4. Rents, rates & taxes	547,927	508,774
5. Repairs	42,189	35,629
6. Printing & stationery	211,922	207,359
7. Communication	154,870	146,874
8. Legal & professional charges	62,711	106,437
9. Auditors' fees, expenses etc		
(a) as auditor	25,362	21,415
(b) as adviser or in any other capacity, in respect of	-	-
(i) Taxation matters	-	-
(ii) Insurance matters	-	-
(iii) Management services; and	-	-
(c) in any other capacity	-	-
10. Advertisement and publicity	122,917	98,927
11. Interest & Bank Charges	17,946	103,929
12. Others	1,789,606	2,667,963
13. Depreciation	644,561	679,142
14. Service Tax Expenses	38,404	153,223
TOTAL	16,675,654	15,786,076
Allocated to :-		
Fire	1,772,721	1,415,245
Marine	496,571	481,527
Miscellaneous	14,406,362	13,889,304
TOTAL	16,675,654	15,786,076

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची – 5

शेयर पूंजी

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
	को (₹ '000)	को (₹ '000)
1 प्राधिकृत पूंजी ₹10 प्रत्येक के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	2,000,000	2,000,000
2 निर्गत अभिदत्त तथा चुकता ₹10 प्रत्येक के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर (इसमें शामिल है ₹10 प्रति के सामान्य आरक्षित तथा शेयर प्रीमियम के पूंजीकरण द्वारा पूर्णतः चुकता बोनस शेयर के रूप में 9,70,96,955 इक्विटी शेयर)	1,000,000	1,000,000
कुल	1,000,000	1,000,000

अनुसूची - 5क

शेयर पूंजी

शेयर धारण की परिपाटी

शेयरधारक

प्रोत्साहक	31.03.2013		31.03.2012	
	शेयरों की संख्या	% धारण	शेयरों की संख्या	% धारण
● भारत	100,000,000	100%	100,000,000	100%
● विदेशी	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-
कुल	100,000,000		100,000,000	

अनुसूची – 6

आरक्षित तथा अधिशेष

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
	को (₹ '000)	को (₹ '000)
1 सामान्य आरक्षित		
पिछले वर्ष का अतिशेष	18,815,573	14,814,563
लाभ हानि खाते से स्थानान्तरित	5,100,603	3,252,136
असमाप्त जोखिम के लिए आकस्मिक रिजर्व से स्थानान्तरित	-	748,874
	23,916,176	18,815,573
2 भू संपदा व भवन के लिए आकस्मिक आरक्षित	250,000	-
3 निवेश आरक्षित	9,610	9,610
4 विनिमय आरक्षित	4,817	4,817
कुल	24,180,603	18,830,000

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE – 5

SHARE CAPITAL

Particulars	As at 31.03.2013	As at 31.03.2012
	(₹ '000)	(₹ '000)
1 Authorised Capital 20,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each	2,000,000	2,000,000
2 Issued, Subscribed and Paid-up 10,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each (include 9,70,96,955 Equity Shares of ₹10 each as fully paid-up Bonus Shares by capitalisation of General Reserve and Share Premium)	1,000,000	1,000,000
TOTAL	1,000,000	1,000,000

SCHEDULE – 5A

SHARE CAPITAL

PATTERN OF SHAREHOLDING

Shareholder	As at 31.03.2013		As at 31.03.2012	
	Number of Shares	% of Holding	Number of Shares	% of Holding
Promoters				
● India	100,000,000	100%	100,000,000	100%
● Foreign	-	-	-	-
Others	-	-	-	-
TOTAL	100,000,000		100,000,000	

SCHEDULE – 6

RESERVES AND SURPLUS

Particulars	As at 31.03.2013 (₹ '000)	As at 31.03.2012 (₹ '000)
	1 General Reserves	
Balance as per last account	18,815,573	14,814,563
Transfer from Profit and Loss Account	5,100,603	3,252,136
Transfer from Contingency Reserve for Unexpired Risk	-	748,874
	23,916,176	18,815,573
2 Contingency Reserve for Land & Building	250,000	-
3 Investment Reserve	9,610	9,610
4 Exchange Reserve	4,817	4,817
TOTAL	24,180,603	18,830,000

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ
अनुसूची - 7

उधार

विवरण	31.03.2013 को (₹ '000)	31.03.2012 को (₹ '000)
1 ऋणपत्र/बंधपत्र	-	-
2 बैंक	-	-
3 वित्तीय संस्थाएं	-	-
4 अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची - 8

निवेश

विवरण	31.03.2013 को (₹ '000)	31.03.2012 को (₹ '000)
दीर्घकालिक निवेश		
1 ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा सरकार द्वारा प्रत्याभूत बंधपत्र (नीचे नोट (i) देखें)	49,522,813	33,712,790
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	278,727	278,727
3 अन्य निवेश		
क) शेयर		
(कक) इक्विटी	102,111,159	101,198,807
(खख) अधिमान	98,834	52,679
(ख) म्युचुअल फंड		
(ग) ऋणपत्र/बंधपत्र (नीचे नोट (ii) देखें)	21,311,021	12,523,537
(घ) स्व सहायक और वेंच्योर पूंजी	98,834	52,679
(च) निवेश सम्पत्तियाँ - भूसंपत्ति	5,329	5,755
4 ढांचागत तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश (नीचे नोट (ii) देखें)	17,359,714	15,901,541
5 अनुमोदित निवेश के अलावा	50,054	109,849
अल्पकालिक निवेश		
1 ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा सरकार द्वारा प्रत्याभूत बंधपत्र	1,478,889	2,061,097
2 अन्य निवेश		
(क) म्युचुअल फंड	215,727	5,177,774
(ख) ऋणपत्र/बंधपत्र	627,900	956,950
(ग) अन्य प्रतिभूतियाँ (वाणिज्यिक कागज)		
3 ढांचागत तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश	1,375,037	474,927
4 अनुमोदित निवेश के अलावा	277,373	280,487
कुल	1,94,752,859	1,72,773,156

नोट : (i) बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुसरण में भा.रि.बैं. में जमा ₹100413 हजार शामिल है (विगत वर्ष ₹100486 हजार)

(ii) निष्क्रिय ऋणपत्र के लिए ₹246102 हजार (वि.व.₹264369 हजार) के प्रावधान को बैड और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के तहत अनुसूची 14 में शामिल किया गया है ।

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE - 7

BORROWINGS

Particulars	As at 31.03.2013 (₹ '000)	As at 31.03.2012 (₹ '000)
1 Debentures/ Bonds	NIL	NIL
2 Banks	NIL	NIL
3 Financial Institutions	NIL	NIL
4 Others (to be specified)	NIL	NIL
TOTAL	NIL	NIL

**SCHEDULE -8
INVESTMENTS**

Particulars	As at 31.03.2013 (₹ '000)	As at 31.03.2012 (₹ '000)
LONG TERM INVESTMENTS		
1 Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills (See note (i) below)	49,522,813	33,712,790
2 Other Approved Securities	278,727	278,727
3 Other Investments		
(a) Shares		
(aa) Equity	102,111,159	101,198,807
(bb) Preference	40,282	38,236
(b) Mutual Funds		
(c) Debentures/ Bonds [See note (ii) below]	21,311,021	12,523,537
(d) Auto Ancillary and Venture Capital	98,834	52,679
(e) Investment Properties-Real Estate	5,329	5,755
4 Investments in Infrastructure and Social Sector [See note (ii) below]	17,359,714	15,901,541
5 Other than Approved Investments	50,054	109,849
SHORT TERM INVESTMENTS		
1 Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	1,478,889	2,061,097
2 Other Investments		
(a) Mutual Funds	215,727	5,177,774
(b) Debentures/ Bonds	627,900	956,950
(c) Other securities (Commercial Paper)		
3 Investments in Infrastructure and Social Sector	1,375,037	474,927
4 Other than Approved Investments	277,373	280,487
TOTAL	1,94,752,859	1,72,773,156

Notes: (i) Includes ₹100413 thousand (Previous year ₹100486 thousand) deposited with RBI In pursuant to Section 7 of Insurance Act, 1938.

(ii) Provision of ₹246102 thousand (Previous year ₹264369 thousand) against non-performing debentures is grouped under provision for bad and doubtful debts in Schedule 14

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची - 9

ऋण

	31.03.2013 को (₹ '000)	31.03.2012 को (₹ '000)
विवरण		
1 प्रतिभूति-वार वर्गीकरण		
सुरक्षित	1,926,718	2,073,877
(क) सम्पत्ति के बन्धक पर		
(कक) भारत में	523,763	600,058
(खख) भारत से बाहर	-	-
(ख) शेयरों, बंधपत्रों, सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
(ग) अन्य - गृह ऋण	1,402,955	1,473,819
असुरक्षित	391,745	437,995
कुल	2,318,463	2,511,872
2 ऋणी-वार वर्गीकरण		
(क) केन्द्र तथा राज्य सरकार	294,149	337,065
(ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थान	15,000	15,000
(ग) अनुषंगियाँ	-	-
(घ) औद्योगिक उपक्रम	589,054	665,349
(च) अन्य	1,420,260	1,494,458
कुल	2,318,463	2,511,872
3 निष्पादन-वार वर्गीकरण		
(क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण		
(कक) भारत में	1,988,763	2,136,917
(खख) भारत से बाहर	-	-
(ख) निष्क्रिय ऋण से प्रावधान घटाकर		
(कक) भारत में *	329,700	374,955
(खख) भारत से बाहर	-	-
कुल	2,318,463	2,511,872
4 परिपक्वता-वार विवरण		
(क) अल्पकालिक	2,379	2,866
(ख) दीर्घकालिक	2,316,084	2,509,006
कुल	2,318,463	2,511,872

* नोट : निष्क्रिय ऋणपत्र के लिए ₹329700 हजार (वि.व.₹355625 हजार) के प्रावधान को बैड और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के तहत अनुसूची 14 में शामिल किया गया है ।

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE - 9

LOANS

Particulars	As at 31.03.2013 (₹ '000)	As at 31.03.2012 (₹ '000)
1 SECURITY-WISE CLASSIFICATION		
Secured	1,926,718	2,073,877
(a) On mortgage of property		
(aa) In India	523,763	600,058
(bb) Outside India	-	-
(b) On Shares, Bonds, Govt. Securities	-	-
(c) Others - HBL	1,402,955	1,473,819
Unsecured	391,745	437,995
TOTAL	2,318,463	2,511,872
2 BORROWER-WISE CLASSIFICATION		
(a) Central and State Governments	294,149	337,065
(b) Banks and Financial Institutions	15,000	15,000
(c) Subsidiaries	-	-
(d) Industrial Undertakings	589,054	665,349
(e) Others	1,420,260	1,494,458
TOTAL	2,318,463	2,511,872
3 PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION		
(a) Loans classified as standard		
(aa) In India	1,988,763	2,136,917
(bb) Outside India	-	-
(b) Non-performing loans less provisions		
(aa) In India *	329,700	374,955
(bb) Outside India	-	-
TOTAL	2,318,463	2,511,872
4 MATURITY-WISE CLASSIFICATION		
(a) Short Term	2,379	2,866
(b) Long Term	2,316,084	2,509,006
TOTAL	2,318,463	2,511,872

* Note : Provision of ₹329700 thousand (Previous year ₹355625 thousand) against non-performing loans is grouped under provision for bad and doubtful debts in Schedule 14

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची-10

31 मार्च 2013 को स्थायी सम्पत्ति

(₹ '000)

विवरण	लागत/सकल ब्लाक				मूल्यहास				शुद्ध ब्लाक	
	1.04.2012 को आरम्भ	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष के दौरान कमी	को समाप्त 31.03.2013	31.03.12 तक	वर्ष के लिए समायोजन	बिक्री/	31.03.13 तक	31.03.13 को	31.03.12 को
साख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अदृश्य	1,071,141	504,925	-	1,576,066	1,020,555	181,829	-	1,202,384	373,682	50,586
जमीन मुक्त	6,532	-	-	6,532	-	-	-	-	6,532	6,532
पत धारित सम्पत्ति	4,415	-	-	4,415	584	74	-	658	3,757	3,831
भवन	332,953	58,082	-	391,035	147,953	13,448	-	161,401	229,634	185,000
फर्नीचर व फीटिंग	280,421	30,174	11,706	298,889	236,879	15,308	-669	251,518	47,371	43,542
सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण	3,015,537	551,499	217,913	3,349,123	2,746,250	308,702	-22,539	3,032,413	316,710	269,287
वाहन	563,788	291,222	191,337	663,673	222,633	119,620	-58,832	283,421	380,252	341,155
कार्यालय उपकरण	175,436	12,833	9,149	179,120	149,586	5,614	-2,694	152,506	26,614	25,850
अन्य *	305,077	29,335	20,594	313,818	240,979	13,485	-6,854	247,610	66,208	64,098
कुल	5,755,301	1,478,071	450,700	6,782,671	4,765,420	658,080	-91,588	5,331,910	1,450,761	989,882
प्रगति में पूंजीगत कार्य वातानुकूल यंत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	1,748	-	-	1,748	-	-	-	-	1,748	1,748
कुल योग	5,757,049	1,478,071	450,700	6,784,420	4,765,420	658,080	-91,588	5,331,910	1,452,509	991,630
विगत वर्ष	5,320,863	760,308	324,122	5,757,049	4,191,513	679,142	-105,233	4,765,420	991,630	-

*अन्य में शामिल है बिजली के उपकरण, एयरकंडीशनर, जेनरेटर तथा साइकिल

SCHEDULE FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE – 10

FIXED ASSETS AS AT 31ST MARCH, 2013

(₹ '000)

Particulars	Cost/ Gross Block				Depreciation			Net Block		
	Opening as at 01.04.2012	Additions during the year	Reductions during the year	Closing as on 31.03.2013	Upto 31.03.2012	For the Year	On Sales/ Adjustments	As on 31.03.2013	As at 31.03.2013	As at 31.03.2012
Goodwill	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intangibles (software)	1,071,141	504,925	-	1,576,066	1,020,555	181,829	-	1,202,384	373,682	50,586
Land-Freehold	6,532	-	-	6,532	-	-	-	-	6,532	6,532
Leasehold Property	4,415	-	-	4,415	584	74	-	658	3,757	3,831
Buildings	332,953	58,082	-	391,035	147,953	13,448	-	161,401	229,634	185,000
Furniture & Fittings	280,421	30,174	11,706	298,889	236,879	15,308	-669	251,518	47,371	43,542
Information Technology Equipment	3,015,537	551,499	217,913	3,349,123	2,746,250	308,702	-22,539	3,032,413	316,710	269,287
Vehicles	563,788	291,222	191,337	663,673	222,633	119,620	-58,832	283,421	380,252	341,155
Office Equipment	175,436	12,833	9,149	179,120	149,586	5,614	-2,694	152,506	26,614	25,850
Others *	305,077	29,335	20,594	313,818	240,979	13,485	-6,854	247,610	66,208	64,098
TOTAL	5,755,301	1,478,071	450,700	6,782,671	4,765,420	658,080	-91,588	5,331,910	1,450,761	989,882
Capital Work in progress - A.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Others	1,748	-	-	1,748	-	-	-	-	1,748	1,748
Grand Total	5,757,049	1,478,071	450,700	6,784,420	4,765,420	658,080	-91,588	5,331,910	1,452,509	991,630
PREVIOUS YEAR	5,320,863	760,308	324,122	5,757,049	4,191,513	679,142	-105,233	4,765,420	991,630	-

* Others include Electrical Equipments, Airconditioner, Generator and Cycle.

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची - 11

नकद तथा बैंक अतिशेष

विवरण		31.03.2013 को (₹ '000)	31.03.2012 को (₹ '000)
1	नकद (चैक, ड्राफ्ट तथा स्टाम्प सहित)	1,126,416	202,971
2	बैंक अतिशेष		
	(क) जमा लेखा		
	(कक) अल्पकालिक (12 महीनों के अंदर देय)	3,563,926	6,582,729
	(ख) चालू खाता	9,355,222	4,689,565
3	मांग पर तथा अल्प सूचना पर धन		
	(क) बैंक में	-	-
	(ख) अन्य संस्थानों में	-	-
4	पारवहन में जमा	8,023	12,120
	कुल	14,053,587	11,487,385
	उपर्युक्त 2 तथा 3 में शामिल हैं गैर अनुसूचित बैंकों में (नेपाल शाखा में) अतिशेष	-	-

नोट : सेबी के परिपत्र संख्या एमआरडी/डीओपी/एसई/परि.-07/2005 दिनांक 23 फरवरी 2005 के अनुसार एनएसई/बीएसई इक्विटी ट्रांजेक्सन के लिए मार्जिन मनी के रूप में ₹1,20,000 हजार (₹1,20,000) रखा गया।

अनुसूची - 12

अग्रिम तथा अन्य संपत्तियां

विवरण		31.03.2013 को (₹ '000)	31.03.2012 को (₹ '000)
अग्रिम			
1	अर्पित कम्पनियों में आरक्षित जमा	140,721	98,233
2	निवेश के लिए आवेदन राशि	-	-
3	अग्रिम प्रदत्त कर तथा स्रोत पर काटे गए कर (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान)	-547,218	1,264,783
4	अग्रिम, जमा तथा पूर्व प्रदत्त खर्च	1,077,003	969,607
	कुल (क)	670,506	2,332,623
अन्य संपत्तियां			
1	निवेशों पर प्रोद्भूत आय	3,301,558	2,330,768
2	बकाया प्रीमियम	5,893	5,711
3	एजेंटों का अतिशेष	21,591	17,273
4	बीमा व्यवसाय कर रहे अन्य संस्थानों से (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) प्राप्य	18,565,997	2,077,098
5	भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुरूप)	-	-
6	अन्य -(ब्याज, लाभांश तथा बकाया किराया देनदार तथा वाहन ऋण सहित)	4,822,630	4,470,878
7	अंतर-कार्यालय	65,228	84,223
	कुल (ख)	26,782,895	8,985,951
	कुल (क) +(ख)	27,453,401	11,318,574

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE- 11

CASH AND BANK BALANCES

Particulars	As at 31.03.2013 (₹ '000)	As at 31.03.2012 (₹ '000)
1 Cash (including cheques, drafts and stamps)	1,126,416	202,971
2 Bank Balances		
(a) Deposit Accounts		
(aa) Short-term (due within 12 months) [note below]	3,563,926	6,582,729
(b) Current Accounts	9,355,222	4,689,565
3 Money at Call and Short Notice		
(a) With Banks	-	-
(b) With other Institutions	-	-
4 Remittances in Transit	8,023	12,120
TOTAL	14,053,587	11,487,385
Balances with non-scheduled banks included in 2 and 3 above (at Nepal Branch)	-	-

Note - Includes ₹1,20,000 thousand (₹1,20,000 thousand) kept as margin money for NSE/BSE equity transactions as per SEBI circular no. MRD/DoP/SE/Cir-07/2005 dated 23rd February 2005.

SCHEDULE – 12

ADVANCES AND OTHER ASSETS

Particulars	As at 31.03.2013 (₹ '000)	As at 31.03.2012 (₹ '000)
ADVANCES		
1 Reserve deposits with ceding companies	140,721	98,233
2 Application money for investments	-	-
3 Advance tax paid and taxes deducted at source (Net of provision for taxation)	-547,218	1,264,783
4 Advance, Deposits & Pre-paid Expenses	1,077,003	969,607
TOTAL (A)	670,506	2,332,623
OTHER ASSETS		
1 Income accrued on investments	3,301,558	2,330,768
2 Outstanding Premiums	5,893	5,711
3 Agents' Balances	21,591	17,273
4 Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)	18,565,997	2,077,098
5 Deposit with Reserve Bank of India [Pursuant to section 7 of Insurance Act, 1938]	-	-
6 Others (Interest, Dividend, Rent Outstanding, Debtors and Vehicle Loan)	4,822,630	4,470,878
7 Inter Office	65,226	84,223
TOTAL (B)	26,782,895	8,985,951
TOTAL (A+B)	27,453,401	11,318,574

**वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियों
अनुसूची - 13
वर्तमान देयताएं**

	31.03.2013 को (₹ '000)	31.03.2012 को (₹ '000)
विवरण		
1 एजेंटों के अतिशेष	644,833	630,613
2 अन्य बीमा कंपनियों को देय अतिशेष	10,890,653	9,117,249
3 अर्पित पुनर्वीमा पर धारित जमा	0	13,316
4 अग्रिम प्राप्त प्रीमियम	730,425	949,763
5 विविध लेनदार	29,600,222	11,700,402
6 पुराने शेयरधारकों को देय	292	292
7 बकाया दावे	58,564,784	48,502,910
8 अन्य - (अदावी लाभांश)	-	-
9 पॉलिसी होल्डर्स की अदावी राशि	633,298	443,800
10 सेवा कर देयताएँ	-	-
11 अंतर कार्यालय	-	0
कुल	101,064,507	71,358,345

**अनुसूची - 14
प्रावधान**

	As at 31.03.2013 (₹ '000)	As at 31.03.2012 (₹ '000)
विवरण		
1 असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित	39,904,562	35,020,247
2 प्रस्तावित लाभांश के लिए	1,391,397	-
3 लाभांश संवितरण कर के लिए	236,488	-
4 संदिग्ध ऋणों के लिए	1,650,334	1,495,334
कुल	43,182,761	36,515,581

अनुसूची - 15

विविध खर्च

(जो बट्टे खाते या समायोजित न किए गए हों)

	As at 31.03.2013 (₹ '000)	As at 31.03.2013 (₹ '000)	As at 31.03.2012 (₹ '000)
विवरण			
1 जारी किए गए शेयर/ऋणपत्र पर अनुमत छूट	-	-	-
2 आस्थगित राजस्व खर्च अनुग्रही राशि 2010-11	-	404,596	404,596
		404,596	404,596
घटायें 31 मार्च 2012 तक संविभाजित	161,838	-	-
घटायें : वर्ष के दौरान संविभाजित	242,758	404,596	161,838
वर्ष के अंत में शेष		0	242,758

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
SCHEDULE - 13
CURRENT LIABILITIES

Particulars	As at	As at
	31.03.2013 (₹ '000)	31.03.2012 (₹ '000)
1 Agents' Balances	644,833	630,613
2 Balances due to other insurance companies	10,890,653	9,117,249
3 Deposits held on re-insurance ceded	0	13,316
4 Premiums received in advance	730,425	949,763
5 Sundry creditors	29,600,222	11,700,402
6 Due to former share holders	292	292
7 Claims Outstanding	58,564,784	48,502,910
8 Others - (Unclaimed Dividend)	-	-
9 Unclaimed Amount of policy holders	633,298	443,800
10 Service Tax Liability	-	-
11 Inter office	-	0
TOTAL	101,064,507	71,358,345

SCHEDULE – 14
PROVISIONS

Particulars	As at	As at
	31.03.2013 (₹ '000)	31.03.2012 (₹ '000)
1 Reserve for Unexpired Risk	39,904,562	35,020,247
2 For proposed dividends	1,391,397	-
3 For dividend distribution tax	236,468	-
4 For doubtful debts	1,650,334	1,495,334
TOTAL	43,182,761	36,515,581

SCHEDULE – 15
MISCELLANEOUS EXPENDITURE

(To the extent not written off or adjusted)

Particulars	As at	As at	As at
	31.03.2013 (₹ '000)	31.03.2013 (₹ '000)	31.03.2012 (₹ '000)
1 Discount Allowed in issue of shares/ debentures	-	-	-
2 Deferred Revenue Expenditure	-	-	-
Gratuity Expenses of 2010-11	-	404,596	404,596
		404,596	404,596
Less: Amortised till 31.03.2012	161,838	-	-
Less: Amortised during the year	242,758	404,596	161,838
BALANCE AT THE END OF THE YEAR		0	242,758

अनुसूची-16

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखांकन परम्परा

- 1.1 तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा और आय लेखा कम्पनी अधिनियम, 1956 के संबंधित प्रावधानों के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 11(1) एवं (1ए) के प्रावधानों के अनुसार तैयार किये गये हैं। उक्त विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अनुसार तैयार किये गये हैं और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कम्पनियों के वित्तीय विवरण तथा लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन तैयार करा) विनियम, 2002 की प्रयोजनीयता सीमा तक अनुरूप है और अन्यथा वर्णित को छोड़कर भारत में साधारण बीमा उद्योग में लागू सांविधिक प्रावधानों और व्यवहार के अनुरूप है।
- 1.2 वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए इस्टीमेट एवं पूर्वानुमान, जहाँ आवश्यक रहा, तत्काल बनाया गया। लेखा इस्टीमेट में किसी प्रकार के संशोधन को भविष्य के सापेक्ष में लिया गया।

2. शेयर होल्डर्स एवं पालिसी होल्डर्स का फंड

शेयर होल्डर्स के फंड में केपिटल, जनरल रिजर्व एवं केपिटल रिजर्व शामिल है। पालिसी होल्डर्स के फंड में तकनीकी रिजर्व तथा बकाये दावों का प्रावधान शामिल है।

3. पुनर्बीमा:

- 3.1 विदेशी बीमा कम्पनियों से 31 मार्च तक प्राप्त आवक विवरणी तथा भारतीय बीमा कम्पनियों से वर्तमान वर्ष की तृतीय तिमाही तक तथा पिछले वित्तीय वर्ष की चतुर्थ तिमाही तक के रिटर्न को लेखा में शामिल किया गया है।
- 3.2 प्रचालन कार्यालयों से प्राप्त सलाह/विवरणी के आधार पर पुनर्बीमा अर्पण किया जाता है जहां कहीं वास्तविक/पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है वहां पुनर्बीमा अर्पण, पुनर्बीमा विभाग में उपलब्ध जानकारी पर आधारित प्राक्कलन के आधार पर किया जाता है।
- 3.3 प्रत्येक तिमाही में विदेशी मुद्रा में पुनर्बीमा आय लेन देन तिमाही के आरंभ की विनिमय दर भारतीय साधारण बीमा निगम की सलाह के अनुसार परिवर्तित किए जाते हैं।
- 3.4 विदेशी मुद्रा में पुनर्बीमा की सभी परिसम्पत्तियां और देयताएं वर्ष की अंतिम तारीख की विनिमय दर भारतीय साधारण बीमा निगम की सलाह के अनुसार परिवर्तित की जाती हैं।
- 3.5 विदेशी मुद्राओं के लेन देन पर विनिमय लाभ/हानि का लेखांकन आय के रूप में किया जाता है।

4. विदेशी शाखा लेखा:

- 4.1 कम्पनी की विदेशी शाखाओं में विदेशी मुद्रा में धारित स्थायी परिसम्पत्तियों और निवेशों की लागत को अधिग्रहण वर्ष के अंत में विद्यमान दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- 4.2 उपर्युक्त 4.1 में वर्णित के अलावा परिसम्पत्तियों तथा विदेशी शाखाओं की देयताओं को वर्ष के अंत की विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- 4.3 विदेशी शाखाओं से सम्बंधित आय, लेन देन को प्रत्येक तिमाही के आरंभ में विद्यमान औसत विनिमय दर पर वर्ष के अंत में परिवर्तित किया जाता है।
- 4.4 विदेशी शाखाओं, 4.1 में वर्णित के अलावा के लेन देन पर विनिमय लाभ/हानि का लेखांकन आय के रूप में किया जाता है।

Schedule 16

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION :

- 1.1 The Balance Sheet, Profit and Loss Account and the Revenue Accounts are drawn up in accordance with the provisions of Section 11 (1) & (1A) of the Insurance Act, 1938, read with the relevant provisions of the Companies Act, 1956 . The said statements are prepared on historical cost convention, accrual basis of accounting and comply with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and conform to the statutory provisions, applicable accounting standard and practices prevailing in the general insurance industry in India except as otherwise stated.
- 1.2 For preparation of the financial statements, estimates and assumptions wherever necessary are considered on prudent basis. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively.

2 Shareholders' and Policyholders' Fund

Shareholders' fund comprises of share capital, general reserve and capital reserve. The policyholders' fund comprises of technical reserve and provision for outstanding claims.

3. RE-INSURANCE :

- 3.1 Inward returns from foreign insurance companies received upto 31st March and returns from Indian companies received upto 3rd quarter of the current year and 4th quarter of the previous year are incorporated in the accounts.
- 3.2 Re-insurance cessions is done on the basis and to the extent of advice/returns including amendments/supplements received from operating offices. Wherever full particulars are not available, cession is done on the basis of information available with the re-insurance department and/or on the basis of reasonable estimation of probable maximum loss wherever applicable.
- 3.3 Revenue transactions of each quarter in foreign currencies are converted as per the rates of exchange for such quarter as advised by General Insurance Corporation of India (GIC).
- 3.4 Assets and liabilities in foreign currencies at the end of the year are converted at the rates of exchange prevailing on that date as advised by GIC.
- 3.5 Exchange gain/loss on conversion of revenue transactions, assets and liabilities in foreign currencies are accounted for as revenue.

4. FOREIGN BRANCH ACCOUNTS :

- 4.1 The cost of fixed assets held in foreign currencies at the company's foreign branches are converted at the exchange rates prevalent at the end of the year of acquisition.
- 4.2 Assets, other than those mentioned in 4.1 above, and liabilities of the foreign branches are converted at the rates of exchange at the year-end.
- 4.3 Revenue transactions relating to foreign branches are converted at the year end at the average of the rates of exchange prevailing at the beginning of each quarter.
- 4.4 Exchange gain/loss on conversion of revenue transactions, assets and liabilities of the foreign branches other than those mentioned in 4.1 above are accounted for as revenue.

5. बकाया दावे:

5.1 दावा निम्न प्रकार से स्थापित किये जाते हैं :

(अ) भारत में प्रत्यक्ष व्यवसाय के संबंध में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त सूचना के आधार पर,

(ब) बीमा कम्पनियों/एजेंटों द्वारा पुनर्बीमा व्यवसाय के संबंध में निर्धारित तिथि तक दी गई सूचना के आधार पर,

जिन सूचित दावों से संबंधित सूचनायें उपलब्ध होती हैं वहाँ दावा देयता का निर्धारण एस्टीमेट के आधार पर किया जाता है जहाँ संबंधित सूचनायें उपलब्ध नहीं हैं वहाँ वर्तमान एवं विगत बीमालेखन अनुभव के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

5.2 बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर उपगत किन्तु सूचित नहीं दावों का प्रावधान किया जाता है।

5.3 जहाँ कम्पनी की देयता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त पालिसी विवरणों के बगैर कम्पनी को न्यायालय के सम्मन भेजे गये हैं, उन मोटर तृतीय पक्ष दावों के संबंध में विवरण रहित दावों के अनुमानित मूल्य की एक तिहाई सीमा तक का प्रावधान तथा एक वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े दावों के लिए, वर्तमान पद्धति के अनुसार, पूरा प्रावधान किया जाता है।

6. असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित :

6.1 जोखिम अपनाने के पश्चात प्रीमियम एक आय के रूप में हो जाती है क्योंकि जोखिम पद्धति समय बीतने के साथ संबंधित नहीं है। असमाप्त जोखिम की राशि नेट प्रीमियम का एक हिस्सा होती है जिसे भावी लेखा अवधि में, बीमा अधिनियम 1938 के द्वारा निर्धारित दर जो आईआरडीए के द्वारा अनुमत छूट के अधीन है, दर्शाया जाता है।

6.2 प्रीमियम में कमी के लिए रिजर्व की गणना, जहाँ अनुमानित दावा लागत, संबंधित व्यय तथा रख-रखाव लागत संबंधित अनर्जित प्रीमियम से अधिक होती है।

7. ऋण और निवेश :

7.1 निवेश की लागत में दलाली, शेयर हस्तांतरण स्टाम्प, शुल्क आदि शामिल हैं। म्युचुअल फंड निवेशों को छोड़कर प्राप्त प्रोत्साहन को लागत से घटा दिया जाता है।

7.2 निवेशों का मूल्यांकन आई.आर.डी.ए. विनियमों के अनुसार हैं जो निम्नवत हैं:-

अ) ऋण प्रतिभूति : सरकारी प्रतिभूतियां और पुनर्विमोचन योग्य अधिमान शेयर सहित ऋण प्रतिभूतियों को परिपक्वता के लिए धारित प्रतिभूति के रूप में माना जाता है और ऐतिहासिक लागत पर इन्हें मापा जाता है तथा प्रदत्त प्रीमियम को परिपक्वता की बाकी अवधि में किरत बद्ध किया जाता है।

ऋण प्रतिभूतियों के लिए ऋण परिशोधन का आधार; जहाँ फेस वैल्यू, बुक वैल्यू से कम है, हानि को शेष बची अवधि में समान रूप से विस्तारित किया जाता है।

ब) इक्विटी प्रतिभूतियां जिनका सक्रिय बाजार में व्यापार होता है : सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियाँ, जिनका व्यापार सक्रिय बाजारों में होता है, तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर मापी जाती हैं। उचित मूल्य की गणना करने के प्रयोजन से राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) या बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में अंतिम उद्धृत न्यूनतम क्लोजिंग मूल्य पर किया जाता है। सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन लेखा शीर्षक के अधीन इक्विटी में लिया गया है।

सूचीबद्ध एवं एक्टिवली ट्रेडेड इक्विटी शेयर के प्रकरण में पूँजी को हास में तब माना जाता है जब किसी

5. OUTSTANDING CLAIMS :

5.1 Claims are considered to be reported in the following manner:

- (a) in respect of direct business in India on the basis of claim intimations received upto the year end,
- (b) in respect of re-insurance business as intimated by insurance companies/agents upto cut off date.

In case of claims reported wherever supporting information are available liabilities for claims are considered on estimated basis. Wherever supporting are not available provisions are estimated on current trends and past underwriting experience.

5.2 Provisions for claims 'Incurred But Not Reported' (IBNR) are made on the basis of actuarial valuation.

5.3 Provisions in respect of motor third party claims, where court summons have been served on the company without adequate policy particulars, are made to the extent of 1/3rd of the estimated value of such unidentified claims and for claims remaining unidentified over one year, full provision is made, in accordance with the existing practice

6. RESERVE FOR UNEXPIRED RISK :

6.1 Reserves for unexpired risk is created as the amount representing that part of the net premium written which is attributable to, and to be allocated to the succeeding accounting periods and the reserves created in the preceding year is adjusted there against at the rate prescribed in the Insurance Act, 1938 subject to relaxation allowed by IRDA.

6.2 Reserve for premium deficiency is calculated and disclosed where the sum of expected claims costs, related expenses and maintenance costs exceed the related unearned premium.

7. LOANS AND INVESTMENTS :

7.1 Cost of investments includes brokerage, share transfer stamps, fees, taxes etc. Incentives received are deducted from cost.

7.2 Investments are valued as per IRDA Regulations as follows:

- (a) **Debt Securities:** Debt securities including Government securities considered as "held to maturity" securities and are measured at historical cost and the premium paid is amortized over the residual period of maturity.

The premium arises where book value (BV) of the securities is greater than its face value (FV) and the same (BV-FV) is amortized uniformly over residual life of the security.

- (b) **Equity Securities traded in active markets:** Listed equity shares which are traded in active markets are measured at Fair Value as at the Balance Sheet date. For the purpose of calculation of fair value, the market price of the actively traded securities is taken at the lower of the last quoted closing price at the National Stock Exchange (NSE) or Bombay Stock Exchange (BSE). Unrealised gain/loss arising due to changes in the fair value of listed and actively traded equity shares is taken to equity under the head "Fair Value Change Account".

In the case of listed and actively traded equity shares, capital is considered to be impaired if the break-up value of a particular security is less than its face value or where the current break-up value is not available. For this purpose the break-up value is arrived at as per the latest Balance Sheet, which should not be more than 1 (one) year prior to the date of

प्रतिभूति विशेष का विघटित मूल्य उपलब्ध मूल्य इसके अंकित मूल्य से कम हो या वर्तमान विघटित उपलब्ध न हो। इस उद्देश्य के लिए विघटित मूल्य का निर्धारण नवीनतम तुलन-पत्र, जो मूल्यांकन तिथि से एक वर्ष पूर्व से अधिक नहीं होनी चाहिए, किया जाता है।

स) गैर सूचीबद्ध और सक्रिय व्यवसाय इक्विटी प्रतिभूतियाँ आंकलन मूल्यहास के अधीन ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है::

गैर सूचीबद्ध और इक्विटी ट्रेडेड इक्विटी शेयर को छोड़कर पूँजी में हास तब माना जाता है जब लगातार तीन वर्षों तक हानि का इतिहास रहा हो या यदि पिछले तीन वर्ष का वार्षिक लेखा उपलब्ध न हो वहाँ इक्विटी शेयर को धनात्मक विघटन मूल्य तक अपलिखित किया जाता है। अन्यथा नाम मात्र मूल्य ₹1/- प्रति कम्पनी पर लिखा जाता है।

पूँजी में हास हुआ तब माना जाता है जब शेयर की ब्रेकअप वैल्यू इसके फेस वैल्यू से कम हो या जहाँ वर्तमान ब्रेकअप वैल्यू उपलब्ध नहीं है। इस उद्देश्य के लिए चालु बैलेन्सशीट के आधार पर ब्रेकअप वैल्यू निकाली जाती है, जो वैल्यूशन के एक वर्ष पूर्व से अधिक समय की नहीं होनी चाहिये।

अन्य मामलों में जहाँ विघटन मूल्य अधिग्रहणता लागत से कम है वहाँ तत्कालिक बैलेन्सशीट से एक वर्ष से अधिक के वैल्यूेशन तिथि का नहीं है लेकिन यह लगातार हानि का ऐसा कोई इतिहास नहीं है, वहाँ अधिग्रहण लागत विघटन मूल्य में अन्तर की राशि के बराबर का प्रावधान किया गया है। वहाँ विघटन मूल्य ऋणात्मक है वहाँ अधिग्रहण मूल्य और सामान्य मूल्य ₹1 प्रति कम्पनी बीच के अन्तर का प्रावधान होगा।

द) **अधिमान शेयर:** ऐसी कम्पनियों के अधिमान शेयर में निवेश का मूल्यांकन प्रीमियम परिशोधन के अधीन, यदि कोई हो, होता है। अधिमान शेयर में हास उस समय होता है जब कम्पनियाँ पूर्ववर्ती तीन लगातार वर्षों में हानि उठा रही हों या जिनकी पूँजी आंशिक/पूर्णतया हास में हों या जिनका पूर्ववर्ती तीन वर्षों का वार्षिक लेखा उपलब्ध नहीं हो। हास के प्रकरण में मूल्यांकन निम्नवत होता है:

- i) यदि किसी कम्पनी के इक्विटी शेयर का सक्रिय कारोबार है तो इसके अधिमान शेयर का अवमूल्यन इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य और बाजार मूल्य के अनुपात में होता है।
- ii) यदि किसी कम्पनी का इक्विटी शेयर सूचीबद्ध नहीं है या इसका कम कारोबार है, इसके अधिमान शेयर का अवमूल्यन इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य और विघटित मूल्य के अनुपात में होता है। जहाँ इक्विटी शेयरों का विघटन मूल्य ऋणात्मक है या जहाँ मूल्यांकन की तिथि के 1 वर्ष पूर्व की नवीनतम तुलन-पत्र पर उपलब्ध नहीं है वहाँ अधिमान शेयर नाममात्र मूल्य ₹1/- प्रति कम्पनी पर लिखा जाता है।

य) **ऋण व ऋण पत्र:** (ऋण पत्र सहित) मूल्यहास प्रावधान के अधीन ऐतिहासिक लागत पर मापे गये हैं। मूल्यहास प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थानों के लिए लागू समय समय पर जारी तय दिशा निर्देशों के अनुसार किए गए हैं।

आय मान्यता, निष्क्रिय सम्पत्तियों के लिए प्रावधान आदि के संबंध में भा रि बैंक द्वारा निर्धारित ऋणों और ऋण-पत्रों के लिए विवेकपूर्ण नियमों का कम्पनी द्वारा पालन होता है। तथापि प्रावधान करने के प्रयोजन से प्रतिभूति का मूल्य कैपिटलाइन के पास उपलब्ध नवीनतम तुलन-पत्र के अनुसार परिसम्पत्ति संरक्षण अनुपात के आधार पर ज्ञात किया जाता है। जहाँ परि-सम्पत्ति संरक्षण अनुपात एक से कम है वहाँ और असंरक्षित भाग के लिए अतिरिक्त संरक्षण दिया जाता है।

valuation. When capital is impaired and there is three years' history of continuous loss or if the published annual accounts are not available for the last three years, equity shares are valued at lower of cost or market value.

- (c) **Unlisted and other than actively traded Equity Securities:** These are measured at historical cost subject to impairment.

In the case of unlisted and other than actively traded equity shares when capital is impaired and there is three years history of continuous loss or if the annual accounts are not available for last three years such equity share are written down to the break-up value where it is positive otherwise to a nominal value of ₹1/- per Company.

Capital is considered to be impaired if the break-up value of share is less than its face value or where the current break-up value is not available. For this purpose the break-up value is arrived at as per the latest balance sheet, which should not be more than one year prior to the date of valuation.

In other cases where break-up value is less than acquisition cost or unavailable as per latest balance sheet not more than one year prior to date of valuation but there is no such history of continuous losses, provision is made equivalent to the difference in acquisition cost and the break-up value of the share. When the break-up value is negative, provision shall be difference between the acquisition cost and a nominal value of ₹1/- per company.

- (d) **Preference Shares:** Preference Shares is valued at cost subject to amortization of premium, Impairment in Preference Shares is recognized where the Company is making losses continuously for the three immediately preceding years and whose capital is eroded or where the annual accounts for three immediately preceding years are not available. In case of impairment it is valued as under:

- i) If the equity shares of the Company are actively traded, its preference shares are written down to a value, which is in the same proportion that the market value of the equity share bears to its face value.
- ii) If the equity shares of the Company are unlisted/thinly traded, its preference shares are written down to a value, which is in the same proportion that the break up value of equity share bears to its face value. Where the break up value of equity shares is negative or where the latest published annual accounts is not available one year prior to the date of valuation, the preference shares are written down to a nominal value of ₹1/- per Company.

- (e) **Loans and Debentures:** Loans (including Debentures) are measured at historical cost subject to impairment provision. The impairment provision is done on the basis of guidelines prescribed by IRDA.

Prudential norms for loans and debentures, as prescribed by IRDA regarding recognition of income, provisioning for non-performing assets etc., are followed by the Company. Further the value of security is also ascertained based on asset coverage ratio as per latest available published annual accounts with 'Capitaline'. Where asset coverage ratio is less than one, additional coverage is provided for the uncovered portion.

- र) अल्पकालिक मुद्रा बाजार लिखत जैसे जमा प्रमाण पत्र और व्यापारिक दस्तावेज, जिन्हें सहमत दर पर संविदा के समय घटाया जाता है, का लेखांकन उनके घटाए गए मूल्य पर होता है।
- ल) निवेश ह्रास का आंकलन तुलन पत्र की तिथि पर किया जाता है तथा लाभ एवं हानि को लेखा में व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।
- 7.3. अ) लाभांश घोषित होनेवाले वर्ष में ही लेखांकित किए जाते हैं चाहे उसी वर्ष में प्राप्त नहीं हों।
- ब) जो शेयर कम्पनी के नाम में अंतरित नहीं हुआ है उनका लाभांश वसूली होने पर लेखांकित होता है।
- 7.4. जहाँ शेयरों/ऋणपत्रों की खरीद की संविदा बनायी जाय किन्तु शेयर/ऋणपत्र प्रमाणपत्रों की सुपुर्दगी नहीं हुई हो तो उसका लेखांकन निवेश के रूप में होता है। यदि इन शेयरों की खरीद के तत्काल बाद सुपुर्दगी लम्बित रहने के दौरान लाभांश घोषित होता है तो शेयर के मूल्य से लाभांश की राशि घट जाती है।
- 7.5. जहाँ बोनस शेयर प्राप्त हुए हों वहाँ बही मूल्य को प्रभावित किए बिना शेयरों की संख्या दर्ज है।
- 7.6. म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन शुद्ध संपत्ति मूल्य पर है और अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन लेखा में मान्यता है।
- 7.7. निवेश सम्पत्ति: भूसम्पत्ति का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत से मूल्यह्रास घटाकर किया जाता है।
- 7.8. ब्याज, लाभांश तथा भाड़े की शुद्ध आय तथा निवेशों की बिक्री/वसूली से हुई लाभ/हानि को वर्ष के आरम्भ में पालिसीधारकों के कोष और शेयरधारकों के कोष के अनुपात में आय लेखा (पालिसीधारकों का लेखा) और लाभ व हानि लेखा (शेयरधारकों का लेखा) के बीच बांट दिया जाता है।
- 8. प्रबंधन खर्च/प्रचालन खर्च**
- लाभ और हानि लेखा में प्रभारित व्ययों को छोड़कर अन्य प्रबंधन खर्च, समुद्री कारोबार के लिए 75% तथा अग्नि और विविध कारोबार के लिए 100% महत्व देते हुए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम तथा स्वीकृत पुनर्बीमा के योग के आधार पर आय लेखा में संविभाजित किये जाते हैं।
- 9. स्थायी परिसंपत्तियां एवं मूल्यह्रास**
- अ) स्थायी परिसम्पत्तियों की लागत संचयी मूल्यह्रास घटाकर की जाती है।
- ब) स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास आयकर नियम 1962 के प्रावधान के अनुसार प्रभारित किया जाता है। जहाँ कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसूची XIV में निर्धारित मूल्य ह्रास की दर अधिक हैं उन्हें लिया जाता है।
- स) पट्टाधारित सम्पत्ति का परिशोधन पट्टा अवधि के अनुसार किया जाता है।
- 10. कर्मचारी सुविधा :**
- अनुग्रही राशि, पेंशन, एवं अवकाश नकदीकरण, बीमारी अवकाश एवं एलटीएस का प्रावधान लेखामानकों (एएस 15) व कर्मचारी सहायता (संशोधित 2005) के अनुसार बीमांकक मूल्यों के आधार पर किया गया है।

- (f) Short Term Money Market Instruments: Short Term Money Market Instruments such as Certificates of Deposit and Commercial Papers, which are discounted at the time of contract at the agreed rate, are accounted for at their discounted value.
 - (g) Impairment in value of investments is assessed as at the Balance Sheet date and is recognized as an expense in the Profit and Loss Account.
- 7.3 (a) Dividend is accounted for in the year in which right to receive is established.
- (b) Dividend, on shares which are not transferred in the company's name, is accounted for on realization.
- 7.4 Where contracts of purchase of shares/debentures are made but delivery/registration of certificates is pending, the same are accounted for as investments. If dividend is declared on such shares during the pendency of delivery immediately after purchase, the cost of shares is reduced by the amount of such dividend.
- 7.5 Where bonus shares are received, the number of shares is recorded as an increase without affecting the book value.
- 7.6 Investment in units of Mutual Fund is valued on Net Assets Value (NAV) basis and unrealized gain/loss is recognized in 'Fair Value Change Account'.
- 7.7 Investment Properties - Real Estates are valued at historical cost less depreciation and impairment loss.
- 7.8 Interest, dividend and rent income, net of expenses and profit/loss on sale/realisation of investments, are apportioned between Revenue Accounts (Policyholders' Account) and Profit and Loss Account (Shareholders' account) in the ratio of policyholders' fund and shareholders' fund balances at the beginning of the year.

8. EXPENSES OF MANAGEMENT/OPERATING EXPENSES

Expenses of Management, other than those charged to Profit and Loss Account, are apportioned to the Revenue Accounts on the basis of Gross Direct Premium plus Reinsurance Acceptance Premium giving weightage of 75% for Marine business and 100% for Fire and Miscellaneous business.

9. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

- (a) Fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation.
- (b) Depreciation on fixed assets is charged on written down value method as per the provisions (including rates) of Income-tax Rules, 1962. Wherever the rates of depreciation prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 is higher, same is adopted. In respect of foreign, branches accounting of fixed assets and depreciation is done as per local laws.
- (c) In case of leasehold properties, lease premium is amortised over the lease period.

10. EMPLOYEES' BENEFITS

Provision for gratuity, pension, leave encashment, sick leave and leave travel subsidy is made on actuarial valuation in accordance with Accounting Standard 15 (Revised 2005), on Employee Benefits.

11. परिसम्पत्तियों का मूल्यहास :

यदि मूल्य हास के कारण हानि की स्थिति में उस संपत्ति के वसूली योग्य राशि को अनुमानित किया जाता है तथा मूल्यहास हानि को दर्ज किया जाता है, यदि उस सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य उनके वसूली योग्य मूल्य से बढ़ जाता है ।

12. सेगमेंट रिपोर्टिंग :

सेगमेंट रिपोर्टिंग के उद्देश्य से सेगमेंट को आईआरडीए (बीमा कम्पनियों की वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षण रिपोर्ट तैयार करना) रेग्यूलेशन 2002 द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार विभक्त किया गया है।

13. अनिश्चित देयताएं एवं अनिश्चित परिसम्पत्तियां:

पिछले अवसरों के परिणाम के आधार पर अनिश्चित देयताओं को स्वीकार करने का प्रावधान किया जाता है तथा आब्लिगेशन को सेटिल करने में संसाधनों के आउटफ्लो की संभाव्यता आवयक होगी अनिश्चित परिसम्पत्तियों को लेखा में नहीं रखा गया है।

14. आयकर प्रावधान में प्रभारित को वसूल किये गये वर्तमान कर एवं आस्थगित कर शामिल होते हैं आस्थगित कर, पुडेन्ट्स पर विचार, समय में भिन्नता, जो भिन्नता टेक्सेवल एवं लेखा आय/व्यय में है, वह एक अवधि में प्रारम्भ होती है तथा एक या अधिक अवधि में उत्क्रमण में सक्षम होती है। आस्थगित कर को स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि यह निश्चित न हो कि पर्याप्त भावी कर करयोग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रतिकूल आस्थगित कर को स्वीकार किया जायेगा।

15. अन्य :

15.1. कर वापसी पर ब्याज का लेखांकन आयकर प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के आधार पर किया जाता है।

15.2. साल्वेज वसूलियों का लेखांकन मिल जाने पर होता है तथा दावा लेखा में जमा होता है।

कृते निदेशक मंडल

गुहा नंदी एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजी.सं. 302039E	एम. सी. भंडारी एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजी.सं. 303002E	एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद कुलदीप सिंह	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक निदेशक
(डॉ. बी. एस. कुण्डू) भागीदार सदस्यता संख्या 051221	(नीरज जैन) भागीदार सदस्यता संख्या 064393	ए. वी. गिरिजा कुमार रीना माडिया	निदेशक उप कम्पनी सचिव

कैम्प. दिल्ली, 22 मई, 2013

11. IMPAIRMENT OF ASSETS

Loss on account of impairment is recognized when any indication about realizable value of an asset is observed to be less than its carrying cost.

12. SEGMENTAL REPORTING

For the purpose of segmental reporting segments have been classified as per directives given in The Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002.

13. CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS

Provision against contingent liabilities is recognized when there is a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation. Contingent assets are not recognized in the accounts.

14. TAXATION

Provision for income tax comprises of current tax and deferred tax charged or realized. Deferred tax is recognized, subject to the consideration of prudence, on timing differences, being the differences between taxable and accounting income / expenditure that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent period(s). Deferred tax asset is not recognized unless there is virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

15. OTHERS

15.1 Interest on tax refunds is accounted for on the basis of orders passed by the Tax authorities.

15.2 Salvage recoveries are accounted for on realization and credited to claims account.

For and on behalf of the Board of Directors

For, GUHANANDI & CO. Chartered Accountants FRN 302039E	For, M C Bhandari & CO. Chartered Accountants FRN 303002E	N. S. R. Chandraprasad Kuldip Singh	Chairman-cum-Managing Director Director
(Dr. B. S. Kundu) Partner Membership No. 051221	(Neeraj. Jain) Partner Membership No. 064393	A. V. Girija Kumar Rina Madia	Director Dy. Company Secretary

Camp. Delhi, the 22nd day of May 2013

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची 17

लेखा के अंगीभूत टिप्पणियाँ

1. प्रासंगिक देयता निम्नवत है :

- क) आंशिक रूप से चुकता शेयरों में ₹4181 हजार (₹4181 हजार)
- ख) कंपनी के खिलाफ अन्य दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं या विवादास्पद हैं ₹231938 हजार (₹128091 हजार)।
- ग) विवादित आय कर ₹867732 हजार (₹169666 हजार)।
- घ) विवादित सेवा कर ₹361118 हजार (₹361118 हजार)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धता निम्नलिखित के लिए -

- क) ऋण और निवेश ₹85586 हजार (₹50796 हजार)
- ख) स्थायी सम्पत्तियां ₹236108 हजार (₹28409 हजार)
- ग) आईटी समर्थ बिजनेस प्रासेस रि इंजीनियरिंग (ईएएसआई) ₹3073400 हजार (₹3321500 हजार)।

3. क) पुनर्बीमा घटाकर दावे

		(₹ हजार में)			
	प्रदत्त	अग्नि	समुद्री	विविध	कुल
i)	भारत में दावाकर्ताओं को	2896524 (1938038)	984899 (1042484)	49861161 (52282707)	53742584 (55263229)
ii)	भारत से बाहर के दावाकर्ताओं को	10268 (77)	17504 (26272)	73094 (33423)	100866 (59772)
ख) <u>पुनर्बीमा घटाकर प्रीमियम</u>					
		अग्नि	समुद्री	विविध	कुल
i)	भारत में व्यवसाय से	6903129 (5713966)	1870575 (1991260)	70585921 (61646574)	79359625 (69351800)
ii)	भारत से बाहर व्यवसाय से	56223 (39107)	33312 (22048)	119985 (115532)	209520 (176687)

Schedules forming part of Financial Statements

Schedule – 17

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. There are Contingent Liabilities as under:

- (a) Uncalled amount on partly paid shares ₹4181 thousand (₹4181 thousand)
- (b) Claims against the company not acknowledged as debts or under dispute ₹ 231938 thousand (₹ 128091 thousand)
- (c) Disputed Income Tax of ₹867732 thousand (₹169666 thousand),
- (d) Disputed Service Tax of ₹361118 thousand (₹361118 thousand)

2. Capital commitments remaining outstanding are:

- (a) Loans and Investments ₹85586 thousand (₹50796 thousand)
- (b) Fixed assets ₹236108 thousand (₹28409 thousand)
- (c) IT enabled Business Process Re-engineering (EASI) ₹3073400 thousand (₹3321500 thousand).

3. (a) Claims, less reinsurance :

		(₹ in thousand)			
<u>Paid to</u>	<u>Fire</u>	<u>Marine</u>	<u>Miscellaneous</u>	<u>Total</u>	
i) Claimants in India	2896524	984899	49861161	53742584	
	(1938038)	(1042484)	(52282707)	(55263229)	
ii) Claimants outside India	10268	17504	73094	100866	
	(77)	(26272)	(33423)	(59772)	
 (b) <u>Premiums, less reinsurance</u>					
	<u>Fire</u>	<u>Marine</u>	<u>Miscellaneous</u>	<u>Total</u>	
i) in India	6903129	1870575	70585921	79359625	
	(5713966)	(1991260)	(61646574)	(69351800)	
ii) outside India	56223	33312	119985	209520	
	(39107)	(22048)	(115532)	(176687)	

4. बकाया दावों की अवधि (भारतीय सकल व्यवसाय पर) निम्नवत है-

	छह माह से कम	छह माह से अधिक	(₹ हजार में) कुल
अग्नि	2826936 (3332396)	4357654 (4352744)	7184590 (7685140)
समुद्री	1888081 (970549)	1995018 (1430695)	3883099 (2401244)
विविध	13047985 (11179139)	28882525 (28128409)	41930510 (39307548)

5. (क) आईआरडीए द्वारा निर्धारित लेखांकन विनियमों का पालन करने के क्रम में विदेशी विनिमय और व्युत्पन्न साधनों को छोड़कर सूचीबद्ध इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फण्ड के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण हुये ₹70602948 हजार (₹71621449 हजार) के गैर वसूल लाभ (शुद्ध) को उचित मूल्य परिवर्तन लेखा शीर्षक में लिया गया है। उन निवेशों की ऐतिहासिक लागत ₹31682208 हजार (₹34713401 हजार) है। उचित मूल्य लेखा परिवर्तन के जमा शेष की लंबित वसूली वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकित बाजार मूल्य एवं ऐतिहासिक लागत का विवरण निम्नत है :

(₹ हजार में)

	बाजार मूल्य	ऐतिहासिक लागत	उचित मूल्य परिवर्तन लेखा (अपुष्ट लाभ)
पीएसयू का इक्विटी शेयर	12877200 (14338245)	12941602 (11952867)	(64402) (2385377)
पीएसयू के अलावा भारतीय कम्पनियों का इक्विटी शेयर	89192229 (86818808)	18525106 (17586510)	70667123 (69232298)
म्यूचुअल फण्ड	215727 (5177774)	215500 (5174000)	227 (3774)
कुल	102285156 (106334826)	31682208 (34713377)	70602948 (71621449)

- (ख) भारत के बाहर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध इक्विटी शेयर जिनकी बुक वैल्यू ₹43615 हजार (₹43615 हजार) है तथा जिनके लिये समूचित रूप से मार्केट वैल्यू उपलब्ध नहीं है। उन्हे 'फेयर वैल्यू चेंज एकाउन्ट' के उद्देश्य से लेखा में नही लिया गया है, उन्हें बुक वैल्यू रूप में लिया गया है।

6. सुरक्षित ऋणों के सभी मामलों में प्रतिभूतियों की प्रकृति निम्नलिखित है (अनुसूची 9 का संदर्भ लें)

- क) कर्जदार की सभी स्थायी सम्पत्तियों, वर्तमान और भविष्य दोनों, का कंपनी के पक्ष में प्रथम बंधक और प्रभार, तथा

4. Ageing of claims outstanding of Indian gross business:

	(₹ in thousand)		
	<u>Less than six months</u>	<u>Six months and more</u>	<u>Total</u>
Fire	2826936 (3332396)	4357654 (4352744)	7184590 (7685140)
Marine	1888081 (970549)	1995018 (1430695)	3883099 (2401244)
Miscellaneous	13047985 (11179139)	28882525 (28128409)	41930510 (39307548)

5. (a) In accordance with the regulations prescribed by IRDA, unrealized gains (net) amounting to ₹70602948 thousand (₹71621449 thousand), arising due to changes in the Fair Value of listed equity shares and mutual funds (excepting equities listed in stock exchanges outside India and thinly traded equity shares), are taken to 'Fair Value Change Account'. The historical cost of such investments amounted to ₹31682208 thousand (₹34713401 thousand). Pending realization, the credit balance in the Fair Value Change Account is not available for distribution.

Break-up of Market Value and Historical Cost which have been valued on fair value basis is as follows:

(₹ in thousand)

	Market Value	Historical Cost	Fair Value Change Amount (Unrealised Gain/Loss)
Equity Shares of PSU	12877200 (14338245)	12941602 (11952867)	(64402) (2385377)
Equity Shares of Indian Companies other than PSUs	89192229 (86818808)	18525106 (17586510)	70667123 (69232298)
Mutual Fund	215727 (5177774)	215500 (5174000)	227 (3774)
Total	102285156 (106334826)	31682208 (34713377)	70602948 (71621449)

- (b) Equity shares listed in Stock Exchange outside India having book value of ₹43615 thousand (₹43615 thousand) for which market value is not authentically available have not been taken into account for the purpose of "Fair Value Change Account" and have been taken at book value.
6. The nature of securities in respect of secured loans (referred to in Schedule 9) is:
- (a) first mortgage and charge of borrowers' all immovable properties, both present and future, and

- ख) बही ऋण सहित कर्जदार की सभी चल सम्पत्ति, सभी चल सामग्री और ऐसे अन्य चल सामान जिनके बारे में दूसरे ऋण दाता/वित्तीय संस्थान सहमत हों का कंपनी के पक्ष में गिरवी रखते हुये प्रथम बंधक।
बशर्ते उपर्युक्त संदर्भित प्रतिभूति का मूल्य ऋण के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय ऋण राशि के 1.25 गुना से कम नहीं होगा।
बंधक और प्रभार सभी ऋण दाता/वित्तीय संस्थानों के पक्ष में बंधक तथा निर्धारित और या निर्धारित होनेवाले प्रभार बराबर बराबर होंगे।
मूल प्रतिभूति दस्तावेज लीड संस्थान स्तर पर रखे जाते हैं तथा संरक्षण की सीमा सावधि ऋण के बारे में तथा ऋण पत्रों के मामले में ऋण पत्र न्यासी स्तर से ज्ञात किया जा सकता है।
7. क) पिछले वर्षों के विपरीत कुछ अचल सम्पत्तियों में स्वामित्व के रूप में कंपनी द्वारा धारित ₹1888 हजार (₹1888 हजार) के इक्विटी शेयरों में निवेश को निवेश सम्पत्ति मू सम्पदा (अनुसूची 8) के अधीन दिखाया गया है।
ख) स्वतन्त्र मूल्यांकन कर्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कुल फेयर वैल्यु ₹235336 हजार (₹235336 हजार) का कंपनी द्वारा भाड़े पर दिये गये भाग की भूसम्पदा का उचित मूल्य ₹117929 हजार (₹117929 हजार) है। इस प्रकार के भूसम्पदा को अनुपातिक लागत निवेश प्रापटी अनुसूचि 8 में दर्शाया गया है।
8. क) कंपनी के धारण और स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इन्डिया के धारण प्रमाण पत्र के बीच रिकन्सिलियेशन पर कमी/नोटिस की गई। कमी के लिए पूरा प्रावधान किया गया।
ख) ऋणपत्र धारण में शामिल है ₹48837 हजार (₹48837 हजार) जिसके लिए कंपनी के पास आबंटन पत्र है: सम्बन्धित कंपनी से प्रमाणपत्र मिलना बाकी है।
9. क) ऋण / अन्य कुल सम्पत्तियों की राशि सीडीआर एवं सीडीआर के अतिरिक्त वर्ष के दौरान पुर्नगठन के अधीन निम्नवत है:

सीडीआर केसेस

(₹ हजार में)

		मियादी ऋण	ऋण-पत्र	इकुईटी	अधिमान शेयर	योग
अ) मानक सम्पत्ति	चालू वर्ष	25573	-	268	-	25841
	विगत वर्ष	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ब) उप मानक सम्पत्ति	चालू वर्ष	-	-	-	-	-
	विगत वर्ष	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
स) संदिग्ध सम्पत्ति	चालू वर्ष	-	-	-	-	-
	विगत वर्ष	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
द) हानि सम्पत्ति	चालू वर्ष	9000	300	191	-	9191
	विगत वर्ष	(2670)	(300)	(-)	(1900)	4870
योग	चालू वर्ष	34573	-	459	-	35032
	विगत वर्ष	(2670)	(300)	(-)	(1900)	(4870)

- (b) first mortgage by way of hypothecation of borrowers' all movables including book debts, all movable articles and such other movables as may be agreed to by other lending/financial institutions.

However the value of securities referred to herein above at any time during the pendency of the loan is not less than 1.25 times of the loan amount outstanding.

Mortgages and charges referred to above ranks pari-passu with the mortgages and charges and/or to be created in favour of all lending/financial Institutions.

Original security documents are retained at lead institutions level and the extent of coverage on any particular are ascertainable at the Lead Institution level in case of Term Loans and Debenture Trustee level in case of debentures.

7. (a) Investments in Equity Shares of ₹1888 thousand (₹1888 thousand) held by the Company against ownership of certain immovable properties have been included under 'Investment Properties - Real Estate' in Schedule 8.
- (b) As per valuation report of independent approved valuer out of aggregate fair value of ₹235336 thousand (₹235336 thousand) proportionate fair value of real estate occupied by tenants is ₹117929 thousand (₹117929 thousand). Proportionate cost of such real estate is shown under Investment Properties (Schedule-8).
8. (a) Shortages/Excesses have been noticed on reconciliation between the Company's holding and holding certificate from Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL). Full provision has been made against shortages.
- (b) Investment in Debentures includes ₹48837 thousand (₹48837 thousand) against which though the Company holds Allotment Letters, certificates have not been received although a long time has passed.
9. (a) Total amount of Loan/ other Assets subjected to restructuring during the year under CDR and other than CDR is given below:

CDR Cases

(₹ in thousand)

		TERM LOAN	DEBENTURE	EQUITY	PREFERENCE SHARES	TOTAL
a) Standard Assets	Current Year	25573	-	268	-	25841
	Previous Year	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
b) Substandard Assets	Current Year	-	-	-	-	-
	Previous Year	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
c) Doubtful Assets	Current Year	-	-	-	-	-
	Previous Year	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
d) Loss Assets	Current Year	9000	300	191	-	9191
	Previous Year	(2670)	(300)	(-)	(1900)	4870
Total:	Current Year	34573	-	459	-	35032
	Previous Year	(2670)	(300)	(-)	(1900)	(4870)

सीडीआर के अतिरिक्त

(₹ हजार में)

		मियादी ऋण	ऋण-पत्र	इकुईटी	अधिमान शेयर	योग
अ) मानक सम्पत्ति	चालू वर्ष	25573	-	268	-	25841
	विगत वर्ष	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ब) हानि सम्पत्ति	चालू वर्ष	9000	300	191	-	9191
	विगत वर्ष	(2670)	(300)	(-)	(1900)	4870
योग	चालू वर्ष	34573	-	459	-	35032
	विगत वर्ष	(2670)	(300)	(-)	(1900)	(4870)

(ख) सक्रिय और निष्क्रिय के रूप में निवेशों का पृथक्करण निम्नवत है ।

i) सक्रिय निवेश	₹41350805 हजार	(₹30705970 हजार)
ii) निष्क्रिय निवेश	₹575802 हजार	(₹639375 हजार)
कुल बही मूल्य	₹41926607 हजार	(₹31345345 हजार)

(ग) ऋणों और ऋण-पत्रों पर कुल बकाया ब्याज 31.03.2013 तक ₹2267831 हजार (₹2190166 हजार) रहा।

10. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 में हुए संशोधन के पश्चात कम्पनी के कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी देयता में ₹404596 हजार करोड़ की अतिरिक्त बढ़ोत्तरी हुई जो बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र सं.आईआरडीए/एफ एंड ए/सीआईआर/अधि/069/04/2011 दिनांक 18.04.2011 के अनुसार कंपनी द्वारा ग्रेच्युटी के रूप में अतिरिक्त देयता का भुगतान करने के लिए पाँच वर्षों से अधिक की अवधि, जो वर्ष 2010-11 से प्रारम्भ होती है, का विकल्प कम्पनी के पास उपलब्ध है। तदनुसार शेष राशि ₹242758 हजार में से खर्च न हुई राशि ₹80919 हजार वर्तमान वर्ष में वसूल की जानी है तथा शेष राशि ₹161839 हजार को अग्रेषित किया गया। कंपनी ने वर्तमान वर्ष में पूरी राशि ₹242758 हजार एबजर्व किया। यदि व्यय-लाभ वसूली में वर्तमान वर्ष में परिवर्तन न हुआ होता तो यह बढ़कर ₹161839 हजार होगी।
11. इंडियन मोटर थर्ड पार्टी पूल को 31.03.2012 से समाप्त किये जाने के आदेश आईआरडीए/एफएन्डए/आदेश/एमटीपीपी/070/03-2012 दिनांक 22.03.2012 जो आईआरडीए द्वारा जारी किया गया था, के अनुसरण में कंपनी ने वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 से संबंधित ₹1,49,57,368 हजार की राशि की एकचूरियाली निर्धारित देयता को स्ट्रेट लाइन बेसिस पर 3 वर्ष से अधिक, जो वर्ष 2011-12 से प्रारंभ होता है, के लिये व्यय के रूप में रिकग्नाइज किया। कंपनी ने अन्डरराइटिंग वर्ष 2011-12 से संबंधित अर्जित प्रीमियम पर 50 प्रतिशत हानि जो अन्य समायोजन के साथ ₹45,48,320 होती है, को ट्रान्जिशनल देयता के रूप में चिन्हित किया। तदनुसार कंपनी को वर्तमान वर्ष में ₹95,34,109 हजार एबजर्व करने की आवश्यकता है तथा अतिरिक्त ₹49,85,789 हजार में से ₹34,85,789 जो वर्ष 2013-14 में अग्रेषित किया जायेगा। इस प्रकार वर्तमान वर्ष में कुल स्वीकृत दायित्व ₹1,30,19,898 हजार (₹82,81,926 हजार) तथा व राशि जो वर्ष के अन्त तक रिकग्नाइज न होने वाली राशि ₹15,00,000 हजार (₹99,71,578 हजार) है। यदि व्यय लाभ वसूली में वर्तमान वर्ष में परिवर्तन न हुआ होता तो यह बढ़कर ₹34,85,789 हजार होता।

Other than CDR Cases

(₹ in thousand)

		TERM LOAN	DEBENTURE	EQUITY	PREFERENCE SHARES	TOTAL
a) Standard Assets	Current Year	-	-	-	-	-
	Previous Year	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
b) Loss Assets	Current Year	7500	11833	-	-	19333
	Previous Year	(22000)	(5206)	(-)	(-)	(27206)
Total:	Current Year	7500	11833	-	-	19333
	Previous Year	(22000)	(5206)	(-)	(-)	(27206)

(b) Segregation of loans and investments into performing and non-performing asset is given below:

i) Performing	₹41350805 thousand (₹30705970 thousand)
ii) Non-performing	₹575802 thousand (₹639375 thousand)
Total book value	₹41926607 thousand (₹31345345 thousand)

(c) Accumulated overdue interest on loans and debentures considered NPA up to 31.03.2013 ₹2267831 thousand (₹2190166 thousand).

10. In respect of additional gratuity liability of ₹404596 thousand arising in the year 2010-11 pursuant to amendment of Payment of Gratuity Act, 1972, the Company had in terms of Circular No. IRDA/F&A/CIR/ACT/069/04/2011 dated 18-04-2011 issued by the Insurance Regulatory and Development Authority exercised the option to amortize the additional liability equally over a period of five years starting from financial year 2010-11. Accordingly out of the balance amount of ₹242758 thousand remaining unabsorbed ₹80919 thousand is chargeable in the current year and balance to be carried forward is ₹161839 thousand. The Company however absorbed the full amount of ₹242758 thousand in the current year. Had there been no such change in charging of the expenses profit of the year would have increased by ₹161839 thousand.
11. Upon dismantle of the Indian Motor Third Party Insurance Pool (IMTPIP) w.e.f. 31.03.2012 the Company had in terms of Order No. IRDA/F&A/ORD/MTPP/070/03-2012 dated 22.03.2012 issued by the Insurance Regulatory and Development Authority exercised the option of recognizing the actuarially determined transitional liabilities (IBNR) relating to the years 2010-11 and 2011-12 amounting to ₹14957368 thousand as an expense on a straight-line basis over three years beginning from the year 2011-12. The Company has identified further transitional liability based on ultimate loss on 50% of premium earned during the year relating to under writing year 2011-12 which together with other adjustments stand at ₹4548320 thousand. Accordingly during the year the Company is required to absorb ₹9534109 thousand and entitled to carry forward the balance ₹4985789 thousand to be absorbed in the following year. During the year the Company has absorbed the said amount of ₹9534109 thousand and additionally ₹3485789 thousand out of ₹4985789 thousand entitled to be carried forward in the year 2013-14. The amount of total liabilities thus recognized in the current year is ₹13019898 thousand (₹8281926 thousand) and the amount that remains unrecognized at the end of the year is ₹1500000 thousand (₹9971578 thousand). Had there been no such change in charging of expenses, profit of the year would have been higher by ₹3485789 thousand.

12. (क) स्थायी सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास निम्नलिखित दर से प्रावधानित है -

(1) कार्यालय उपकरण, एयरकंडीशनर, जनरेटर	-	15.00%
(2) कंप्यूटर और आईटी उपकरण	-	60.00%
(3) पंखा और बिजली के सामान	-	13.91%
(4) सामान्य फर्नीचर	-	18.10%
(5) मोटर कार	-	25.89%
(6) साईकल	-	20.00%
(7) भवन का प्रयोग	(i) कार्यालय परिसर के रूप में	- 10.00%
	(ii) आवास के रूप में	- 5.00%

(ख) स्थायी सम्पत्ति के अधीन भारत में जमीन और मकान सम्पत्ति (अनुसूची-10) में ₹100409 हजार (₹47585 हजार) शामिल है जिसका पंजीकरण कराना लंबित है। स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण खर्च रजिस्ट्री विलेख निष्पादित होने के वर्ष में लेखा में लिया जायेगा।

(ग) मासिक किराये पर ली गई अथवा दी गई परिसम्पत्ति आपसी सहमति के आधार पर प्रचालन लीज नवीकरण/निरस्तीकरण की प्रकृति की है। लीज व्यक्तिगत एग्रीमेंट के आधार पर है जो प्रेमिसेज टीनेंसी अधिनियम के अंतर्गत आता है। (परिसर किरायेदारी अधिनियम)

13. बीमा/पुनर्बीमा कंपनियों पर देय राशि में अंतर एवं बीमा/पुनर्बीमा कंपनियों से वसूल की जाने वाली बकाया राशि बीमा/पुनर्बीमा कंपनियों पर देय राशि और/या संबंधित पुनर्बीमा कंपनियों के कंफरमेशन के अधीन है। दीर्घ अवधि से लंबित राशि के लिए समुचित प्रावधान किया गया है।

14. (क) एजेन्ट बैलेन्स, ऋण एवं अग्रिम, अन्तःकार्यालय समायोजन, अन्य व्यक्तियों संस्थाओं से/को दये/बकाया राशि जो बीमा व्यवसाय का कार्य कर रहे हैं, उल्लिखित बैंक डेबिट एवं क्रेडिट, सन्डरी डेबिटर्स इत्यादि के संबन्ध में शेष का सुनिश्चितीकरण नहीं प्राप्त हुआ। तथापि बैंक मिलान प्रगति पर है। समायोजन का प्रवाह, यदि कोई है, जो रिकनसिलिएशन में पाया जाता है, प्रबंधन के अनुसार प्रभावशाली नहीं है।

(ख) कंपनी के विभिन्न सीएमएस बैंक खातों में ₹60,800 हजार का डेबिट तथा ₹1,96,000 हजार क्रेडिट के रूप में अचिन्हित है जो रिकनसिलिएशन की प्रक्रिया में है। इस लम्बित रिकनसिलियेशन के ₹60,800 हजार के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इन खातों के रिकनसिलियेशन के दौरान ₹30,000 हजार का चेक, जो वर्ष के दौरान जमा किया गया था परन्तु अनाधृत हो गया, भी दिया गया है।

(ग) कंपनी के अचिन्हित एवं अनलिंकड डेबिट एवं क्रेडिट एन्ट्रीज जो कंपनी के सभी बैंक खातों में पायी गयी, को सस्पेन्स एकाउन्ट में स्थानान्तरित कर दिया। वर्ष के अंत में सस्पेन्स एकाउन्ट की कुल राशि ₹1,43,000 हजार (₹4,80,712 हजार) है जो रिकनसिलियेशन की प्रक्रिया में है।

- 12 (a) Depreciation on Fixed Assets have been provided on Written Down Value method at the following rates:
- | | | |
|--|-----|--------|
| (1) Office Equipments, Air-conditioner, Generators | ... | 15.00% |
| (2) Computer and I.T. Equipments | ... | 60.00% |
| (3) Fans & Electrical Equipments | ... | 13.91% |
| (4) General Furniture | ... | 18.10% |
| (5) Motor Cars | ... | 25.89% |
| (6) Cycle | ... | 20.00% |
| (7) Buildings used as – (i) Office Premises | ... | 10.00% |
| (ii) Residential Houses | ... | 5.00% |
- (b) Land and House property in India under fixed assets (Schedule - 10) includes ₹100409 thousand (₹47585 thousand) for which executions of deed of conveyance are pending. Stamp duty and registration cost will be taken into account in the year of execution of conveyance deeds.
- (c) Properties occupied on monthly rental basis or given on monthly rental are in the nature of operating leases renewable / cancellable at mutual consent. Lease terms are based on individual agreements which fall under Premises Tenancy Act.
13. Outstanding balances in "Amount Due from Insurance/Reinsurance Companies" are subject to reconciliation with the outstanding balances in "Amount Due to Insurance/Reinsurance Companies" and also subject to confirmations from the respective insurance/reinsurance companies. Adequate provision is held against long outstanding "due from" items.
14. (a) Confirmation of balances in respect of Agents' Balances, Loans and Advances, Inter Office Adjustments, Amount due from/to other persons or bodies carrying on Insurance Business, Unexplained Bank Debit and Credit, Sundry Debtors, Sundry Creditors etc. could not be obtained. However, reconciliation thereof are in progress. Impact of adjustments, if any, that may arise on reconciliation, in the opinion of management, would not be material.
- (b) There exist certain debits of ₹60800 thousand and credits of ₹196000 thousand in various CMS bank accounts of the company, which are unidentified/unlinked and in the process of reconciliation. Pending such reconciliation a provision of ₹60800 thousand has been made in the accounts as an abundant caution. During the course of reconciliation of these accounts, cheques worth ₹30000 thousand, though deposited during the year but subsequently dishonoured, have also been provided.
- (c) The company transfers unidentified and unlinked debit and credit entries found in all of the bank accounts (CMS accounts up to 31.3.2013 only) of the company into suspense account. The closing balance in suspense account at the end of the year (net credit) amounting to ₹143000 thousand (₹480712 thousand) which is under the process of reconciliation.

15. (क) कम्पनी ने 27.12.2006 को अपनी शाखा के समस्त प्रचालन सम्पत्ति तथा देयताओं को उनके तत्कालीन मूल्य के आधार पर स्थानान्तरित करने के लिए न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी के साथ समझौता किया। व्यवसाय स्थानान्तरण के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। वर्तमान व्यवस्था को जारी रखा जायेगा एवं बकाया देयता के पूर्ण रूप से भुगतान हो जाने के पश्चात यह प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी।
- (ख) प्रचालन बंद होने के पश्चात सम्पत्तियों के विक्रय एवं देयताओं के निस्तारण से हुई हानि/लाभ का आंकलन वांछित स्वीकृति प्राप्त होने के बाद समयानुसार किया जायेगा।

16. संबंधित पार्टी प्रकटन निम्नवत है:

(क) सहायक संस्था

1. इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेन्स प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर

लेन-देन की प्रकृति

धारित शेरों की संख्या	-	1,00,00,000	(1,00,00,000)
शेरों का बही मूल्य	-	₹28576 हजार	(₹28576 हजार)
प्राप्त लाभांश	-	₹21598 हजार	(₹14453 हजार)

2. केनिडिया एश्योरेन्स कं. लि. नैराबी

लेन-देन की प्रकृति

धारित शेरों की संख्या		515776	(515776)
शेरों का बही मूल्य	-	₹7132 हजार	(₹7132 हजार)
प्राप्त लाभांश	-	₹1523 हजार	(₹1993 हजार)

(ख) प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक :

- श्री एन एस आर चन्द्रप्रसाद, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक
- श्री कुलदीप सिंह, निदेशक
- श्री ए वी गिरिजा कुमार, निदेशक

लेन-देन की प्रकृति :

वेतन, भत्ता और अंशदान - ₹4923 हजार (₹4143 हजार)

17. प्रबंधन की राय में संबंधित व्यय एवं रख-रखाव लागत अनुमानित दावा लागत के साथ असमाप्त जोखिमों तथा अग्नि (+) ₹7,35,300 हजार [(+) ₹60,300 हजार, मेरिन (+) ₹3,53,900 हजार [(+) ₹3,03,000 हजार एवं विविध (+) ₹77,41,600 हजार [(+) ₹11,65,900 हजार संबंधित आरक्षित से अधिक नहीं है अतः इस सम्बंध में प्रीमियम में कोई कमी नहीं है। मोटर ओडी सेगमेंट, जो (+) ₹49,12,300 हजार ₹11,97,200 हजार है, में कमी नहीं है, मोटर तृतीय पक्ष में ₹13,58,200 हजार [₹7,09,000 हजार की कमी है। हेल्थ सेगमेंट में ₹9,47,500 हजार [(+) ₹3,22,100 हजार की कमी है-]
18. कर्मचारी हितलाभ के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) को अपनाया है।

15. (a) The Company entered into a transfer agreement on 27.12.2006 with New India Assurance Co. Ltd. to transfer assets & liabilities of Hong Kong Branch at their carrying values including all the operations of the branch subject to approval by the Insurance Authority of Hongkong. The approval has been obtained for transfer of business. The present arrangement would continue as a pure run-off operation and the run-off exercise will be over once the entire outstanding liability is fully paid.

(b) The amount of Gain/Loss on disposal of assets or settlement of liabilities attributable to the discontinuing operation will be accounted for at the appropriate time.

16. Related party disclosures are given below:

(a) Associates:

1. India International Insurance Pte. Ltd., Singapore

Nature of transactions:

No. of shares held	--	1,00,00,000	(1,00,00,000)
Book value of share	--	₹28576 thousand	(₹28576 thousand)
Dividend received	--	₹21598 thousand	(₹14453 thousand)

2. Kenindia Assurance Co. Ltd., Nairobi

Nature of transactions:

No. of shares held	--	515776	(515776)
Book value of shares	--	₹7132 thousand	(₹7132 thousand)
Dividend received	--	₹ 1523 thousand	(₹1993 thousand)

(b) Key Management Personnel:

1. Shri N S R Chandraprasad, Chairman-cum-Managing Director
2. Shri Kuldeep Singh, Director
3. Shri A. V Girijakumar, Director

Nature of transactions:

Salaries, allowances & contributions ₹4923 thousand (₹4143 thousand)

17. In the opinion of the management, the expected claim costs along with the related expenses and maintenance cost would not exceed the related Reserve for Unexpired Risks in respect of Fire (+) ₹735300 thousand [(+) ₹60300 thousand], Marine (+) ₹353900 thousand [(+) ₹303000 thousand] and Miscellaneous (+) ₹7741600 thousand [(+) ₹1165900 thousand] and hence no premium deficiency arises in these respects. While there is no deficiency in Motor Own Damage Segment which is (+) ₹4912300 thousand [(+) ₹1197200 thousand], the deficiency in Motor Third Party works out to ₹1358200 thousand [₹709000 thousand]. Deficiency in Health segment is ₹947500 thousand [(+) ₹322100 thousand -]

18. The Company has adopted the Accounting Standard 15 (Revised 2005) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) in respect of employee benefits.

लाभ एवं हानि लेखा में निम्नलिखित राशि दर्शायी गई :

(₹ हजार में)

वर्गीकृत हित-लाभ योजना	31.03.2013	31.03.2012
ग्रेच्युटी	710458	763998
पेंशन	1107502	882170
अवकाश नकदीकरण	370623	218903
बीमारी अवकाश	85030	64627
यात्रा छुट्टी सहायता	1676	6889

कार्ययोजना की वस्तुस्थिति निम्नवत है -

(₹ हजार में)

	ग्रेच्युटी	पेंशन	अवकाश नकदीकरण	बीमारी अवकाश	यात्रा छुट्टी सहायता
क) देयता का वर्तमान मूल्य	5385374	9982170	2717529	523714	176130
वर्ष के प्रारंभ में	(5072607)	(9276800)	(2498626)	(459087)	(169241)
ब्याज लागत	413564	712174	205371	41897	14090
	(419024)	(729453)	(199812)	(39022)	(11709)
सेवा मूल्य	301899	496107	243989	88640	-
	(248172)	(451290)	(193038)	(75312)	(-)
एक्च्यूरियल (लाभ) /हानि	155827	1612051	222049	-45507	68565
	(-68605)	(914627)	(121845)	(-49708)	(58161)
हित लाभ भुगतान	431661	2160000	300786	-	81080
	(285824)	(1390000)	(295791)	(-)	(62980)
वर्ष के अंत में	5825003	10642502	3088152	608744	177706
	(5385374)	(99821700)	(2717529)	(523714)	(176130)

ख) सम्पत्ति योजना में परिवर्तन

(₹ हजार में)

	ग्रेच्युटी	पेंशन	अवकाश नकदीकरण	बीमारी अवकाश	यात्रा छुट्टी सहायता
वर्ष के प्रारंभ में उचित मूल्य	4702294	9100000	-	-	-
	(4668012)	(8550400)	(-)	(-)	(-)
प्रत्याशित आय	376184	728000	-	-	-
	(373411)	(684032)	(-)	(-)	(-)
एक्च्यूरियल (लाभ) /हानि	34445	1462000	-	-	-
	(-457930)	(-845568)	(-)	(-)	(-)
हित लाभ भुगतान	431661	2160000	-	-	-
	(285824)	(1390000)	(-)	(-)	(-)
वर्ष के अंत में उचित मूल्य	5364342	9535000	-	-	-
	(4702294)	(9100000)	(-)	(-)	(-)

The following amounts have been recognized in the Profit & Loss Account:

	(₹ in thousand)	
Defined Benefit Plan	31.03.2013	31.03.2012
Gratuity (excluding deferred amount)	710458	763998
Pension	1107502	882170
Leave Encashment	370623	218903
Sick Leave	85030	64627
LTS	1676	6889

The status of the plan is given below:

	(₹ in thousand)				
	Gratuity	Pension	Leave Encashment	Sick Leave	LTS
A) Present Value of Obligation					
At beginning of the year	5385374	9982170	2717529	523714	176130
	(5072607)	(9276800)	(2498626)	(459087)	(169241)
Interest Cost	413564	712174	205371	41897	14090
	(419024)	(729453)	(199812)	(39022)	(11709)
Service Cost	301899	496107	243989	88640	-
	(248172)	(451290)	(193038)	(75312)	(-)
Actuarial (Gain)/Loss	155827	1612051	222049	-45507	68565
	(-68605)	(914627)	(121845)	(-49708)	(58161)
Benefits Paid	431661	2160000	300786	-	81080
	(285824)	(1390000)	(295791)	(-)	(62980)
At the end of the year	5825003	10642502	3088152	608744	177706
	(5385374)	(99821700)	(2717529)	(523714)	(176130)

B) Change in Plan Assets:

	(₹ in thousand)				
	Gratuity	Pension	Leave Encashment	Sick Leave	LTS
Fair Value at beginning of the year	4702294	9100000	-	-	-
	(4668012)	(8550400)	(-)	(-)	(-)
Expected Return	376184	728000	-	-	-
	(373411)	(684032)	(-)	(-)	(-)
Actuarial (Gain)/Loss	34445	1462000	-	-	-
	(-457930)	(-845568)	(-)	(-)	(-)
Benefits Paid	431661	2160000	-	-	-
	(285824)	(1390000)	(-)	(-)	(-)
Fair Value at end of the year	5364342	9535000	-	-	-
	(4702294)	(9100000)	(-)	(-)	(-)

	(₹ हजार में)				
	ग्रेच्युटी	अवकाश पेंशन	अवकाश नकदीकरण	बीमारी अवकाश	यात्रा छुट्टी सहायता
ग) देयताओं के उचित मूल्य का समाधान एवं सम्पत्ति योजना का वर्तमान मूल्य	5364342 (4702294)	9535000 (9100000)	- (-)	- (-)	- (-)
वर्ष के अंत में उचित मूल्य	5825003 (5385374)	10642502 (9982170)	- (-)	- (-)	- (-)
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य तुलन-पत्र में दर्शायी गयी शुद्ध (देयता)	-460661 (-683080)	-1107502 (-882170)	- (-)	- (-)	- (-)
घ) सम्भावनायें					
छूट की दर (%)	8.00 (8.50)	8.00 (8.00)	8.00 (8.50)	8.00 (8.50)	8.00 (8.50)
सम्पत्ति योजना पर आय (%)	8.00 (8.00)	8.00 (8.00)	- (-)	- (-)	- (-)

19. प्रबन्धन की राय में कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों में कोई ह्रास नहीं हुआ है जिसके लिए आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 28 के अनुसार किसी समायोजन की जरूरत हो
20. आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 29 के अनुसार प्रासंगिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं है। विवादित सांविधिक मामले में शामिल हैं वे मामलें जो आयकर व ब्याजकर प्राधिकारियों के यहां विवाद में हैं, जिसके लिए प्रावधान पर विचार आवश्यक नहीं है। तथापि राशि के संभाव्य देयता के अंतर्गत प्रकट किया गया है।
21. सेवाकर देयता, सेवाकर भुगतान से संबंधित कंपनी के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त अन्तिम डाटा को सेवा कर अधिकारी की अनुमति से प्रविजनल आधार पर सेवा कर अधिकारी को प्रस्तुत किया गया। वास्तविक देयता का निर्धारण कलेक्शन, सेवाकर भुगतान तथा अवेल्मेन्ट एवं युटिलाइजेशन ऑफ केनभट क्रेडिट को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात होगा। इन लेखा में पायी गई भिन्नता को समुचित समायोजन हेतु अगले वर्ष में अग्रेसित किया गया है।
22. वर्तमान कर में सम्मिलित हैं :

	(₹ हजार में)	
	31.03.2013	31.03.2012
सम्पदा कर	8000	8000
आयकर (मैट)	1620000	55000

कंपनी के पास आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत अग्रेसित काफो हानि एवं अनएवजर्वड मूल्य ह्रास है जिनके कारण आस्थगित कर योग्य सम्पत्तिया वढी है। तथापि सावधानी पूर्ण एवं लेखा मानक (ए एस 22) के अनुसार, भविष्य की आयकर योग्य आय की अनिश्चितता के कारण वित्तीय विवरण में आस्थगित कर सम्पत्ति का निर्धारण नहीं किया जा सका। इस पर विचार आयकर योग्य आय की प्रचुरता की उपलब्धता होने पर किया जायेगा जिसके प्रतिकूल इस प्रकार के आस्थगित कर सम्पत्ति को वसूल किया जा सके।

	(₹ in thousand)				
	Gratuity	Pension	Leave Encashment	Sick Leave	LTS
C) Reconciliation of Fair Value of obligation and Present Value of Plan Assets					
Fair Value at the year end	5364342 (4702294)	9535000 (9100000)	- (-)	- (-)	- (-)
Present Value at the year end	5825003 (5385374)	10642502 (9982170)	- (-)	- (-)	- (-)
Net (Liability) recognized in Balance Sheet	-460661 (-683080)	-1107502 (-882170)	- (-)	- (-)	- (-)
D) Assumptions					
Discount Rate (%)	8.00 (8.50)	8.00 (8.00)	8.00 (8.50)	8.00 (8.50)	8.00 (8.50)
Return on Plan Asset (%)	8.00 (8.00)	8.00 (8.00)	- (-)	- (-)	- (-)

19. In the opinion of management, there is no impairment of assets of the Company that requires any adjustment to be made in terms of Accounting Standard 28 issued by the ICAI.
20. No provision has arisen against contingent liabilities in terms of Accounting Standard (AS) 29 issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Disputed statutory matters mainly include issues under litigation with respect to Income Tax and Interest Tax for which no provision is considered necessary. However, the amounts are disclosed under contingent liabilities.
21. Pending receipts of final data from various offices of the Company relating to service tax liabilities, payment of service tax is made to service tax authority on provisional basis as permitted by the service tax authority. Actual liability is ascertained after finalization of collection, payment of service tax and availment and utilization of Cenvat credit. Difference remaining in these accounts is carried forward in subsequent year for proper adjustments.
22. Current Tax includes:

	(₹ in thousand)	
	<u>31.03.2013</u>	<u>31.03.2012</u>
Wealth Tax	8000	8000
Income Tax (MAT)	1620000	55000

The Company has substantial carried forward losses and unabsorbed depreciation under the Income Tax Act, 1961 giving rise to deferred tax asset. However, in consideration of prudence and as per Accounting Standard (AS-22), owing to uncertainty over future taxable income, the deferred tax asset has not been recognized in the financial statements. The same would be considered on the availability of sufficient taxable income against which such deferred tax assets can be realized.

23. आईसीएआई द्वारा लेखा मानक (एएस) 20 के अनुसार प्रकटीकरण :

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
शेयर होल्डर का शुद्ध लाभ (₹ हजार में)	69,78,468	32,52,136
शेयर की औसत संख्या वेटेज	10,00,00,000	10,00,00,000
मूल एवं मिश्रित आय, प्राप्त प्रति शेयर ₹10/-	69.79	32.52

कंपनी के पास कोई बकाया डायल्यूटेड पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं है। प्रति शेयर पर कंपनी के मूल एवं डायल्यूटेड आय बराबर रही।

24. आईआरडीए द्वारा निर्धारित लेखा अनुपात अनुलग्नक - I में दिये गये हैं।

25. आईआरडीए द्वारा निर्धारित पिछले 5 वर्षों के कार्य निष्पादन का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

26. पालिसीहोल्डर्स के द्वारा दावा व किये गये राशि का अवधिकर विवरण संलग्नक-III में दिया गया है।

27. व्यय (पूर्व अवधि मद सहित):

(₹ हजार में)

लेखा मद	31.03.2013 तक	31.03.2012 तक
कर्मचारी पारिश्रमिक और कल्याण सुविधाएं	1627	1943
यात्रा, यातायात एवं वाहन चालन व्यय	439	40
किराया, दर एवं कर	3000	1751
मरम्मत	0	0
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	115	126
संप्रेशण	338	381
लेखा परीक्षक शुल्क	304	0
विज्ञापन	110	336
अन्य	2387	4522
विद्युत शुल्क	1192	159
कार्यालय रख-रखाव	71	171
प्रोफेशनल एवं कांस्ट्रक्टर को भुगतान	208	0
बीमा पूर्व व्यय	472	343
योग	10263	9772

23. Disclosure as per Accounting Standard (AS) 20 issued by ICAI.

Particulars	Current Year	Previous Year
Net Profit attributable to Shareholders (₹ in thousand)	69,78,468	32,52,136
Weighted average number of Shares	10,00,00,000	10,00,00,000
Basic and diluted earnings per share of ₹10 each	69.79	32.52

The Company does not have any outstanding diluted potential equity share. Consequently, the basic and diluted earnings per share of the Company remain the same.

24. Accounting Ratios prescribed by IRDA have been furnished in Annexure I.

25. Summary of working results for the last 5 years as prescribed by IRDA is furnished in Annexure II.

26. Age-wise analysis of the Unclaimed Amount of Policyholders is furnished in Annexure III.

27. Expenditure includes Prior Period Items:

(₹ in thousand)

Head of Account	As on 31.03.2013	As on 31.03.2012
Employee Remuneration and Welfare benefits	1627	1943
Travel, conveyance and vehicle running expenses	439	40
Rents, Rates and Taxes	3000	1751
Repairs	0	0
Printing & Stationery	115	126
Communication	338	381
Auditors' fees	304	0
Advertisement	110	336
Others	2387	4522
Electricity charges	1192	159
Office up-keep & Maintenance	71	171
Payment to Professionals & Contractors	208	0
Pre-insurance expenses	472	343
Total:	10263	9772

28. विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा दण्ड कार्रवाई सम्बन्धी विवरण:

(₹ हजार में)

क्रम सं.	प्राधिकारी	अनुपालन न होना/ उलंघन	दंड आदेश	दंड भुगतान	दंड समाप्त/कम होना
1	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण		- 1500	- 1500	- -
2	सेवा कर प्रभारी		- -	- -	- -
3	आयकर प्राधिकारी		-	-	-
4	अन्य कर प्राधिकारी (नगरपालिका निगम)		- 122	- -	- 122
5	जो प्रवर्तन निदेशालय/न्यायाधिकरण एफईएमए के अंतर्गत को अन्य प्राधिकारी		- -	- -	- -
6	कम्पनी के रजिस्ट्रार/नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल/कम्पनी लॉ बोर्ड/निगमित मामलों के विभाग या कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कोई अन्य प्राधिकारी		- -	- -	- -
7	दावा निष्पादन सहित किसी मामले में, किन्तु प्रतिपूर्ति को छोड़कर किसी न्यायालय/ट्रिब्यूनल द्वारा दंड का आदेश		- -	- -	- -
8	सिक्यूरिटी एवं एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया		- -	- -	- -
9	कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया		- -	- -	- -
10	कोई अन्य केन्द्रीय/राज्य/ स्थानीय सरकार/सांविधिक प्राधिकारी		- -	- -	- -

28. Details of various penal actions taken by various Government Authorities :

(₹ in thousand)

Sl. No.	Authority	Non –Compliance / Violation	Penalty Awarded	Penalty Paid	Penalty Waived / Reduced
1.	Insurance Regulatory and Development Authority		- 1500	- 1500	- -
2	Service Tax Authorities		- -	- -	- -
3.	Income Tax Authorities		-	-	-
4.	Any other Tax Authorities (Municipal Corporation)		- 122	- -	- 122
5.	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA		- -	- -	- -
6.	Register of Companies/ NCLT/ CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 1956.		- -	- -	- -
7.	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation.		- -	- -	- -
8.	Securities and Exchange Board of India.		- -	- -	- -
9.	Competition Commission of India		- -	- -	- -
10.	Any other Central/State/Local Government / Statutory Authority.		- -	- -	- -

29. वेतन संशोधन 1 अगस्त 2012 से देय है जिसके लिए जिप्सा के साथ हुए एग्रीमेंट के अनुसार ₹584247 हजार खाते में दे दिये गये है।
30. अनुसूची 13 में उल्लिखित विविध लेनदारों में सम्मिलित हैं। मोटर पूल को समाप्त किये जाने के पश्चात बकाया दावा (उपगत किन्तु सूचित नहीं) राशि ₹16016401 हजार (₹ शून्य)
31. विगत वर्ष के आंकड़ों को कोष्ठक में दिया है। वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति को अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आँकड़ों को, जहाँ आवश्यक समझा गया है, एक साथ प्रयोग में लाया गया है।

कृते निदेशक मंडल

गुहा नदी एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजी.सं. 302039E	एम. सी. भंडारी एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजी.सं. 303002E	एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद कुलदीप सिंह	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक निदेशक
(डॉ. बी. एस. कुण्डू) भागीदार सदस्यता संख्या 051221	(नीरज जैन) भागीदार सदस्यता संख्या 064393	ए. वी. गिरिजा कुमार रीना माडिया	निदेशक उप कम्पनी सचिव

कैम्प. दिल्ली, 22 मई, 2013

29. Wage revision is due from 1st August, 2012 for which an amount of ₹584247 thousand has been provided in the accounts in line with the agreement reached at GIPSA.
30. Sundry Creditors in Schedule-13 includes outstanding claim (IBNR) of ₹16016401 thousand (₹Nil) in respect of dismantled motor pool.
31. Figures in brackets are of the previous year. To conform to current year's presentation previous year's figures are regrouped or rearranged wherever considered necessary.

For and on behalf of the Board of Directors

For, GUHANANDI & CO. Chartered Accountants FRN 302039E	For, M C Bhandari & CO. Chartered Accountants FRN 303002E	N. S. R. Chandraprasad	Chairman-cum-Managing Director
(Dr. B. S. Kundu) Partner Membership No. 051221	(Neeraj. Jain) Partner Membership No. 064393	Kuldip Singh	Director
		A. V. Girija Kumar	Director
		Rina Madia	Dy. Company Secretary

Camp. Delhi, the 22nd day of May 2013

31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए साधारण बीमा कम्पनियों के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात
आईआरडीए के परिपत्र संख्या आईआरडीए/एफ एण्ड आई/सीआईआर/एफ एण्ड ए/012/01/2010 (परिशिष्ट III) दिनांक 28 जनवरी 2010 की
परिभाषा के अनुसार

परिशिष्ट - I

क्र. सं.	निष्पादन अनुपात	अनुपात/प्रतिशतता फार्मूला	अनुपात/प्रतिशतता 2012-13	अनुपात/प्रतिशतता 2011-12
1.	सकल प्रीमियम वृद्धि दर	(चालू वर्ष का सकल प्रीमियम- विगत वर्ष का सकल प्रीमियम) x100/विगत वर्ष का सकल प्रीमियम	17.64	25.15
	क) अग्नि		24.72	18.63
	ख) समुद्री माल		7.89	14.84
	ग) समुद्री पोत		-8.00	13.72
	घ) मोटर निजी क्षति		13.95	20.98
	च) मोटर तृतीय पक्ष		25.57	47.93
	छ) इंजीनियरिंग		6.63	22.42
	ज) कर्मकार क्षतिपूर्ति		6.18	28.14
	झ) जन देयता		10.54	13.10
	ट) व्यक्तिगत दुर्घटना		-7.28	19.81
	ठ) स्वास्थ्य बीमा		23.16	23.69
	ड) उद्भयन		65.93	53.16
	ढ) विविध अन्य		0.12	12.81
2.	सकल प्रीमियम से शेरधारकों के कोष का अनुपात	जीडीपीआई/शेयरहोल्डर्स फण्ड* *शेयरधारकों का कोष (शेयर कैपिटल रिजर्व एवं सरप्लस के (डेबिट) उचित मूल्य परिवर्तित लेखा) घटायें (विविध व्यय) लाभहानि लेखा के डेबिट बैलेन्स या शेयरधारकों का लेखा	95.99	85.69
3.	शेयरधारकों के कोष की वृद्धि दर	चालू तुलन-पत्र की तारीख को शेयर धारकों का कोष/विगत तुलन-पत्र की तारीख को शेयर-धारकों का कोष	5.02	-6.33
4.	शुद्ध प्रति धारण अनुपात	शुद्ध प्रीमियम/सकल प्रीमियम	86.54	88.96
	क) अग्नि		81.49	84.01
	ख) समुद्री माल		77.44	75.38
	ग) समुद्री पोत		17.09	33.55
	घ) मोटर निजी क्षति		89.86	89.89
	च) मोटर तृतीय पक्ष		88.26	99.91
	छ) इंजीनियरिंग		76.03	50.19
	ज) कर्मकार क्षतिपूर्ति		90.02	90.03
	झ) जन देयता		90.01	88.01
	ट) व्यक्तिगत दुर्घटना		90.00	89.00
	ठ) स्वास्थ्य बीमा		89.97	90.48
	ड) उद्भयन		22.73	9.99
	ढ) विविध अन्य		94.49	107.14
5.	शुद्ध कमीशन अनुपात	सकल कमीशन भुगतान/जीडीपीआई	5.74	5.84
	क) अग्नि		6.07	6.12
	ख) समुद्री माल		11.85	11.36
	ग) समुद्री पोत		1.40	1.16

KEY ANALYTICAL RATIOS FOR NON-LIFE INSURANCE COMPANIES FOR THE YEAR ENDING ON 31.03.2013

as per the definitions given in the IRDA Circular No. IRDA/F&I/CIR/F&A/012/01/2010
(Annexure III) dated January 28, 2010

Annexure - I

SL. NO.	PERFORMANCE RATIO	RATIO / PERCENTAGE FORMULA	RATIO / PERCENTAGE 2012-13	RATIO / PERCENTAGE 2011-12
1.	GROSS DIRECT PREMIUM GROWTH RATE	$(\text{GDPI (CY)} - \text{GDPI (PY)}) * 100 / \text{GDPI (PY)}$	17.64	25.15
	a) Fire		24.72	18.63
	b) Marine Cargo		7.89	14.84
	c) Marine Hull		-8.00	13.72
	d) Motor Own Damage		13.95	20.98
	e) Motor Third Party		25.57	47.93
	f) Engineering		6.63	22.42
	g) Workmen's Compensation		6.18	28.14
	h) Public Liability		10.54	13.10
	i) Personal Accident		-7.28	19.81
	j) Health Insurance		23.16	23.69
	k) Aviation		65.93	53.16
	l) Misc. Others		0.12	12.81
2.	GROSS DIRECT PREMIUM TO SHAREHOLDERS' FUND RATIO	$\text{GDPI} / \text{Shareholders' Funds}^*$ *Shareholders funds viz. (share capital, reserves and surplus, credit/(debit) fair value change account) less (miscellaneous expenditure, debit balance in profit and loss account or shareholders' account)	95.99	85.69
3.	GROWTH RATE OF SHAREHOLDERS' FUND	$(\text{Shareholders' Funds (CY)} - \text{shareholders funds (PY)}) / \text{Shareholders' funds (PY)}$	5.02	-6.33
4.	NET RETENTION RATIO	$\text{Net Premium} / \text{GDPI}$	86.54	88.96
	a) Fire		81.49	84.01
	b) Marine Cargo		77.44	75.38
	c) Marine Hull		17.09	33.55
	d) Motor Own Damage		89.66	89.89
	e) Motor Third Party		88.26	99.91
	f) Engineering		76.03	50.19
	g) Workmen's Compensation		90.02	90.03
	h) Public Liability		90.01	88.01
	i) Personal Accident		90.00	89.00
	j) Health Insurance		89.97	90.48
	k) Aviation		22.73	9.99
	l) Misc. Others		94.49	107.14
5.	NET COMMISSION RATIO	$\text{Gross Commission Paid} / \text{GDPI}$	5.74	5.84
	a) Fire		6.07	6.12
	b) Marine Cargo		11.85	11.36
	c) Marine Hull		1.40	1.16

31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए साधारण बीमा कम्पनियों के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात

परिशिष्ट - 1

क्र. सं.	निष्पादन अनुपात	अनुपात/प्रतिशतता फार्मूला	अनुपात/प्रतिशतता 2012-13	अनुपात/प्रतिशतता 2011-12
	घ) मोटर निजी क्षति		7.64	5.94
	च) मोटर तृतीय पक्ष		0.00	0.00
	छ) इंजीनियरिंग		6.54	5.67
	ज) कर्मकार क्षतिपूर्ति		9.47	9.29
	झ) जन देयता		11.79	11.88
	ट) व्यक्तिगत दुर्घटना		11.78	11.59
	ठ) स्वास्थ्य बीमा		6.04	7.71
	ड) उड्डयन		0.57	0.29
	ढ) विविध अन्य		12.33	12.14
6.	प्रबंधन खर्च से सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात	(बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय+ प्रदत्त प्रत्यक्ष कमीशन)/जीडीपीआई	26.56	28.67
7.	संचुक्त अनुपात	(बीमा व्यवसाय से संबंधित भुगतान दावा + बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय + भुगतान प्रत्यक्ष कमीशन)/ जीडीपीआई	90.21	91.76
8.	तकनीकी आरक्षित से शुद्ध प्रीमियम अनुपात	(असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित + प्रीमियम कमी आरक्षित+ बकाया दावे के लिए आरक्षित)/शुद्ध प्रीमियम	123.75	120.13
9.	बीमालेखन अतिशेष अनुपात	(बीमा लेखन लाभ/हानि) शुद्ध प्रीमियम	-15.41	-19.93
	क) अग्नि		8.94	-14.24
	ख) समुद्री माल		14.21	12.16
	ग) समुद्री पोत		44.92	-75.55
	घ) मोटर निजी क्षति		-5.33	-0.88
	च) मोटर तृतीय पक्ष		-40.81	-46.28
	छ) इंजीनियरिंग		18.38	-12.46
	ज) कर्मकार क्षतिपूर्ति		40.96	38.01
	झ) जन देयता		59.73	12.98
	ट) व्यक्तिगत दुर्घटना		14.23	17.05
	ठ) स्वास्थ्य बीमा		-31.35	-32.39
	ड) उड्डयन		-156.44	-318.14
	ढ) विविध अन्य		23.53	2.12
10.	प्रचालन लाभ अनुपात	(बीमालेखन लाभ/हानि)+निवेश आय/शुद्ध प्रीमियम	11.01	4.69
11.	अस्थायी सम्पत्ति से देयताएं अनुपात	(बीमाकर्ता की अस्थायी सम्पत्ति/ पालिसी धारकों की देयताएं)	18.31	24.47
12.	शुद्ध अर्जन अनुपात	कर पश्चात लाभ/शुद्ध प्रीमियम	8.77	4.68
13.	शुद्ध सम्पत्ति पर आय	कर पश्चात लाभ/शुद्ध सम्पत्ति	7.29	3.57
14.	वांछित शोधन क्षमता के परिपेक्ष्य में वास्तविक शोधन क्षमता		1.50	1.37
15.	एनपीए अनुपात			
	सकल एनपीए अनुपात		1.37	2.04
	शुद्ध एनपीए अनुपात		0.00	0.06

RATIOS FOR NON-LIFE INSURANCE COMPANIES FOR THE YEAR ENDING ON 31.03.2013

Annexure - I

SL. NO.	PERFORMANCE RATIO	RATIO / PERCENTAGE FORMULA	RATIO / PERCENTAGE 2012-13	RATIO / PERCENTAGE 2011-12
	d) Motor Own Damage		7.64	5.94
	e) Motor Third Party		0.00	0.00
	f) Engineering		6.54	5.67
	g) Workmen's Compensation		9.47	9.29
	h) Public Liability		11.79	11.68
	i) Personal Accident		11.78	11.59
	j) Health Insurance		6.04	7.71
	k) Aviation		0.57	0.29
	l) Misc. Others		12.33	12.14
6.	EXPENSES OF MANAGEMENT TO GROSS DIRECT PREMIUM RATIO	(Operating expenses related to insurance business plus direct commissions paid)/GDPI	26.56	28.67
7.	COMBINED RATIO	(Claims paid plus Operating expenses related to insurance business plus direct commissions paid)/GDPI	90.21	91.76
8.	TECHNICAL RESERVES TO NET PREMIUM RATIO	(Reserves for Unexpired Risk + Reserve for premium deficiency plus Reserve for Outstanding Claims) / Net Premium	123.75	120.13
9.	UNDERWRITING BALANCE RATIO	(Underwriting profit / loss) / Net Premium	-15.41	-19.93
	a) Fire		8.94	-14.24
	b) Marine Cargo		14.21	12.16
	c) Marine Hull		44.92	-75.55
	d) Motor Own Damage		-5.33	-0.88
	e) Motor Third Party		-40.81	-46.28
	f) Engineering		18.38	-12.46
	g) Workmen's Compensation		40.96	38.01
	h) Public Liability		59.73	12.98
	i) Personal Accident		14.23	17.05
	j) Health Insurance		-31.35	-32.39
	k) Aviation		-156.44	-318.14
	l) Misc. Others		23.53	2.12
10.	OPERATING PROFIT RATIO	(Underwriting profit/loss) + Investment Income/ Net Premium	11.01	4.69
11.	LIQUID ASSETS TO LIABILITIES RATIO	Liquid Assets / Policyholders' Liabilities	18.31	24.47
12.	NET EARNING RATIO	Profit after tax / Net Premium	8.77	4.68
13.	RETURN ON NET WORTH	Profit after tax / Net Worth	7.29	3.57
14.	Available Solvency Margin to Required Solvency Margin		1.50	1.37
15.	NPA ratio			
	Gross NPA ratio		1.37	2.04
	Net NPA ratio		0.00	0.06

परिशिष्ट - II

वित्तीय विवरण का सारांश

(₹ लाख में)

क्रम. सं.	विवरण	प्रथम वर्ष*	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
	प्रचालन परिणाम					
1.	सकल प्रत्यक्ष प्रिमियम	919462	781569	624517	464597	429585
2.	शुद्ध अर्जित प्रिमियम #	795692	695285	538971	397765	365363
3.	निवेश में आय शुद्ध @	169885	141976	144950	108958	80088
4.	अन्य आय (स्पष्ट करे)	-180	-12287	-513	-627	1026
5.	कुल आय	965397	824974	683408	506096	446477
6.	कमीशन (शुद्ध) (ब्रोकरेज सहित)	39052	36138	25544	23141	21817
7.	प्रचालन व्यय	192903	165584	162484	141258	99393
8.	शुद्ध उपगत दावा	639053	531407	462327	324537	339367
9.	रिजर्व असमाप्त जोखिम में परिवर्तन	48844	87932	62576	16186	23127
10.	प्रचालन लाभ/हानि	45545	3913	-29523	974	-37227
	अ.प्रचालन परिणाम					
11.	शेयर होल्डर्स के खाते से कुल आय	40305	29193	37063	25885	23874
12.	लाभ/(हानि) कर पूर्व	85850	33106	7540	26859	-13353
13.	कर प्रावधान	16065	585	51	4373	1567
14.	कर पश्चात लाभ/(हानि)	69785	32521	7489	22486	-14920
	विविध					
15.	पॉलिसी होल्डर्स खाता:					
	कुल फंड	984694	835231	769124	618490	592694
	कुल निवेश	1045604	867262	695631	506922	464972
	निवेश पर प्राप्ति	17.69%	17.90%	24.66%	22.24%	17.90%
16.	शेयर होल्डर्स खाता:					
	कुल फंड	249162	198156	158146	158146	140805
	कुल निवेश	264574	205755	143035	129618	110462
	निवेश पर प्राप्ति	17.69%	17.90%	24.66%	22.24%	17.90%
17.	पेड आप ईक्विटी कैपिटल	10000	10000	10000	10000	10000
18.	नेट वर्थ	249162	198156	158146	158146	140805
19.	कुल परिसम्पत्तियां	2400308	1990826	1939456	1800047	1254322
20.	कुल निवेश पर प्राप्तियां	17.63%	17.90%	24.66%	22.24%	17.90%
21.	प्रति शेयर अर्जन (रूपये)	69.79	32.52	7.49	22.49	-14.92
22.	प्रति शेयर बुक वैल्यू (रूपये)	249.16	198.16	158.15	158.15	140.81
23.	कुल लाभांश	13913.97	NIL	NIL	4397.84	NIL
24.	प्रति शेयर लाभांश (रूपये)	13.91	NIL	NIL	4.40	NIL

रिइश्योरेंस का शुद्ध

@ शुद्ध हानियां

यदि संभव हो तो बिन्दु सं. 15 एवं 16 अलग अलग दिया जा सकता है।

* प्रथम वर्ष का तात्पर्य तत्कालिक वित्तीय वर्ष।

Annexure - II

SUMMARY OF FINANCIAL STATEMENTS

(₹ in lakh)

Sl. No.	Particulars	1st year*	2nd year	3rd year	4th year	5th year
	OPERATING RESULTS					
1.	Gross direct premiums	919462	781569	624517	464597	429585
2.	Net earned premium #	795692	695285	538971	397765	365363
3.	Income from investments (net) @	169885	141976	144950	108958	80088
4.	Other income (Pl. specify)	-180	-12287	-513	-627	1026
5.	Total income	965397	824974	683408	506096	446477
6.	Commissions (Net) (Including brokerage)	39052	36138	25544	23141	21817
7.	Operating Expenses	192903	165584	162484	141258	99393
8.	Net Incurred Claims	639053	531407	462327	324537	339367
9.	Change in Unexpired Risk Reserve	48844	87932	62576	16186	23127
10.	Operating profit/loss	45545	3913	-29523	974	-37227
	NON-OPERATING RESULT					
11.	Total Income unseer shareholder's account	40305	29193	37063	25885	23874
12.	Profit/(loss) before tax	85850	33106	7540	26859	-13353
13.	Provision for tax	16065	585	51	4373	1567
14.	Profit/(loss) after tax	69785	32521	7489	22486	-14920
	MISCELLANEOUS					
15.	Policy holder's Account:					
	Total funds	984694	835231	769124	618490	592694
	Total investments	1045604	867262	695631	506922	464972
	Yield on investments	17.69%	17.90%	24.66%	22.24%	17.90%
16.	Shareholders' Account:					
	Total funds	249162	198156	158146	158146	140805
	Total investments	264574	205755	143035	129618	110462
	Yield on investments	17.69%	17.90%	24.66%	22.24%	17.90%
17.	Paid up equity capital	10000	10000	10000	10000	10000
18.	Net worth	249162	198156	158146	158146	140805
19.	Total assets	2400308	1990826	1939456	1800047	1254322
20.	Yield on total investments	17.63%	17.90%	24.66%	22.24%	17.90%
21.	Earnings per share (₹)	69.79	32.52	7.49	22.49	-14.92
22.	Book value per share (₹)	249.16	198.16	158.15	158.15	140.81
23.	Total dividend	13913.97	NIL	NIL	4397.84	NIL
24.	Dividend per share (₹)	13.91	NIL	NIL	4.40	NIL

Net of reinsurance

@ Net of losses

Points 15 & 16 may be given separately, if it is feasible.

* 1st year means the most recent concluded financial year.

कमीशन व्यय विवरण (भारत में) :

(₹ हजार में)

व्यवसाय श्रेणी	वर्ष 2012-13			वर्ष 2011-12		
	अग्नि	मरीन	विविध	अग्नि	मरीन	विविध
अभिकर्ता	289951	164363	2911867	220248	151680	2500832
ब्रोकर्स	149314	106668	731702	123325	90786	849386
कार्पोरेट एजेंट	71989	997	381251	72539	1232	347416
रेफरल फीस	-	-	232811	628	-	76335
अन्य	943	395	215918	2090	244	128630
कुल	512197	272423	4473549	418830	243942	3902599

Break up of Commission Expenses (In India) :

(₹ in Thousand)

CLASS OF BUSINESS	FOR THE YEAR 2012-13			FOR THE YEAR 2011-12		
	FIRE	MARINE	MISCELLANEOUS	FIRE	MARINE	MISCELLANEOUS
Agents	289951	164363	2911867	220248	151680	2500832
Brokers	149314	106668	731702	123325	90786	849386
Corporate Agents	71989	997	381251	72539	1232	347416
Referral Fees	-	-	232811	628	-	76335
Others	943	395	215918	2090	244	128630
Total	512197	272423	4473549	418830	243942	3902599

परिशिष्ट - III
(₹ '000)

पालिसीहोल्डर्स के द्वारा दावा न की गई राशि का अवधिवार विवरण :

विवरण	अवधिवार विश्लेषण							कुल
	1 से 6 माह	7 से 12 माह	13 से 18 माह	19 से 24 माह	25 से 30 माह	31 से 36 माह	36 माह से अधिक	
(क) दावा निस्तारित किन्तु भुगतान नहीं, बीमाधारक/पालिसीहोल्डर्स के साथ किसी विवाद के अलावा	—	—	—	—	—	—	—	—
(ख) परिपक्वता अवधि या आय पर बीमाधारक/पालिसीहोल्डर्स पर बकाया राशि	—	—	—	—	—	—	—	—
(ग) किसी प्रकार के प्रीमियम/टैक्स या अन्य कोई अधिभार का अधिक संग्रहण जिसे पालिसी होल्डर्स को पालिसी की शर्तों के अधीन या नियम के अधीन या प्राधिकारी के निर्देशानुसार वापस किया जाना था परन्तु अभी तक वापस नहीं किया गया	169667	45887	41822	19979	16930	12665	77027	383977
(घ) पालिसी होल्डर्स/बीमाधारक को बैंक जारी किया गया किन्तु भुनाया नहीं गया	95974	42263	38217	18974	15928	13747	24218	249321
	265641	88150	80039	38953	32858	26412	101245	633298

Annexure - III
(₹ '000)

Age-wise Analysis of the Unclaimed Amount of the Policyholders :

Particulars	Age-wise Analysis							TOTAL
	1 to 6 Months	7 to 12 Months	13 to 18 Months	19 to 24 Months	25 to 30 Months	31 to 36 Months	Beyond 36 Months	
(a) Claims settled but not paid to the Policyholders/ Insureds due to any reasons except under litigation from Insureds / policyholders	—	—	—	—	—	—	—	—
(b) Sum due to the Insureds / Policyholders on maturity or otherwise	—	—	—	—	—	—	—	—
(c) Any excess collection of the Premium / Tax or any other charges which is refundable to the Policyholders either as terms of conditions of the Policy or as per the law or as may be directed by the authority but not refunded to so far.	169667	45887	41822	19979	16930	12665	77027	383977
(d) Cheques issued but not encashed by the Policyholders / Insureds	95974	42263	38217	18974	15928	13747	24218	249321
	265641	88150	80039	38953	32858	26412	101245	633298

